

मानव विकास

विकास योजना बनाने का मुख्य उद्देश्य मानव विकास तथा लोगों द्वारा जीवन यापन का उच्चतर स्तर हासिल करना है। इसके लिए गरीबों हाशिए पर रह रहे लोगों को विकास के लाभों और अवसरों के अधिक समान वितरण और बेहतर रहन-सहन के वातावरण और सशक्तिकरण की जरूरत है। महिलाएं, जो कि परिवर्तन हेतु उत्प्रेरक का कार्य कर सकती हैं, को सशक्त करने की विशेष आवश्यकता है। विकास प्रक्रिया को समावेशी बनाने हेतु क्षेत्रिय, सामाजिक तथा आर्थिक विषमताओं को पाटने हेतु प्रभावी तथा सम्पोषणीय नीतियां तथा कार्यक्रम बनाना एक चुनौती है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में इस चुनौती का समाधान समावेशी विकास हेतु व्यापक कार्ययोजना की व्यवस्था करते हुए, अर्थव्यवस्था की वृद्धिकारी ताकत को जोड़कर करने का प्रयास करना था। इसे जारी रखना है और बारहवीं पंचवर्षीय योजना में और सुदृढ़ करना है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2012-17) के आधारणा दस्तावेज का केंद्रबिंदु तीव्र, संपोषणीय और अधिक समावेशी विकास करना है।

13.2 भारत अप्रत्याशित जनसांख्यिकी परिवर्तनों के चरण से गुजर रहा है। इन जनसांख्यिकी परिवर्तनों से देश में प्रचुर-वृद्धिकारी श्रमिक बल के योगदान की संभावना है। जनगणना के अनुमानों की रिपोर्ट दर्शाती है कि 15 वर्ष से 59 वर्ष के बीच कार्य करने वाली आयु के व्यक्तियों की जनसंख्या का अनुपात 2001 में लगभग 58 प्रतिशत से बढ़कर 2021 तक 64 प्रतिशत से अधिक होने की संभावना है। निरपेक्ष संख्याओं में 2011 और 2016 के बीच कार्य करने वाले आयु समूह में लगभग 63.5 मिलियन नए प्रवेशक होंगे। इसके अतिरिक्त यह ध्यान देना महत्वपूर्ण है कि इस वृद्धि का अधिकतर तुलनात्मक रूप से 20-35 वर्ष के युवा आयु समूह में होने की संभावना है। ऐसी प्रवृत्ति भारत को विश्व में सबसे युवा राष्ट्रों में से एक बना देगी। वर्ष 2020 में औसत भारतीय सिर्फ 29 वर्ष का होगा। तुलनात्मक आंकड़े चीन और अमरीका के लिए 37, पश्चिम यूरोप के लिए 45 और जापान के लिए 48 हैं। यह 'जनसांख्यिकी लाभांश' विश्व में किसी अन्य देश की तुलना में बेहतर अवसर प्रदान करता है परंतु यह एक बड़ी चुनौती भी पेश करता है। यह भारत के लिए तभी लाभकारी होगा यदि हमारे लोग स्वस्थ, शिक्षित और समुचित रूप से कुशल हों। इसलिए जनसांख्यिकी लाभांश के सर्वोत्तम प्रयोग के लिए मानव और समावेशी विकास पर अधिक ध्यान देना आवश्यक है। अतएव: इस अध्याय का

केंद्रबिंदु भारत में 'समावेशी विकास' है और इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए अंतर्राष्ट्रीय व अंतर-राज्य तुलनाओं का प्रयोग किया गया है। मानव विकास सूचकांक के अर्थ में अन्य उभरती हुई बाजार अर्थव्यवस्थाओं और ऐसी ही स्थिति वाले अन्य देशों की तुलना में भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति की विशेषताएं दर्शाने के अतिरिक्त मानव विकास सूचकांक के विभिन्न मानदंडों के बीच अंतर-संबंधों की पड़ताल करने की कोशिश की गई है। घरेलू कोण से यह अध्याय केंद्र और राज्य दोनों स्तरों पर सामाजिक क्षेत्र में खर्च की प्रवृत्तियों पर केंद्रित है। इसमें सरकार द्वारा विशेष रूप से गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ग्रामीण अवसंरचना, समाज के कमजोर वर्गों के विकास, महिला और बाल विकास व सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही सामाजिक क्षेत्र की नीतियों पर नजर डाली गई है।

मानव और महिलोन्मुखी विकास

13.3 संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रकाशित मानव विकास रिपोर्ट में तीन बुनियादी सामर्थ्यों अर्थात् लंबा व स्वस्थ जीवन जिएं, शिक्षित और जानकार हों और रहन सहन के शानदार आर्थिक स्तर का आनन्द लेने के संदर्भ में मानव विकास सूचकांक में अनुमान

सारणी 13.1 : मानव विकास सूचकांक (एच.डी.आई.) के 1980-2011 के दौरान रुझान

एच.डी.आई. देश रैंक	औसतन वार्षिक एचडीआई वृद्धि-दर (प्रतिशत)									
	1980	1990	2000	2005	2009	2010	2011	1980- 2011	1990- 2011	2000- 2011
1 नोर्वे	0.796	0.844	0.913	0.938	0.941	0.941	0.943	0.55	0.53	0.29
2 आस्ट्रेलिया	0.850	0.873	0.906	0.918	0.926	0.927	0.929	0.29	0.30	0.23
39 पोलैंड	-	-	0.770	0.791	0.807	0.811	0.813	-	-	0.50
61 मलेशिया	0.559	0.631	0.705	0.738	0.752	0.758	0.761	1.00	0.90	0.69
66 रूसी परिसंघ	-	-	0.691	0.725	0.747	0.751	0.755	-	-	0.81
84 ब्राजील	0.549	0.600	0.665	0.692	0.708	0.715	0.718	0.87	0.86	0.69
92 तुर्की	0.463	0.558	0.634	0.671	0.690	0.696	0.699	1.34	1.08	0.90
101 चीन	0.404	0.490	0.588	0.633	0.674	0.682	0.687	1.73	1.62	1.43
97 श्रीलंका	0.539	0.583	0.633	0.662	0.680	0.686	0.691	0.80	0.81	0.80
103 थाईलैंड	0.486	0.566	0.626	0.656	0.673	0.680	0.682	1.10	0.89	0.78
112 फिलीपीन्स	0.550	0.571	0.602	0.622	0.636	0.641	0.644	0.51	0.58	0.62
113 मिस्र	0.406	0.497	0.585	0.611	0.638	0.644	0.644	1.50	1.24	0.88
124 इंडोनेशिया	0.423	0.481	0.543	0.572	0.607	0.613	0.617	1.23	1.19	1.17
123 दक्षिण अफ्रीका	0.564	0.615	0.616	0.599	0.610	0.615	0.619	0.30	0.03	0.05
128 वियतनाम	-	0.435	0.528	0.561	0.584	0.590	0.593	-	1.50	1.06
134 भारत	0.344	0.410	0.461	0.504	0.535	0.542	0.547	1.51	1.38	1.56
145 पाकिस्तान	0.359	0.399	0.436	0.48	0.499	0.503	0.504	1.10	1.12	1.33
143 केन्या	0.420	0.456	0.443	0.467	0.499	0.505	0.509	0.62	0.52	1.27
146 बंगलादेश	0.303	0.352	0.422	0.462	0.491	0.496	0.500	1.63	1.69	1.55
विश्व	0.558	0.594	0.634	0.66	0.676	0.679	0.682	0.65	0.66	0.66

स्रोत: एच.डी.आर. 2011

लगाए गए हैं। मानव विकास रिपोर्ट, 2011 के अनुसार भारत का मानव विकास सूचकांक मानव विकास रिपोर्ट 2010 के अनुसार 119(169 देशों में से) की तुलना में समग्र वैश्विक रैंकिंग 134 (187 देशों में से) के चलते 2011 में 0.547 था। हालांकि 1980-2011 (सारणी 13.1) के दौरान प्रवृत्तियों का तुलनात्मक विश्लेषण दर्शाता है कि यद्यपि भारत मानव विकास सूचकांक में नीचे है परन्तु इसने औसत वार्षिक मानव विकास सूचकांक वृद्धि दर के अर्थ में अधिकतर देशों (बहुत ऊंचे व उच्च मानव विकास वाले देशों सहित) की तुलना में बेहतर निष्पादन किया है। इस संबंध में भारत सिर्फ चीन और बंगलादेश से ही पीछे है। यदि 2000-11 की औसत वार्षिक मानव विकास सूचकांक वृद्धि को देखा जाए तो भारत (1.56 प्रतिशत) चीन (1.43 प्रतिशत) (सारणी 13.1) से भी आगे है। जबकि 1980 के दशक में मानव विकास सूचकांक में वृद्धि के संदर्भ में काफी अच्छा निष्पादन हुआ है परन्तु 1990 और 2000 के दशकों में मंदी रही थी। दूसरी तरफ भारत, जो 1990 के दशक में लड़खड़ाता हुआ प्रतीत होता था, उसने 2000-11 के दौरान अपनी विकास दर पुनः बढ़ा ली है और यह 1980 के दशक की विकास दर से भी आगे निकल गया है।

13.4 तथापि, इसमें संतोष के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए क्योंकि भारत अभी भी चीन, श्रीलंका, थाईलैंड, फिलीपीन्स, मिस्र, इंडोनेशिया, दक्षिण अफ्रीका जैसे देशों के साथ मध्यम मानव

विकास श्रेणी में है और यहां तक कि इसी श्रेणी में वियतनाम का स्थान समग्र मानव विकास सूचकांक की रैंकिंग में बेहतर है। विकसित देशों और कई विकासशील देशों की तुलना में भी स्वास्थ्य और शिक्षा के संकेतकों में विद्यमान अंतर बुनियादी स्वास्थ्य और शिक्षा के अधिक तीव्र और व्यापक विस्तार की आवश्यकता को इंगित करता है। भारत में जन्म पर जीवन प्रत्याशा 2011 में नार्वे में 81.1 वर्ष, आस्ट्रेलिया में 81.9 वर्ष, श्रीलंका में 74.9 वर्ष, चीन में 73.5 वर्ष और वैश्विक औसत 69.8 वर्ष की तुलना में 65.4 वर्ष थी। हालांकि यह 2010 में 64.4 से एक प्रतिशतांक बढ़कर 2011 में 65.4 हो गया। अन्य उल्लिखित देश इस अवधि के दौरान कमोबेश स्थिर रहे हैं। इसी तरह, विद्यालय जाने के औसत वर्षों के अर्थ में भारत का निष्पादन प्रति व्यक्ति उच्च आय वाले श्रीलंका, चीन और मिस्र जैसे देशों से ही नीचे नहीं है बल्कि प्रति व्यक्ति निम्न आय वाले देशों पाकिस्तान, बंगलादेश और वियतनाम से भी नीचे है। यह वैश्विक औसत से भी काफी नीचे है (सारणी 13.2)। अनुप्रयोग मानवशक्ति अनुसंधान संस्थान और योजना आयोग की राष्ट्रीय मानव विकास रिपोर्ट, 2011 यह दर्शाती है कि 1999-2000 और 2007-08 के बीच भारत का मानव विकास सूचकांक 21 प्रतिशत बढ़ा है जिसमें शिक्षा में 28 प्रतिशत से अधिक का सुधार मुख्य संचालक रहा है। भारत के सबसे गरीब राज्यों में मानव विकास सूचकांक में वृद्धि राष्ट्रीय औसत से काफी तेज रही है और

सारणी 13.2 : 2011 में मानव विकास के संबंध में भारत की विश्व में स्थिति

देश	एचडीआई 2011	एचडीआई रैंक 2011	प्रति व्यक्ति सकल राष्ट्रीय आय जी.एन.आई. (स्थिर पीपीपी अम.डालर) 2011	जन्म के समय जीवन प्रत्याशा (वर्ष) 2011	स्कूली शिक्षा के औसत वर्ष (वर्ष) वर्ष 2011	स्कूली शिक्षा के संभावित वर्ष (वर्ष) 2011 ^क
नार्वे	0.943	1	47,557	81.1	12.6	17.3
आस्ट्रेलिया	0.929	2	34,431	81.9	12.0	18
पोलैंड	0.813	39	17,451	76.1	10.0	15.3
मलेशिया	0.761	61	13,685	74.2	9.5	12.6
रूसी परिसंघ	0.755	66	14,561	68.8	9.8	14.1
ब्राजील	0.718	84	10,162	73.5	7.2	13.8
तुर्की	0.699	92	12,246	74.0	6.5	11.8
चीन	0.687	101	7476	73.5	7.5	11.6
श्रीलंका	0.691	97	4943	74.9	8.2	12.7
थाईलैंड	0.682	103	7694	74.1	6.6	12.3
फिलीपिन्स	0.644	112	3478	68.7	8.9	11.9
मिस्र	0.644	113	5269	73.2	6.4	11.0
इंडोनेशिया	0.617	124	3716	69.4	5.8	13.2
दक्षिण अफ्रीका	0.619	123	9469	52.8	8.5	13.1
वियतनाम	0.593	128	2805	75.2	5.5	10.4
भारत	0.547	134	3468	65.4	4.4	10.3
पाकिस्तान	0.504	145	2550	65.4	4.9	6.9
केन्या	0.509	143	1492	57.1	7.0	11.0
बंगलादेश	0.5	146	1529	68.9	4.8	8.1
विश्व	0.682		10,082	69.8	7.4	11.3

स्रोत : एचडीआर 2011

टिप्पणी : ^क 2011 में अथवा बिल्कुल हाल ही के वर्ष में उपलब्ध आंकड़ों के संदर्भ में। पीपीपी क्रय शक्ति की समानता है।

इस तरह सभी राज्यों में मानव विकास सूचकांक में समाभिरूपता है (पैरा 13.19 और सारणी 13.10 भी देखें)।

13.5 लिंग असमानता सूचकांक के अर्थ में मानव विकास रिपोर्ट, 2011 के अनुसार 0.617 के अधिमान के चलते भारत का स्थान कुल 187 देशों में 129 है। लिंग असमानता सूचकांक ने पुनर्जनन स्वास्थ्य, अधिकारिता और 0 (पूर्ण समानता) से 1 (पूरी असमानता) के बीच रहने वाले अधिमान के चलते श्रमिक बल की श्रेणी में लिंग आधारित विषमताओं के कारण हानि को उपलब्धि में ले लिया है। चीन (0.209), पाकिस्तान (0.573), बंगलादेश (0.550), भूटान (0.495) और श्रीलंका (0.419) जैसे देशों की तुलना में 0.617 का लिंग असमानता सूचकांक का अधिमान भारत में लिंग आधारित भेदभाव की उच्च डिग्री दर्शाता है। यह 0.492 की वैश्विक औसत से भी अधिक है।

समावेशी विकास

13.6 यह भाग और इसके बाद वाले भाग में गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, स्वास्थ्य, शिक्षा और समाज कल्याण जैसे क्षेत्रों में महत्वपूर्ण सरकारी कार्यक्रमों की प्रगति की समीक्षा के अतिरिक्त समावेशी विकास के बड़े आयामों की जांच की गई है।

13.7 सामाजिक और वित्तीय समावेशन में प्रगति के संदर्भ में समावेशी विकास को देखा जा सकता है। जनसंख्या का बड़ा हिस्सा विशेषकर, भूमिहीन कृषि श्रमिक, सीमान्त किसान, अनुसूचित जातियां, अनुसूचित जनजातियां और अन्य पिछड़े वर्ग जैसे घटक सामाजिक और वित्तीय बहिष्करण से पीड़ित हैं। तदनुसार, सरकार की नीतियां इन वर्गों के आर्थिक और सामाजिक उत्थान की ओर लगाई गई हैं ताकि प्रत्येक को संवृद्धि के लाभ लेने में समर्थ बनाया

**सारणी 13.3 : सामाजिक सेवाओं और विकास पर केन्द्र सरकार का व्यय
(आयोजना एवं आयोजना-भिन्न)**

मद	(कुल व्यय का प्रतिशत)					
	2006-07 वास्तविक	2007-08 वास्तविक	2008-09 वास्तविक	2009-10 सं०अ०	2010-11 सं०अ०	2011-12 ब०अ०
1. सामाजिक सेवा						
क. शिक्षा, खेल, युवा मामले	4.28	4.02	4.27	4.15	4.24	4.63
ख. स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	1.87	2.05	2.09	2.00	1.83	2.15
ग. जलापूर्ति, आवास आदि	1.72	2.02	2.54	2.39	2.13	2.10
घ. सूचना एवं प्रसार	0.25	0.22	0.23	0.20	0.21	0.20
ङ. अनु० जाति/अनु० जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण	0.34	0.36	0.41	0.43	0.57	0.67
च. श्रम एवं रोजगार	0.32	0.27	0.28	0.22	0.24	0.24
छ. सामाजिक कल्याण एवं पोषण	0.85	0.82	1.15	0.87	0.90	1.02
ज. पूर्वोत्तर क्षेत्र	0.00	0.00	0.00	0.02	1.68	1.86
झ अन्य सामाजिक सेवाएं	-0.17	1.29	1.55	1.67	1.56	0.32
जोड़	9.47	11.06	12.52	11.94	13.36	13.20
2. ग्रामीण विकास	2.84	2.80	4.56	3.77	3.79	3.68
3. प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई)	1.08	0.91	0.88	1.11	1.81	1.59
4. सामाजिक सेवाएं, ग्रामीण विकास और पीएमजीएसवाई	13.38	14.77	17.95	16.82	18.96	18.47
5. केन्द्र सरकार का कुल व्यय	100	100	100	100	100	100

स्रोत : बजट दस्तावेज।

टिप्पणी : पीएमजीएसवाई-प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना; सं० अ०-संशोधित अनुमान, ब०अ०-बजट अनुमान।

सारणी 13.4: सामान्य सरकार (केन्द्र और राज्य सरकारों द्वारा संयुक्त रूप से) द्वारा सामाजिक सेवाओं पर किए गए खर्च की प्रवृत्ति

मद	(₹ करोड़)					
	2006-07	2007-08	2008-09	2009-10	2010-11 सं०अ०	2011-12 ब०अ०
कुल व्यय	1,109,174	1,316,246	1,599,533	1,852,296	2,256,369	2,403,348
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	239,340	294,584	380,628	446,382	562,970	600,516
जिसमें से						
i) शिक्षा	116,933	127,547	161,360	197,070	249,343	276,866
ii) स्वास्थ्य	53,557	60,869	73,898	88,050	103,742	115,426
iii) अन्य	68,850	106,168	145,370	161,262	209,885	208,224
सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में						
कुल व्यय	25.83	26.39	28.41	28.69	29.40	26.97
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	5.57	5.91	6.76	6.91	7.34	6.74
जिसमें से						
i) शिक्षा	2.72	2.56	2.87	3.05	3.25	3.11
ii) स्वास्थ्य	1.25	1.22	1.31	1.36	1.35	1.30
iii) अन्य	1.60	2.13	2.58	2.50	2.73	2.34
कुल व्यय के प्रतिशत के रूप में						
सामाजिक सेवाओं पर व्यय	21.6	22.4	23.8	24.1	25.0	25.0
जिसमें से						
i) शिक्षा	10.5	9.7	10.1	10.6	11.1	11.5
ii) स्वास्थ्य	4.8	4.6	4.6	4.8	4.6	4.8
iii) अन्य	6.2	8.1	9.1	8.7	9.3	8.7
सामाजिक सेवाओं पर व्यय के प्रतिशत के रूप में						
i) शिक्षा	48.9	43.3	42.4	44.1	44.3	46.1
ii) स्वास्थ्य	22.4	20.7	19.4	19.7	18.4	19.2
iii) अन्य	28.8	36.0	38.2	36.1	37.3	34.7

स्रोत : भारतीय रिज़र्व बैंक। केन्द्र और राज्य सरकारों के बजट दस्तावेजों से प्राप्त किए गए अनुसार।

ब० अ०-बजट अनुमान

सं० अ०-संशोधित अनुमान

जा सके और समाज के हाशिए पर बैठे वर्गों को मुख्यधारा में लाया जा सके। इसे सरकार द्वारा सामाजिक क्षेत्र में किए गए व्यय में भी प्रतिबिंबित किया गया है।

भारत के सामाजिक-क्षेत्र में व्यय की प्रवृत्तियां

13.8 सामाजिक सेवाओं और ग्रामीण विकास दर केंद्र सरकार का व्यय (आयोजना और आयोजना-भिन्न) पिछले वर्षों में समनुरूप से बढ़ा है (सारणी 13.3)। यह 2006-07 में 13.38 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 18.47 प्रतिशत हो गया है। यद्यपि सामाजिक क्षेत्र के अधिकतर विषय राज्यों के क्षेत्राधिकार के तहत आते हैं परन्तु सामाजिक कार्यक्रमों के लिए केंद्रीय सहायता में विभिन्न रूपों में सतत विस्तार हुआ है। केंद्रीय प्रायोजित योजनाओं के माध्यम से राज्यों को मुख्य कार्यक्रम-विशिष्ट निधिपोषण उपलब्ध है।

13.9 सामान्य सरकार (केंद्र और राज्य मिलकर) द्वारा सामाजिक क्षेत्रों (जिसमें शिक्षा, खेल, कला और संस्कृति, चिकित्सा और जन स्वास्थ्य, परिवार कल्याण, जलापूर्ति और स्वच्छता, आवास, शहरी विकास, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण, श्रमिक और श्रमिक कल्याण, सामाजिक सुरक्षा, पोषाहार और प्राकृतिक आपदाएं शामिल हैं) पर व्यय ने भी हाल के वर्षों में वृद्धि दर्शायी है (सारणी-13.4), जो इस क्षेत्र को दी गई उच्च प्राथमिकता प्रतिबिंबित करता है। कुल व्यय के अनुपात के रूप में सामाजिक सेवाओं पर व्यय 2006-07 में 21.6 प्रतिशत से बढ़कर 2009-10 में 24.1 प्रतिशत हो गया और फिर बढ़कर 2011-12 (बजट अनुमान) में 25 प्रतिशत हो गया। सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में इसका हिस्सा 2006-07 में 5.57 प्रतिशत से बढ़कर 2008-09, 2009-10 और 2010-11 में क्रमशः 6.76 प्रतिशत, 6.91 प्रतिशत और 7.34 प्रतिशत हो गया और इसने सामाजिक क्षेत्र पर अधिक विपरीत प्रभाव डाले बगैर भारत को वैश्विक संकट का मुकाबला करने में सहायता की। बजट अनुमान के अनुसार 2011-12 में इसके 6.74 प्रतिशत होने की संभावना है। जबकि सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में शिक्षा पर व्यय 2006-07 में 2.72 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 (बजट अनुमान) में 3.11 प्रतिशत हो गया और स्वास्थ्य पर यह व्यय 2006-07 में 1.25 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 (बजट अनुमान) में 1.30 प्रतिशत हो गया है। सामाजिक सेवाओं पर कुल व्यय में से 'अन्य', पर होने वाला व्यय 2011-12 (बजट अनुमान) के दौरान घट गया है।

13.10 पूर्वोत्तर क्षेत्र इसके सामरिक स्थान, जातीय संघर्षों और विद्रोह के साथ भू-आर्थिक दशाओं को मानते हुए देश की विकास योजना में सदैव ध्यान हेतु एक केंद्रीय बिंदु रहा है। इसलिए इस क्षेत्र के सामाजिक-आर्थिक उत्थान के लिए

क्षेत्र-विशिष्ट हस्तक्षेप कार्य योजना लागू रही है। जबकि मानव विकास सूचकांकों के अर्थ में असम को छोड़कर पूर्वोत्तर के राज्य भारत के अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर कर रहे हैं परन्तु वे वित्तीय समावेशन के अर्थों में अभी भी काफी पीछे हैं। इसके अतिरिक्त निम्न विकास दर, निम्न जनसंख्या घनत्व और अवसंरचना विकास की कमी ने पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास प्रक्रिया को प्रभावित किया है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सामाजिक समावेशन घनिष्ठ रूप से वित्तीय समावेशन से जुड़ा हुआ है और इस दिशा में सुधारात्मक उपाय किए जाने की जरूरत है (बॉक्स 13.1)। अतः ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य विशेषतया इस क्षेत्र के लिए नीतियों की पुनर्संरचना करके तीव्र और अधिक समावेशी विकास करना है।

गरीबी

13.11 योजना आयोग, जो राष्ट्रीय और राज्य-स्तरों पर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों की संख्या और अनुपात का अनुमान लगाने के लिए नोडल एजेंसी है, लगभग पांच वर्ष के अन्तराल के बाद राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय (एन.एस. एस.ओ.) द्वारा किए गए परिवार के उपभोग पर हुए खर्च के बृहद नमूना सर्वेक्षण के आधार पर गरीबी का अनुमान लगाता है। गरीबी का अनुमान लगाने की विधि की समीक्षा समय-समय पर की जाती रही है। योजना आयोग ने दिसंबर, 2005 में प्रोफेसर सुरेश डी० तेंदुलकर की अध्यक्षता में एक विशेषज्ञ समूह का गठन किया था जिसने दिसंबर 2009 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। तेंदुलकर समिति द्वारा यथा-अनुशासित वर्ष 1993-94 और 2004-05 के लिए गरीबी संबंधी पुनःआकलित अनुमान योजना आयोग द्वारा स्वीकृत कर लिए गए हैं। तेंदुलकर समिति की रिपोर्ट के अनुसार 2004-05 की कीमतों पर राष्ट्रीय गरीबी रेखा ग्रामीण इलाकों में 446.68 रुपये और शहरी इलाकों में 578.80 रुपये का मासिक प्रति व्यक्ति उपभोग व्यय बैठता था। उपर्युक्त गरीबी रेखाएं, जो राष्ट्रीय औसत के संदर्भ में हैं, कीमतों में अन्तर होने के कारण ये गरीबी रेखाएं प्रत्येक राज्य में भिन्न हैं। तेंदुलकर समिति ने अपनी रिपोर्ट में यह उल्लेख किया है कि प्रस्तावित गरीबी रेखाओं को, भोजन, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी गरीबी रेखाओं के आस-पास प्रति व्यक्ति वास्तविक निजी व्यय की पर्याप्तता की जांच करके मान्य किया गया है। ऐसा पोषण, शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी परिणामों के अनुरूप सांकेतिक व्ययों के साथ उनकी तुलना करके किया गया है। मानव-संख्या अनुपात में परिवर्तनों की द्वि-अंकीय तुलना करने के लिए इस विशेषज्ञ समूह ने 1993-94 के लिए गरीबी का पुनःआकलन किया है। 1993-94 और 2004-05 के मानव-संख्या अनुपात, जो कि तेंदुलकर

बॉक्स 13.1 : पूर्वोत्तर के राज्यों में वित्तीय समावेशन

पूर्वोत्तर क्षेत्र देश के भौगोलिक क्षेत्र का 8 प्रतिशत कवर करता है जो जनसंख्या का 3.9 प्रतिशत और अखिल भारतीय निवल घरेलू उत्पाद का 2.7 प्रतिशत बैठता है। विगत दो दशकों के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था में देखी गई तीव्र संवृद्धि के लाभ उचित तरीके से इस क्षेत्र में नहीं पहुंचे हैं। असल में पूर्वोत्तर क्षेत्र में बैंकिंग विकास राष्ट्रीयकरण के बाद का दृश्य ही है। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से पहले अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम में वाणिज्यिक बैंकों की कोई शाखा नहीं थी। वाणिज्यिक बैंकों की दो शाखाएं मणिपुर और नागालैंड में समूचे राज्य की आवश्यकता पूरी करती थीं। हालांकि, असम को चाय और तेल उद्योग के चलते इस क्षेत्र के राज्यों में बैंकों द्वारा ऐतिहासिक रूप से बेहतर ढंग से सेवा दी जाती थी। वर्ष 1969 में बैंकों के राष्ट्रीयकरण से भौगोलिक रूप से व जनसांख्यिकी रूप से बैंकिंग विकास में असाधारण प्रगति की गई थी। यद्यपि निम्न आधार से शुरु करके वाणिज्यिक बैंकों की शाखाओं का नेटवर्क पूर्वोत्तर राज्यों में महत्वपूर्ण रूप से फैला। फिर भी इस क्षेत्र में बैंकिंग विकास अभी भी भारत में सभी अन्य राज्यों से काफी पीछे चल रहा है। इस क्षेत्र के भीतर भी बैंकिंग सेवाओं की उपलब्धता में असमानताएं बड़ी व्यापक और चकाचौंध वाली पाई जाती हैं। निवल राज्य घरेलू उत्पाद में ऋण का अनुपात नागालैंड में 9 प्रतिशत से मेघालय में 41 प्रतिशत है और यह 62 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत से कम है। बैंकिंग क्षेत्र के चालू और बचत खातों का अनुपात प्रति 100 प्रौढ़ व्यक्तियों में मणिपुर में 19.5 प्रतिशत से मेघालय में 40.9 प्रतिशत के बीच है। क्षेत्रीय औसत 37.3 प्रतिशत है जो 59.2 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत की तुलना में स्पष्टतया कम है। वर्ष 2008 के अंत में क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर वाणिज्यिक बैंकों के ऋण/जमा अनुपात लगभग 60 प्रतिशत के अखिल-भारतीय स्तर की तुलना में अरुणाचल प्रदेश में 14 प्रतिशत और मेघालय में 29 प्रतिशत के बीच रहा है। ये सभी बैंकिंग विकास संकेतक बैंकिंग की मंदी प्रगति और इसके परिणामी पूर्वोत्तर के राज्यों में वित्तीय पहुंच के निम्न स्तर को दर्शाते हैं।

उत्तर पूर्वी राज्यों में वित्तीय अपवर्जन-मुख्य संसूचक*

राज्य	बैंक की शाखाएं (संख्या)		प्रति शाखा जनसंख्या (संख्या)	बैंक की शाखाएं प्रति 1000 वर्ग कि.मी.	ऋण जमा अनुपात	जनसंख्या के संबंध में जमा तथा ऋण खातों का अनुपात 2009-10		प्रति व्यक्ति जमा तथा ऋण (राशि रु० में)	
	योग	ग्रामीण				जमा	ऋण	जमा	ऋण
अरुणाचल प्रदेश	80	51	17,282	1	27	37.7	4.1	29843	8218
असम	1,477	791	21,103	19	36	36.8	4.2	15590	5892
मणिपुर	81	35	33,602	3	41	18.1	2.7	9917	4170
मेघालय	213	126	13,916	9	26	30.9	3.9	25785	6605
मिजोरम	98	54	11,133	4	24	29.7	5.4	20525	10916
नागालैंड	90	37	22,007	5	30	24.3	4.6	21140	6406
सिक्किम	74	48	8,252	10	37	56.9	7.2	51561	19188
त्रिपुरा	192	114	19,120	22	25	46.2	8.3	20319	5999
पूर्वोत्तर क्षेत्र	2,342	1256	19,465	9	35	39.8	4.9	16879	6255
अखिल भारतीय	86,960	32,627	13,916	26	73	60.7	9.8	37688	27642

*31 मार्च, 2010 की स्थिति के अनुसार

शेष देश के अनुरूप बनाने के लिए इस क्षेत्र में बैंकिंग के विस्तार को गति देने के लिए अनिवार्य जरूरत है। बैंकिंग विकास एकान्त में नहीं हो सकता। चूंकि भौगोलिक विशेषताओं ने भी बैंकिंग क्षेत्र द्वारा की गई इस सुस्त प्रगति में योगदान किया है इसलिए नियोजित निवेशों के माध्यम से विकास के लिए आवश्यक स्थितियां सृजित करनी होंगी। बैंकिंग क्षेत्र को भी इस क्षेत्र में अपनी उपस्थिति बढ़ाने के लिए विशिष्ट कार्यक्रम बनाने हैं।

स्रोत: जस्टिस के०एस० हेगड़े प्रबंध संस्थान, निट्टे, कर्नाटक द्वारा पूर्वोत्तर के राज्यों में वित्तीय समावेशन का विस्तार करने संबंधी अनुसंधान अध्ययन रिपोर्ट से सारा।

समिति की विधि का प्रयोग करते हुए योजना आयोग द्वारा पहले जारी किए गए थे, सारणी 13.5 में दिए गए हैं। हालांकि तेंदुलकर विधि से 1993-94 और 2004-05 दोनों वर्षों के लिए मानव-संख्या अनुपात के उच्चतर अनुमान प्राप्त हुए हैं, 8.1 प्रतिशत तक के स्तर पर गरीबी में कमी उसी अवधि हेतु लाकड़वाला पद्धति के अनुसार 8.5 प्रतिशतांक से बहुत अधिक भिन्न नहीं है (सारणी 13.10 में अन्तर्राज्यीय तुलना भी देखें)।

असमानता

13.12 एच.डी.आर. 2011 के अनुसार, भारत में 2000-11 अवधि में आय की दृष्टि से असमानता का जीनी गुणांक 36.8 था। भारत का जीनी सूचकांक दक्षिण अफ्रीका (57.8), ब्राजील (53.9), थाइलैंड (53.6), तुर्की (39.7), चीन (41.5), श्रीलंका (40.3), मलेशिया (46.2), वियतनाम (37.6), जैसे तुलनीय देशों के जीनी सूचकांक ही नहीं, यहां तक कि संयुक्त राज्य अमरीका (40.8), हांगकांग

सारणी 13.5 : गरीबी अनुपात (प्रतिशत)

	लकड़वाला विधितंत्र के आधार पर पूर्ण अनुमान (यूआरपी)		तेंदुलकर विधितंत्र के आधार पर अनुमान	
	1993-1994	2004-2005	1993-1994	2004-2005
ग्रामीण	37.3	28.3	50.1	41.8
शहरी	32.4	25.7	31.8	25.7
कुल	36.0	27.5	45.3	37.2

स्रोत: योजना आयोग

यूआरपी: समान संदर्भ अवधि

एमआरपी: मिश्रित संदर्भ अवधि

(43.4) अर्जेन्टीना (45.8), इज़राइल (39.2) और बुल्गारिया (45.3) जिनका अन्यथा भी मानव विकास में बहुत ऊंचा स्थान है, के जीनी सूचकांकों से भी अधिक अनुकूल था।

13.13 शहरी ग्रामीण अंतर की ओर मुड़ते हुए हम प्रत्येक व्यक्ति या परिवार के जीवन-स्तर को इंगित करने हेतु एक मूल्य तय करने के लिए परिवार के स्तर पर पहले परिभाषित मासिक प्रति व्यक्ति व्यय से शुरू करते हैं। राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण (एनएसएस) के 66वें दौर (2009-10) के आधार पर, अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण और शहरी भारत के लिए औसत एमपीसीई (संशोधित मिश्रित संदर्भ अवधि (एमएमआरपी) आधारित) क्रमशः 1054 रुपये और 1984 रुपये है जो ग्रामीण-शहरी आय में मौजूद विषमता का संकेत है। एमपीसीई में से, भोजन का हिस्सा ग्रामीण और शहरी भारत के लिए क्रमशः 600 रुपये (57 प्रतिशत) और 881 रुपये (44 प्रतिशत) है जो इस बात का द्योतक है कि शहरी भारत की तुलना में ग्रामीण भारत में भोजन का हिस्सा अधिक है। (पैरा 13.19 और सारणी 13.10 में अन्तर्राज्यीय तुलनाएं भी देखें।)

रोजगार

13.14 विकास समावेशी हो, इसके लिए जरूरी है कि हो रहे विकास से आजीविका के पर्याप्त अवसर पैदा हों और बढ़ती श्रम-शक्ति की उम्मीदों के अनुरूप रोजगार में समुचित वृद्धि हो। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना (2007-12) में रोजगार के 58 मिलियन अवसरों के सृजन का लक्ष्य रखा गया था। एनएसएसओ के पंचवार्षिक सर्वेक्षण में 2004-05 और 2009-10 के बीच चालू दैनिक प्रास्थिति (सीडीएस) के अंतर्गत रोजगार के 18 मिलियन अवसरों की बढ़ोतरी होने की खबर है। तथापि, समग्र श्रम शक्ति में केवल 11.7 मिलियन की वृद्धि हुई। यह पूर्ववर्ती तुलनात्मक अवधियों से बहुत कम है और इसकी वजह युवा वर्ग का शिक्षा-क्षेत्र में बहुत अधिक संख्या में ठहर जाना तथा कार्यशील आयु की महिलाओं की श्रम-शक्ति में अपेक्षाकृत कम भागीदारी को कहा जा सकता है। परिणामतः कुल मिलाकर बेरोजगारी में

सारणी 13.6 : अनुमानित व्यक्ति/व्यक्ति दिवस

(मिलियन में)

पहुंच	संसूचक	2004-2005	2009-2010
		(एनएसएस 61वां दौर)	(एनएसएस 66वां दौर)
सामान्य (मुख्य+ सहायक) स्थिति (यूपीएसएस)	श्रम शक्ति	469.0	468.8
	कार्य शक्ति	457.9	459.0
	बेरोजगार	11.3	9.8
चालू साप्ताहिक स्थिति (सीडब्ल्यू एस)	श्रम शक्ति	445.2	450.4
	कार्य शक्ति	425.2	434.2
	बेरोजगार	20.0	16.1
चालू दैनिक स्थिति (सीडीएस)	श्रम शक्ति	417.2	428.9
	कार्य शक्ति	382.8	400.8
	बेरोजगार	34.3	28.0

स्रोत: भारत में रोजगार और बेरोजगारी, 2009-10, एनएसएसओ के मुख्य संसूचकों के आधार पर व्युत्पन्न किया गया।

6.3 मिलियन की कमी हुई (सारणी 13.6)। श्रम शक्ति में हो रही कम वृद्धि के जारी रहने की संभावना नहीं है क्योंकि बारहवीं योजना के दौरान और उससे आगे के वर्षों में भी शिक्षित युवा वर्ग द्वारा श्रम शक्ति में अधिकाधिक संख्या में शामिल होने की उम्मीद है। इसका अर्थ यह है कि नौकरियों/आजीविका सृजन की रफ्तार में बहुत तेजी आनी चाहिए। इसलिए बारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में कौशल-निर्माण पर अधिक जोर दिया गया है। जिसे समग्र उत्पादन में श्रम-शक्ति के योगदान और उसकी कारगरता में सुधार लाने के उपकरण के रूप में देखा जा सकता है। इससे उत्पादन क्षमता की उच्चतम सीमा में और विस्तार होगा और अर्थव्यवस्था उच्च विकास के पथ पर अग्रसर हो सकेगी तथा इसे सशक्तिकरण के साधन के रूप में भी देखा जा सकता है।

बेरोजगारी

13.15 वर्ष 2009-10 में बेरोजगारी के विभिन्न अनुमानों की तुलना (सारणी 13.7) दर्शाती है कि बेरोजगारी के सीडीएस अनुमान उच्चतम हैं। साप्ताहिक प्रास्थिति और सामान्य प्रास्थिति की विधि की तुलना में सीडीएस विधि के अनुसार उच्च बेरोजगारी दरें उच्च आवर्ती बेरोजगारी की द्योतक हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि शहरी बेरोजगारी यूपीएसएस और सीडब्ल्यूएस

सारणी 13.7 : एन.एस.एस. को 66वें दौर के लिए अखिल भारत की ग्रामीण और शहरी बेरोजगारी दरें*

क्रम संख्या	अनुमान	ग्रामीण	शहरी	ग्रामीण	शहरी
		2009-2010	2009-2010	2009-2010	2004-2005
1	यू.पी.एस.एस.	1.6	3.4	2.0	2.3
2	सी.डब्ल्यू.एस.	3.3	4.2	3.6	4.4
3	सी.डी.एस.	6.8	5.8	6.6	8.2

स्रोत: भारत में रोजगार और बेरोजगार, 2009-10, एनएसएसओ के मुख्य संसूचक।

सारणी 13.8 : अखिल भारतीय रोजगार तथा बेरोजगारी संसूचक (प्रति 1000)

संसूचक	एनएसएस 66वां दौर (2009-2010)			एनएसएस 61वां दौर (2004-2005)		
	कुल पुरुष	कुल महिला	कुल व्यक्ति	कुल पुरुष	कुल महिला	कुल व्यक्ति
	यूपीएसएस					
एलएफपीआर	557	233	400	559	294	430
कार्य भागीदारी दर	546	228	392	547	287	420
बेरोजगारी दर	20	23	20	22	26	23
	सीडब्ल्यूएस					
एलएफपीआर	550	207	384	550	257	407
कार्य भागीदारी दर	532	198	370	527	244	389
बेरोजगारी दर	33	43	36	42	50	44
	सीडीएस					
एलएफपीआर	540	179	365	538	215	381
कार्य भागीदारी दर	507	164	341	496	195	350
बेरोजगारी दर	61	82	66	78	92	82

स्रोत: भारत में रोजगार और बेरोजगार के प्रमुख संसूचक, 2009-10, एनएसएसओ।

दोनों के तहत अधिक थी लेकिन ग्रामीण बेरोजगारी सीडीएस विधि के अंतर्गत अधिक थी। यह संभवतः शहरी इलाकों के मुकाबले ग्रामीण इलाकों में अधिक आवर्ती या मौसमी बेरोजगारी का संकेत है, यह कुछ ऐसा है जिस पर मनरेगा जैसी रोजगार सृजन की योजनाओं को ध्यान देना चाहिए। तथापि, 2004-05 की तुलना में प्रत्येक विधि के अंतर्गत समग्र बेरोजगारी दरें 2009-10 में अपेक्षाकृत कम थीं। तीनों विधियों के अंतर्गत श्रम-शक्ति भागीदारी दरें (एलएफपीआर) 2004-05 की तुलना में 2009-10 में कम हो गई थी। (सारणी 13.8)। तथापि, प्रत्येक पैमाने में पुरुष एलएफपीआर की तुलना में महिला एलएफपीआर में हुई गिरावट कहीं अधिक थी। पुरुष एलएफपीआर में या तो आंशिक गिरावट हुई (यूपीएसएस) या वह स्थिर रहा (सीडब्ल्यूएस) या उसमें आंशिक वृद्धि हुई (सीडीएस)।

संगठित क्षेत्र में रोजगार

13.16 संगठित क्षेत्र, सरकारी और निजी सम्मिलित, में 2010 में रोजगार में वृद्धि 1.9 प्रतिशत बढ़ी है। जो पिछले वर्ष की वार्षिक वृद्धि से कम है (सारणी 13.9)। निजी क्षेत्र के लिए वार्षिक दर सरकारी क्षेत्र की अपेक्षा काफी अधिक थी। तथापि, दोनों क्षेत्रों के संदर्भ में, 2010 और 2009 में रोजगार में वार्षिक वृद्धि कम हुई थी। संगठित क्षेत्र के रोजगार में महिलाओं का शेयर मार्च 2010 के अंत में 20.4 प्रतिशत था तथा हाल के वर्षों में वह लगभग स्थिर रहा है।

13.17 कुल कार्यशक्ति के केवल 15.6 प्रतिशत के पास 2009-10 के दौरान नियमित मजदूरी रोजगार/वेतन भोगी कार्य था जबकि 33.5 प्रतिशत नैमित्तिक मजदूर थे और 51 प्रतिशत स्वनियोजित थे।

सारणी 13.9 : सरकारी और निजी क्षेत्रों में समग्र रोजगार

क्षेत्र	31 मार्च की स्थिति के अनुसार रोजगार (लाख में)			प्रतिशत परिवर्तन 2009/2008	प्रतिशत परिवर्तन 2010/2009
	2008	2009	2010		
सरकारी	176.74	177.95	178.62	0.7	0.4
निजी	98.75	103.77	108.46	5.1	4.5
कुल (महिला)	275.48 (55.12)	281.72* (55.80)	287.08 (58.59)	2.3	1.9

स्रोत: वार्षिक रोजगार समीक्षा 2010 व 2009, रोजगार एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय, श्रम और रोजगार मंत्रालय।

टिप्पणी: *वर्ष 2009 के लिए पंजाब और उत्तराखंड राज्यों से प्राप्त नए आंकड़ों के आधार पर आंकड़े संशोधित किए गए हैं। पहले 280.98 लाख का आंकड़ा सूचित किया गया था। महिलाओं के रोजगार कोष्ठक में दिए गए हैं।

बॉक्स 13.2 : जुलाई से सितम्बर, 2011 तक भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव के संबंध में बारहवीं त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्ट

चयनित क्षेत्रों अर्थात् परिधान सहित, चमड़ा, धातु, ऑटोमोबाइल, रत्न और आभूषण, परिवहन, सूचना प्रौद्योगिकी (आईटी)/कार्यप्रक्रिया आउटसोर्सिंग (वीसीओ) तथा हथकरघा/पावरलूम, के परिणाम निम्नलिखित हैं:—

- सितम्बर 2011 में समग्र रोजगार सितम्बर, 2010 से 9.11 लाख बढ़ा है, इस अवधि के दौरान सूचना प्रौद्योगिकी/कार्यप्रक्रिया आउटसोर्सिंग क्षेत्र में सबसे अधिक वृद्धि रिकार्ड की गई है (7.96 लाख), इसके बाद धातु में 1.07 लाख, ऑटोमोबाइल में 0.71 लाख, रत्न और आभूषण में 0.08 लाख तथा चमड़ा उद्योग में 0.07 लाख रिकार्ड की गई है।
- जुलाई 2009 से रोजगार में बढ़ता हुआ रुख लगातार देखा गया है। जुलाई से सितम्बर, 2011 की तिमाही के दौरान, चमड़ा और परिवहन को छोड़कर सभी क्षेत्रों में रोजगार में वृद्धि हुई है जिनमें मामूली कमी आयी है। इस तिमाही के दौरान समग्र रोजगार 3.15 लाख बढ़ा है। क्षेत्रक स्तर पर, सूचना प्रौद्योगिकी/कार्य प्रक्रिया आउटसोर्सिंग क्षेत्र में सितम्बर, 2011 की अवधि के दौरान रोजगार में जून, 2011 से अधिकतम 2.04 लाख की वृद्धि हुई है, इसके बाद परिधान सहित वस्त्र में 0.42 लाख, धातु में 0.38 लाख, ऑटोमोबाइल में 0.22 लाख, हथकरघा/पावरलूम में 0.09 लाख, रत्न और आभूषण में 0.07 लाख की वृद्धि हुई।
- सितम्बर, 2011 की अवधि के दौरान निर्यात अभिमुखी इकाइयों में, समग्रस्तर पर रोजगार जून 2011 से 1.96 लाख बढ़ा है जबकि निर्यात न करने वाली इकाइयों में यह 1.16 लाख बढ़ा है।
- अक्टूबर, 2008 (प्रथम समीक्षा) से सितम्बर, 2011 (बारहवीं समीक्षा) की अवधि के दौरान सभी चयनित क्षेत्रों में समग्र अनुमानित रोजगार में 23.58 लाख की निवल बढ़ोत्तरी हुई है।

त्रैमासिक समीक्षा रिपोर्टों के अनुसार 2010-11 में रोजगार की स्थिति

13.18. श्रम ब्यूरो ने भारत में रोजगार पर आर्थिक मंदी के प्रभाव का आकलन करने के लिए बारह त्रैमासिक शीघ्र रोजगार समीक्षाएं आयोजित की थी। ये समीक्षाएं यह दर्शाती हैं कि जुलाई 2009 से रोजगार में उर्ध्वमुखी रुख बनाए रखा गया है (बॉक्स 13.2)।

राज्यों की सामाजिक आर्थिक रूपरेखा और अंतर-राज्य तुलनाएं

मानव विकास: अंतर-राज्य तुलनाएं

13.19. समावेशी विकास में अंतर-राज्य तथा अंतर-क्षेत्रीय असमानताओं की कमी का उद्देश्य भी शामिल है। विभिन्न स्रोतों से उपलब्ध संसूचकों के आधार पर चयनित राज्यों के सामाजिक आर्थिक विकास की अंतर-राज्य तुलनाएं (सारणी 13.10) कुछ दिलचस्प परिणाम दर्शाती हैं।

- वर्ष 1999-2000 तथा 2007-08 में मानव विकास सूचकांक द्वारा राज्यों की रैंकिंग के बीच रैंक सहसंबंध, जैसा कि एनएचडीआर, 2011 में दिया गया है, अत्यधिक ज्यादा (0.97) है जो यह दर्शाता है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले उन्हीं राज्यों ने ही दोनों समयवधियों में अच्छा प्रदर्शन किया है तथा सबसे खराब प्रदर्शन करने वाले राज्यों ने दोनों समयवधियों में खराब प्रदर्शन किया है। दोनों वर्षों में ऊपर के पांच रैंक बेहतर प्रदर्शन करने वाले राज्यों, केरल, दिल्ली, हिमाचल प्रदेश, गोवा व पंजाब के हैं। स्पेक्ट्रम के दूसरे छोर पर तुलनात्मक रूप से गरीब आठ राज्य हैं जो 0.47 के राष्ट्रीय औसत मानव विकास सूचकांक से कम हैं। उनमें बिहार,

छत्तीसगढ़ और राजस्थान 2007-08 में अपनी रैंकिंग से गिर गए हैं जबकि असम और झारखंड ने अपनी रैंकिंग में सुधार किया है। महत्वपूर्ण बात यह है कि असम को छोड़कर सात उत्तर पूर्वी राज्यों (साथ मिलाकर) ने मानव विकास परिणामों के संदर्भ में असाधारण कार्य किया है। आठ वर्ष की अवधि के दौरान, यह समूह तीन रैंक ऊपर हो गया है।

- वर्ष 2009-10 में विकास के संदर्भ में सबसे अच्छा प्रदर्शन उत्तराखंड ने किया था, जिसके बाद उड़ीसा, छत्तीसगढ़ और गुजरात थे तथा सबसे खराब प्रदर्शन कर्नाटक, राजस्थान तथा झारखण्ड ने किया था। 2004-05 से 2009-10 की अवधि के दौरान जिन राज्यों की विकास दर 10 प्रतिशत से अधिक थी, वे झारखंड, इसके बाद महाराष्ट्र, गुजरात और बिहार थे।
- गरीबी का राज्यवार आकलन, जैसाकि तेंदुलकर समिति द्वारा पुनः अधिकलित किया गया है, यह दर्शाता है कि 37.2 प्रतिशत की राष्ट्रीय औसत के मुकाबले 2004-05 में अधिकतम गरीबी मानव संख्या अनुपात (पीएचआर) ओडीशा (57.2 प्रतिशत) में विद्यमान हैं, उसके बाद बिहार (54.4 प्रतिशत) और छत्तीसगढ़ (49.4 प्रतिशत) आते हैं।
- एमपीसीई, जो असमानता के स्तर का बेहतर मापक माना जाता है, दर्शाता है कि अभी राज्यों में एमपीसीई तथा भोजन की हिस्सेदारी, दोनों में असमानता है। बिहार की 780 रुपए जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की हिस्सेदारी 65 प्रतिशत है तथा 1238 रुपए जिसमें शहरी क्षेत्रों में भोजन की हिस्सेदारी 53 प्रतिशत है, एमपीसीई सबसे कम है जबकि केरल की 1835 रुपए, जिसमें ग्रामीण क्षेत्रों में भोजन की हिस्सेदारी 46 प्रतिशत है तथा 2413 रुपए की, जिसमें शहरी क्षेत्रों में भोजन की हिस्सेदारी 40 प्रतिशत है, एमपीसीई सबसे ज्यादा है। जिन राज्यों की औसत एमपीसीई कम है, उनमें कुल उपभोक्ता व्यय में भोजन की अधिक हिस्सेदारी की प्रवृत्ति होती है

सारणी 13.10 : भारत के कुछ प्रमुख राज्यों की सामाजिक-आर्थिक रूपरेखा और अंतर-राज्य तुलना

सामाजिक आर्थिक संकेतक/मदें	आंध्र प्रदेश	असम	बिहार	छत्तीसगढ़	गुजरात	हरियाणा	हिमाचल प्रदेश
जनगणना 2011 के आधार पर जनसंख्या (अनंतिम) (व्यक्ति हजार में) *	84,666	31,169	103,805	25,540	60,384	25,353	6857
एचडीआई तथा इसके घटकों के आधार पर राज्यों की रैंकिंग, 2007-08**							
एचडीआई रैंकिंग 2007-08	15(15)	16(17)	21(19)	23(21)	11(10)	9(7)	3(4)
एचडीआई 2007-08	0.473	0.444	0.367	0.358	0.527	0.552	0.652
स्वास्थ्य सूचकांक 2008	0.580	0.407	0.563	0.417	0.633	0.627	0.717
आय सूचकांक 2007-08	0.287	0.288	0.127	0.133	0.371	0.408	0.491
शिक्षा सूचकांक 2007-08	0.553	0.636	0.409	0.526	0.577	0.622	0.747
विकास संबद्ध (2 अगस्त, 2011 की स्थिति के अनुसार स्थिर मूल्यों (2004-05) पर राज्यों-जीएसडीपी के पिछले वर्ष की तुलना में वृद्धि) #							
2009-10	5.79	8.08	9.30	10.29	10.23	9.95	8.12
2004-05 से 2009-10 तक औसत	8.72	5.55	10.01	9.82	10.31	9.74	8.31
गरीबी व्यक्ति गणना अनुपात (एचसीआर) (प्रकाशित)***							
2004-05 (ग्रामीण)	32.3	36.4	55.7	55.1	39.1	24.8	25.0
2004-05 (शहरी)	23.4	21.8	43.7	28.4	20.1	22.4	4.6
2004-05 (कुल)	29.9	34.4	54.4	49.4	31.8	24.1	22.9
1993-94 (ग्रामीण)	48.1	54.9	62.3	55.9	43.1	40.0	36.7
1993-94 (शहरी)	35.2	27.7	44.7	28.1	28.0	24.2	13.6
1993-94 (कुल)	44.6	51.8	60.5	50.9	37.8	35.9	34.6
औसत मासिक प्रति व्यक्ति व्यय (एमपीसीई) (एमएमआरपी) तथा भोजन श्रेयर##							
औसत एमपीसीई (ग्रामीण) (रु०)	1234	1003	780	784	1110	1510	1536
भोजन का प्रशित (शहरी)	58.1	64.4	64.7	58.2	57.7	54.0	उ.न.
औसत एमपीसीई (ग्रामीण) (रु०)	2238	1755	1238	1647	1909	2321	2654
भोजन का प्रशित (शहरी)	44.8	52.9	52.9	43.7	46.2	43.1	उ.न.
सामान्य स्थिति (समायोजित) के अनुसार बेरोजगारी दर (प्रति 1000) ##							
ग्रामीण	12	39	20	6	8	18	16
शहरी	31	52	73	29	18	25	49
स्वास्थ्य संबद्ध (जन्म के समय जीवन प्रत्याशा) (2002-06) \$							
पुरुष	62.9	58.6	62.2	उ.न.	62.9	65.9	66.5
महिला	65.5	59.3	60.4	उ.न.	65.2	66.3	67.3
शिशु मृत्यु दरें (प्रति हजार जीवित जन्म) 2009*	46	58	48	51	44	48	40
जन्म दर (प्रति हजार) 2010*	17.9	23.2	28.1	25.3	21.8	22.3	16.9
जन्म दर (प्रति हजार) 2010*	7.6	8.2	6.8	8.0	6.7	6.6	6.9
शिक्षा संबद्ध \$\$							
जीईआर (6-10 वर्ष) (2008-09) कुल	96.4	135.6	113.4	141.1	121.1	89.9	111.0
जीईआर (11-13 वर्ष) (2008-09) कुल	77.3	37.0	49.2	92.8	87.1	73.0	114.1
जीईआर (6-13 वर्ष) (2008-09) कुल	88.9	97.6	88.9	123.0	108.2	83.4	112.2
विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (2009-10)							
पूर्व प्राथमिक-प्राथमिक जूनियर बेसिक स्कूल	32	28	80	29	30	52	15
विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (2009-10) माध्यमिक सीनियर बेसिक स्कूल	27	21	53	23	36	41	13
विद्यार्थी-शिक्षक अनुपात (2009-10) हाई पोस्ट बेसिक स्कूल	29	22	59	39	29	26	23
मुख्य सामाजिक क्षेत्र कार्यक्रम							
एनआरएचएम के अंतर्गत प्रगति 24x7 (30.9.2011 की स्थिति के अनुसार प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र)\$	800	415	480	67	321	298	95
महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 2010-11 के दौरान एचएच द्वारा उपलब्ध कराए गए रोजगार का प्रतिशत@	11.28	3.27	8.62	4.52	1.99	0.43	0.81
महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत 2010-11 के दौरान रोजगार में प्रतिशत श्रेयर							
अनुसूचित जाति	24.32	10.99	45.40	14.57	14.54	48.93	32.58
अनुसूचित जनजाति	16.02	27.26	2.14	36.51	41.18	0.00	8.19
महिला	57.05	26.51	28.5	48.63	44.23	35.62	48.25
इंदिरा आवास योजना (आईएवाई) 2010-11 के दौरान निर्मित मकानों की (संख्या) @	257104	156911	566148	58419	167313	18055	5834
आईएवाई के अंतर्गत 2010-11 के दौरान कुल निर्मित मकानों का प्रतिशत श्रेयर	9.47	5.78	20.85	2.15	6.16	0.66	0.21

स्रोत: * : भारत के महापंजीयक का कार्यालय।

** : भारत एचडीआई 2011 (कोष्ठक में आंकड़े 1999-2000 के दौरान एचडीआई रैंकिंग दर्शाते हैं)।

*** : योजना आयोग।

\$: स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय।

@ : मानव संसाधन विकास मंत्रालय।

: सीएसओ: केंद्रीय सांख्यिकी संगठन एनएसएस (66 वां दौर) 2009-10 ग्रामीण विकास मंत्रालय की डीएमयू/एमपीआर उ.न. उपलब्ध नहीं।

झारखंड	कर्नाटक	केरल	मध्य प्रदेश	महाराष्ट्र	उड़ीसा	पंजाब	राजस्थान	तमिलनाडु	उत्तर प्रदेश	उत्तराखंड	पश्चिमी बंगाल	अखिल भारत
32,966	61,131	33,388	72,598	112,373	41,947	27,704	68,621	72,139	199,581	10117	91,348	1,210,193
19(23)	12(12)	1(2)	20(20)	7(6)	22(22)	5(5)	17(14)	8(8)	18(18)	14(16)	13(13)	
0.376	0.519	0.790	0.375	0.572	0.362	0.605	0.434	0.570	0.380	0.490	0.492	0.467
0.500	0.627	0.817	0.430	0.650	0.450	0.667	0.587	0.637	0.473	0.530	0.650	0.563
0.142	0.326	0.629	0.173	0.351	0.139	0.495	0.253	0.355	0.175	0.302	0.252	0.271
0.485	0.605	0.924	0.522	0.715	0.499	0.654	0.462	0.719	0.492	0.638	0.575	0.568
5.30	3.88	9.73	8.49	8.08	10.57	7.57	4.30	9.43	6.99	11.61	8.44	7.96
4.59	8.65	8.74	7.11	11.17	9.44	7.69	6.98	9.92	7.11	14.06	7.04	8.63
51.6	37.5	20.2	53.6	47.9	60.8	22.1	35.8	37.5	42.7	35.1	38.2	41.8
23.8	25.9	18.4	35.1	25.6	37.6	18.7	29.7	19.7	34.1	26.2	24.4	25.7
45.3	33.4	19.7	48.6	38.1	57.2	20.9	34.4	28.9	40.9	32.7	34.3	37.2
65.9	56.6	33.9	49.0	59.3	63.0	20.3	40.8	51.0	50.9	36.7	42.5	50.1
41.8	34.2	23.9	31.8	30.3	34.5	27.2	29.9	33.7	38.3	18.7	31.2	31.8
60.7	49.5	31.3	44.6	47.8	59.1	22.4	38.3	44.6	48.4	32.0	39.4	45.3
825	1020	1835	903	1153	818	1649	1179	1160	899	1747	952	1054
60.9	56.5	45.9	55.8	54.0	61.9	48.2	54.8	54.7	57.9	NA	63.5	57.0
1584	2053	2413	1666	2437	1548	2109	1663	1948	1574	1745	1965	1984
51.5	42.3	40.2	41.7	41.0	48.4	44.3	48.0	45.0	46.3	NA	46.2	44.4
39	5	75	7	6	30	26	4	15	10	16	19	16
63	27	73	29	32	42	48	22	32	29	29	40	34
उ.न.	63.6	71.4	58.1	66.0	59.5	68.4	61.5	65.0	60.3	NA	64.1	62.6
उ.न.	67.1	76.3	57.9	68.4	59.6	70.4	62.3	67.4	59.5	NA	65.8	64.2
42	38	13	62	28	61	34	55	24	61	38	31	47
25.3	19.2	14.8	27.3	17.1	20.5	16.6	26.7	15.9	28.3	19.3	16.8	22.1
7.0	7.1	7.0	8.3	6.5	8.6	7.0	6.7	7.6	8.1	6.3	6.0	7.2
151.0	106.6	91.4	150.0	103.0	121.0	73.0	118.5	118.3	110.5	110.7	102.0	114.4
66.2	91.0	101.5	102.2	89.0	84.8	69.9	84.0	115.4	54.2	111.2	74.0	76.2
118.4	100.6	95.2	132.2	97.6	106.9	71.8	105.4	117.2	89.4	109.2	91.0	99.8
73	18	30	41	33	33	35	44	43	67	24	34	42
55	29	26	32	32	27	14	28	49	78	27	33	34
60	24	27	32	34	22	29	22	38	57	18	51	30
23	1001	175	241	543	158	243	1100	1154	405	94	248	8330
3.62	4.05	2.14	8.02	0.82	3.65	0.51	10.66	9.04	11.70	0.99	9.10	100.00
13.44	16.16	16.22	19.34	22.00	18.13	78.31	25.50	57.71	53.96	26.37	36.91	30.63
42.08	9.36	3.10	43.45	25.57	35.55	0.02	23.28	2.19	2.10	4.24	13.41	20.85
33.47	46.01	90.39	44.4	45.88	39.4	33.83	68.34	82.59	21.42	40.3	33.69	47.73
167254	95567	54843	79097	156575	171223	20483	63464	96256	305376	15924	178832	2715453
6.16	3.52	2.02	2.91	5.77	6.31	0.75	2.34	3.54	11.25	0.59	6.59	100

क्योंकि भोजन जीवन की प्राथमिक आवश्यकता है और जनसंख्या के गरीब तबकों में समग्र व्यय का अधिक अनुपात ग्रहण करता है। शीर्ष राज्य, जो भारत के ग्रामीण और शहरी, दोनों हिस्सों में भोजन की मदों पर राष्ट्रीय औसत से ज्यादा खर्च कर रहे हैं, वे बिहार, असम, उड़ीसा व झारखंड हैं।

- एनएसएस के 66वां दौर, 2009-10 के अनुसार सामान्य स्थिति (समायोजित) के अनुसार मुख्य राज्यों में बेरोजगारी दर (प्रति 1000) ग्रामीण क्षेत्रों में राजस्थान (4) में सबसे कम और केरल (75) में सबसे ज्यादा है तथा शहरी क्षेत्रों में गुजरात (18) में सबसे कम और केरल (73) में तथा बिहार (73) में सबसे ज्यादा है।
- वर्ष 2002-06 के दौरान जन्म (पुरुष और महिला दोनों) पर जीवन प्रत्याशा के संदर्भ में स्वास्थ्यवार, केरल का प्रदर्शन सबसे बढ़िया और मध्यप्रदेश का सबसे खराब रहा है। 2010 में आईएमआर भी केरल में सबसे कम और मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा है। 2010 में केरल में सबसे कम और उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा जन्म दर रही है, इसके बाद बिहार और मध्य प्रदेश आते हैं। मृत्यु दर ओडीसा की सबसे ज्यादा और रोचक रूप से पश्चिम बंगाल में सबसे कम मृत्यु दर रही है।
- शिक्षा के क्षेत्र में, 2008-09 में जीईआर (6-13 वर्ष) मध्य प्रदेश में सबसे ज्यादा और पंजाब से सबसे कम रही है। प्राथमिक और माध्यमिक/बेसिक स्कूलों में शिष्य-अध्यापक अनुपात हिमाचल में सबसे कम और बिहार और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक है।
- जबकि कुछ सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के लिए राज्यवार संसूचक हैं, यह संभव नहीं है कि सिर्फ अंकों के आधार पर राज्यों के प्रदर्शन का मूल्यांकन किया जाए। 2010-11 में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (एमजीएनआरईजीए) के अंतर्गत परिवारों को उपलब्ध कराए गए रोजगार का प्रतिशत उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा और हरियाणा में सबसे कम है। सितम्बर, 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन (एनआरएचएम) के अंतर्गत 24x7 प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (पीएचसी) के संदर्भ में प्रगति तमिलनाडु में सबसे ज्यादा और झारखंड में सबसे कम है। आईएवाई के अंतर्गत 2010-11 के दौरान निर्मित कुल मकानों का प्रतिशत हिस्सा बिहार के बाद उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, जबकि हिमाचल प्रदेश में सबसे कम है।

गरीबी उन्मूलन और रोजगार-सृजन कार्यक्रम

13.20. समावेशी विकास की प्राप्ति के लिए, भारत सरकार अनेक

गरीबी-उन्मूलन तथा रोजगार सृजन के कार्यक्रम कार्यान्वित कर रही है। कुछ महत्वपूर्ण योजनाएं निम्नलिखित हैं:—

(i) मनरेगा









13.21 भारत सरकार के इस प्लैगशिप कार्यक्रम का उद्देश्य उस प्रत्येक परिवार को, जिसके प्रौढ़ सदस्य स्वेच्छा से बिना कौशल का शारीरिक कार्य करना चाहते हैं, वित्तीय वर्ष में कम से कम सौ दिवसों की गारंटीयुक्त मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा को बढ़ाना है। यह महिलाओं की 1/3 भागीदारी का भी अधिदेश देता है। योजना का प्राथमिक उद्देश्य वेतन रोजगार को बढ़ाना है। यह कार्य ऐसे कार्यों के माध्यम से किया जाना है जो प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के सुदृढीकरण पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सूखा, वनों की कटाई और मृदाक्षरण जैसे गरीबी के मूल कारणों को दूर करते हैं और इस प्रकार सतत विकास को प्रोत्साहन देते हैं। मनरेगा पहले चरण में 2 फरवरी, 2006 से 200 जिलों में अधिसूचित किया गया था और वित्तीय वर्ष 2007-08 में इसे 130 और जिलों पर लागू किया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों वाले शेष जिले 1 अप्रैल, 2008 से इस अधिनियम के अंतर्गत लाए गए। 2011-12 के लिए अनुमोदित 40,000 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय में से, 21,471.92 करोड़ रुपए राज्यों/संघशासित क्षेत्रों को जारी किए गए हैं तथा (1 अप्रैल, 2011 को) 18,185.23 करोड़ रुपए के प्रारंभिक शेष के साथ राज्यों के पास उपलब्ध कुल निधियां 41,615.05 करोड़ रुपए हैं। इनमें से 21,124.74 करोड़

बॉक्स 13.3 : मनरेगा : प्रभावी कार्यान्वयन के लिए मुख्य पहलें

मनरेगा के प्रभावी कार्यान्वयन हेतु पिछले वर्ष की आर्थिक समीक्षा में दर्शायी गई प्रमुख पहलों के अलावा निम्नलिखित भी शामिल हैं:—

- (क) मनरेगा के कार्यान्वयन में **पारदर्शिता** तथा **जवाबदेही** को सुदृढ बनाने के लिए सरकार ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी (आईसीटी) तथा सरकारी निजी भागीदारी (पीपीपी) आधार पर मनरेगा के बायोमैट्रिक संबंधी कार्यों के लिए सेवा प्रदान करने की परियोजना प्रारंभ की है।
- (ख) **मजदूरी दर**: मनरेगा के अंतर्गत हकदारी के रूप में 100 रुपए प्रतिदिन की वास्तविक मजदूरी प्रदान करने के लिए बजट 2009-10 की घोषणा के अनुसरण में, भारत सरकार ने मनरेगा मजदूरी दरों को निश्चित करने तथा उनके आवधिक संशोधन के लिए सूचकांक विकसित करने हेतु एक समिति गठित की थी। इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है। ऐसे समय के लिए समिति द्वारा सतोषजनक सूचकांक प्रस्तावित किया गया है और सरकार ने इसे स्वीकार कर लिया है। भारत सरकार ने मनरेगा के अंतर्गत अधिसूचित मजदूरी दरों को श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक तक सूचकांकित करने का निर्णय लिया है। तदनुसार, मनरेगा 2005 की धारा (6) की उप-धारा (1) के अंतर्गत संशोधित मजदूरी दरें 14 जनवरी, 2011 को अधिसूचित की गई हैं।

चित्र 13.1 वर्ष 2006-07 से 2010-11 तक महात्मा गांधी नरेगा का निष्पादन (राष्ट्रीय सिंहावलोकन)



रुपए का उपयोग कर लिया गया है जैसाकि 19 जनवरी, 2012 को सूचित किया गया है इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 3.80 करोड़ परिवारों को रोजगार उपलब्ध कराया गया है। इसी अवधि के दौरान, देश में 122.37 करोड़ व्यक्ति दिवस रोजगार सृजित किए गए हैं जिनमें से 60.45 करोड़ महिला (49.40 प्रतिशत), 27.27 करोड़ (22.62 प्रतिशत) अनुसूचित जाति तथा 20.97 करोड़ (17.13 प्रतिशत) अनुसूचित जनजाति के लिए थे। राष्ट्रीय स्तर पर, मनरेगा के अंतर्गत भुगतान की गई औसत मजदूरी वित्तीय वर्ष 2006-07 में 65 रुपए से बढ़ाकर वित्तीय वर्ष 2011-12 (नवम्बर, 2011 तक) में 120 रुपए तक कर दी गई थी। इससे क्रयशक्ति में पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। जिससे भारत में ग्रामीण क्षेत्रों के गरीबों की आजीविका संसाधन का आधार सुदृढ़ हुआ है। मनरेगा ने कृषक मजदूरों की सौदेबाजी की क्षमता को सफलतापूर्वक बढ़ाया है, जिससे कृषि संबंधी मजदूरी बढ़ी है, आर्थिक परिणामों में सुधार हुआ है तथा विपत्ति के दौरान होने वाले उत्प्रवास में कमी आयी है। तथापि, परियोजना डिजाइन की बेहतर आयोजना से तथा पंचायती संस्थानों (पीआरआई) की क्षमता निर्माण से, कार्यान्वयन की कमियों को काफी हद तक कम किया जा सकता है तथा इस प्रकार सृजित की गई परिस्थितियां बढ़ती हुई भूमि की उत्पादकता में काफी-योगदान कर सकती हैं। मनरेगा के बेहतर और अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए काफी उपाय किए जा रहे हैं (बॉक्स 13.3)। इसके प्रारंभ से मनरेगा का प्रदर्शन परिवारों को प्रदान किए गए नए रोजगार, प्रति व्यक्ति दिवस औसत मजदूरी तथा सृजित कुल व्यक्ति दिवसों में महिलाओं के प्रतिशत हिस्से के संदर्भ में बढ़ता हुआ रुख दर्शा रहा है। यद्यपि, अब महिलाओं का हिस्सा 48 प्रतिशत पर रुक गया है, जो अधिनियम के 1/3 के निर्धारण से काफी अधिक है। निरपेक्ष संदर्भ तथा प्रति परिवार औसत व्यक्ति दिवसों, दोनों में सृजित व्यक्ति दिवसों ने तथापि 2010-11 में कुछ कमी दर्शायी है (चित्र 13.1 देखें) जो इस तथ्य के कारण है कि अच्छे मानसून के कारण मांग कम हो गई है। जबकि मनरेगा का समग्र प्रदर्शन अच्छा रहा है, फिर भी सुधारों की गुंजाइश है जैसे केन्द्रित आयोजना, स्थायी परिसंपत्ति की ओर स्थानांतरण तथा अवसर-रचना निर्माण संबंधी गतिविधियां, वर्धित रोजगार योग्यता के लिए कौशल उन्नयन, लेनदेन लागतों को घटाना, बेहतर मानीटरिंग, कृषि में खराब मौसमों को टालना, तथा शहरी क्षेत्रों तक विस्तार (पैरा 13.19 तथा सारणी 13.10 में 2010-11 के दौरान राज्यवार प्रदर्शन भी देखें)

(ii) स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना

13.22 स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (एसजीएसवाई) एक स्वरोजगार कार्यक्रम है जिसका उद्देश्य बैंक ऋण और सरकारी सब्सिडी के मिश्रण से आय अर्जित करने वाले आर्थिक कार्यकलापों की शुरुआत करने के लिए सहायता देकर गरीबी रेखा से ऊपर गरीब ग्रामीण परिवारों की सहायता करना है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना विशेष रूप से ग्रामीण गरीबों में असुरक्षित वर्गों

पर ध्यान देती है। जिसमें कम से कम 50% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा 40% महिला स्वरोजगारी हैं। अप्रैल, 1999 में इसके प्रारंभ से सितम्बर, 2011 तक, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत 42.05 लाख स्वयं सहायता समूह बनाए गए हैं जिनमें से 29.38 लाख स्वयं सहायता समूहों ने ग्रेड I तथा 14.16 लाख ने ग्रेड II पास कर लिया है जिसमें महिला स्वयं-सहायता समूह कुल का लगभग 60% है। इस अवधि के दौरान, लगभग 168.46 लाख स्वरोजगारियों की बैंक ऋण और सब्सिडी से सहायता की गई है। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत कुल निवेश 42,168.42 करोड़ रुपए है जिसमें संवितरित 28,824.53 करोड़ रुपए ऋण के रूप में तथा 13,343.89 करोड़ रुपए सब्सिडी के रूप में शामिल हैं। स्वर्ण जयंती स्व-रोजगार योजना के विशेष परियोजना घटक के अंतर्गत, नियोजन से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम प्रारंभ किया गया है जिसमें 1654 करोड़ रुपए के परिव्यय से अभी तक 148 परियोजनाएं स्वीकृत/अनुमोदित की गई हैं। अभी तक लगभग 4 लाख युवा पहले ही प्रशिक्षित किए जा चुके हैं/प्रशिक्षणाधीन हैं और 3 लाख नियोजित किए गए हैं। देश के प्रत्येक जिले में, ग्रामीण बीपीएल युवाओं को सूक्ष्म उद्यम और मजदूरी रोजगार प्रारंभ करने के लिए सक्षम बनाने हेतु मूलभूत एवं कौशल विकास प्रशिक्षण के लिए ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान (आरएसईटीआई) की स्थापना की जाएगी। सरकार ने 329 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान अनुमोदित किए हैं जिनमें से 264 को धनराशि प्रदान की गई है। 2010-11 तथा 2011-12 (नवम्बर, 2011 तक) देश में संचालनरत 264 ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों में लगभग 183,765 ग्रामीण युवाओं (जिसमें 137,147 बीपीएल युवा शामिल हैं) को प्रशिक्षण दिया गया था। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना की अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के रूप में पुनर्संरचना की गई है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन का उद्देश्य गरीब परिवारों को लाभदायक स्वरोजगार तथा कौशल मजदूरी वाले रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में सक्षम बनाकर गरीबी को घटाना है। इसका परिणाम मजबूत और निचले स्तर के संस्थानों का निर्माण करके सम्पौषणीय आधार पर उनकी आजीविका में प्रशंसीनीय सुधार होना चाहिए। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की मुख्य विशेषताएं हैं:- (क) प्रत्येक पहचाने गए ग्रामीण गरीब परिवार से कम से कम एक सदस्य, अधिमानतः महिला, समयबद्ध ढंग से स्वयं-सहायता समूह के नेटवर्क के अंतर्गत लायी जाएगी, अंतिम लक्ष्य बीपीएल परिवारों का 100% कवरेज है; (ख) विदेशी एजेंसियों पर निर्भरता को कम करने के लिए गरीबों की मजबूत संस्थाओं की स्थापना जैसे स्वयं-सहायता समूह का गठन (ग) लक्षित परिवारों, स्वयंसहायता समूहों, उनके परिसंघों, सरकारी कार्यकर्ताओं, बैंकों, गैर-सरकारी संगठनों तथा अन्य प्रमुख हितधारकों के सतत क्षमता निर्माण के लिए परिकल्पित एक बहुआयामी पहुंच; (घ) परिक्रामी निधि तथा पूंजीगत सब्सिडी के रूप में उपलब्ध होने वाली सब्सिडी तथा लम्बे समय में अपनी ऋण संबंधी जरूरतों तथा थोड़े समय में तत्काल उपभोक्ता संबंधी

जरूरतों को पूरा करने के लिए अपनी निधियों की बचत तथा संग्रहण की आदत डालने के लिए प्रोत्साहन के रूप में पूंजी सब्सिडी (ड) सभी गरीब परिवारों, स्वयं-सहायता समूहों और उनके परिसंघों को, वित्तीय समावेश की मांग और पूर्ति दोनों पक्षों पर, मूलभूत बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के अतिरिक्त सार्वभौमिक वित्तीय समावेश हेतु कार्य करना; (च) वहनीय ऋण को सुनिश्चित करने के लिए, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के पास सभी पात्र स्वयं-सहायता समूहों के लिए, जिन्होंने तुरंत ऋण अदायगी के आधार पर मुख्य वित्तीय संस्थाओं से ऋण लिया है, 7 प्रतिशत प्रति वर्ष से अधिक की ब्याज दरों पर सब्सिडी का प्रावधान किया गया है; (छ) विद्यमान आजीविकाओं को स्थायी बनाने और उनमें वृद्धि करने पर ध्यान देना तथा बाद में उनको परिवर्तित करना; (ज) पिछड़े और अग्रिम संपर्कों को विकसित करना तथा व्यवसाय की योजनाओं का समर्थन; (झ) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम (एनएसडीसी) जो इस प्रयास का अग्रणी भागीदार है तथा इस प्रयोजन के लिए चिन्हित राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत केन्द्रीय आवंटन के 15 प्रतिशत के साथ भागीदारी प्रणाली के जरिए कौशल उन्नयन और नियोजन पर ध्यान देना और (ञ) केन्द्रीय आवंटन का 5 प्रतिशत नवीनता के लिए चिन्हित किया जाएगा।

(iii) स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना

13.23. स्वरोजगार उद्यम की स्थापना अथवा मजदूरी रोजगार के प्रावधान को प्रोत्साहन देकर शहरी बेरोजगारों और अल्परोजगार वालों के लिए लाभप्रद रोजगार प्रदान करने के लिए 1 दिसम्बर, 1997 को भारत सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना प्रारंभ की गई थी। इस योजना में पिछले तीन शहरी गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रम शामिल हैं और शहरी स्वरोजगार कार्यक्रम, शहरी महिला स्वयं-सहायता कार्यक्रम, शहरी गरीबों में रोजगार में बढ़ावा देने के लिए कौशल प्रशिक्षण, शहरी मजदूरी रोजगार कार्यक्रम और शहरी समुदाय विकास नेटवर्क को शामिल करने के लिए अप्रैल, 2009 से इसमें आमूल-चल परिवर्तन भी किया गया था। वर्ष 2011-12 के लिए स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना के लिए वार्षिक बजटीय प्रावधान 813.00 करोड़ रुपए है तथा 16 फरवरी, 2012 तक 676.80 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं। वर्ष 2011-12 में कुल 363,794 लाभार्थियों को सहायता प्रदान की गई है।

सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम

13.24 कुल कार्य बल में अनौपचारिक क्षेत्र के हिस्से के महत्व को ध्यान में रखते हुए सरकार सामाजिक सुरक्षा स्कीमों की व्याप्ति के विस्तार पर ध्यान केन्द्रित करती रही है ताकि असंगठित क्षेत्र में कामगारों को न्यूनतम स्तर की सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जा सके और व्यापक विकास सुनिश्चित किया जा सके। इनमें निम्नलिखित शामिल हैं:

* **आम आदमी बीमा योजना (एबीवाई):** दिनांक 2 अक्टूबर, 2007 को प्रारंभ की गई इस योजना के अंतर्गत, देश में ग्रामीण

भूमिहीन परिवार के मुखिया को प्राकृतिक एवं दुर्घटना संबंधी तथा आशिक/स्थायी विकलांगता होने पर बीमा प्रदान किया जाता है। योजना के अंतर्गत, परिवार का मुखिया अथवा कमाने वाला सदस्य प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000 रुपए, दुर्घटनावश मृत्यु होने पर 75,000 रुपए, पूर्ण स्थायी विकलांगता होने पर 75,000 रुपए तथा आशिक स्थायी विकलांगता होने पर 37,500 रुपए का लाभ प्राप्त करने का पात्र है। योजना के अंतर्गत 31 जनवरी, 2012 तक देश में 1.97 करोड़ लोगों को बीमा कवरेज प्रदान किया गया है।

* **जनश्री बीमा योजना (जेबीवाई):** जनश्री बीमा योजना गरीबी रेखा से नीचे तथा उससे थोड़ा ऊपर रहने वाले ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए ग्रामीण और शहरी व्यक्तियों को जीवन बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए 10 अगस्त, 2000 को प्रारंभ की गई थी। 18 से 59 वर्ष के बीच की आयु के व्यक्ति तथा जो पहचाने गए 45 व्यावसायिक समूहों के सदस्य हैं, इस नीति में भाग लेने के पात्र हैं। यह योजना प्राकृतिक मृत्यु होने पर 30,000 रुपए, दुर्घटना के कारण हुई मृत्यु अथवा पूर्ण स्थायी विकलांगता होने पर 75,000 रुपए और आशिक स्थायी विकलांगता में 37,500 रुपए का कवरेज प्रदान करती है। 2010-11 के दौरान, जनश्री बीमा योजना के अंतर्गत कुल 2.09 करोड़ लोगों को कवर किया गया है।

* **राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना (आरएसबीवाई):** राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना असंगठित क्षेत्र में बीपीएल परिवारों (पांच की इकाई) को परिवार उत्प्लावक आधार पर प्रति परिवार प्रति वर्ष 30,000 रुपए का स्मार्ट-कार्ड-आधारित धनरहित (कैशलैस) स्वास्थ्य बीमा कवर प्रदान करने के लिए 1 अक्टूबर, 2007 को प्रारंभ की गई थी। 1 अप्रैल, 2008 से यह योजना प्रचालन में आयी। प्रीमियम को 75:25 आधार पर केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा बांटा जाता है। उत्तर पूर्वी राज्यों तथा जम्मू और कश्मीर के मामले में, प्रीमियम को 90:10 के अनुपात में बांटा जाता है। योजना प्रवासी श्रमिकों के लिए कार्ड मूल्य को विभाजित करके स्मार्ट कार्डों की सुवाह्यता को उपलब्ध कराती है। 20 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार, यह योजना 23 राज्यों/संघशासित क्षेत्रों नामतः अरुणाचल प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, झारखंड कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, उड़ीसा, पंजाब, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल और चंडीगढ़ प्रशासन में कार्यान्वित की जा रही है। 2.55 करोड़ से ज्यादा स्मार्ट कार्ड जारी किए जा चुके हैं।

● **असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा अधिनियम 2008:** यह अधिनियम 16 मई, 2009 को लागू हुआ जिसका उद्देश्य असंगठित श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना था। असंगठित श्रमिक सामाजिक सुरक्षा नियमावली 2009 भी

तैयार की जा चुकी है। 2009 में राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड का गठन एक अन्य महत्वपूर्ण कदम था। बोर्ड ने सिफारिश की है कि सामाजिक सुरक्षा योजनाएं नामतः स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने वाली राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मृत्यु व विकलांगता कवर प्रदान करने वाली जनश्री बीमा योजना और वृद्धावस्था पेंशन प्रदान करने वाली इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेंशन योजना, भवन व अन्य निर्माण संबंधी श्रमिकों, मनरेगा श्रमिकों, आशा श्रमिकों, आंगनवाड़ी श्रमिकों तथा हैल्परों, पोर्टरों/कुलियों/गैंगमैनों तथा नैमित्तिक और दैनिक मजदूरों पर भी लागू की जा जाए।

- **राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि:** 1000 करोड़ रुपए के प्रारंभिक आबंटन के साथ असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए एक राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा निधि की स्थापना की गई है। यह निधि बुनकरों, ताड़ी निकालने वालों, रिक्शा चालकों, बीड़ी बनानेवालों आदि के लिए योजनाओं की सहायता करेगी।
- **द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करार:** पारस्परिक आधार पर प्रवासी श्रमिकों तथा कंपनियों के हितों की रक्षा के लिए बेल्जियम, स्विटजरलैंड, नीदरलैंड, डेनमार्क और नार्वे के साथ-द्विपक्षीय सामाजिक सुरक्षा करारों पर हस्ताक्षर किए गए हैं। ये करार तैनाती के मामले में सामाजिक सुरक्षा संबंधी अंशदान से छूट, अंशदान अवधि के राशिकरण, अपने देश अथवा किसी अन्य देश में पुनः तैनाती के मामले में पेंशन को भेजने में छूट उपलब्ध कराकर श्रमिकों की सहायता करते हैं।

ग्रामीण अवसंरचना और विकास

13.25 भारत सरकार ने अधिकाधिक ग्रामीण-शहरी एकीकरण तथा समाज के निर्धन एवं सुविधा वंचित वर्गों के विकास की समान पद्धति तैयार करने के उद्देश्य से ग्रामीण अवसंरचना के निर्माण को सर्वोच्च प्राथमिकता देती आ रही है। इसको प्राप्त करने वाले कार्यक्रमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

भारत निर्माण : ग्रामीण क्षेत्रों में अवसंरचना और मूलभूत सुविधाओं के निर्माण के लिए 2005-06 में प्रारंभ किए गए इस कार्यक्रम के छह घटक हैं अर्थात् ग्रामीण आवास, सिंचाई क्षमता, पेय जल, ग्रामीण सड़कें, विद्युतीकरण और ग्रामीण टेलीफोन। 1000 की आबादी (पर्वतीय अथवा आदिवासी क्षेत्रों में 500) वाले सभी गांवों को बारहमासी सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। भारत निर्माण के अंतर्गत कुल 63,940 बस्तियों के लिए नई संपर्क सड़कों के निर्माण का प्रस्ताव है। इसके लिए 189,897 कि॰मी॰ ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना होगा। इसके अलावा भारत निर्माण में 1,94,130 किलोमीटर विद्यमान ग्रामीण सड़कों के उन्नयन/नवीकरण की परिकल्पना है। भारत निर्माण के ग्रामीण

सड़क घटक के अंतर्गत दिसम्बर, 2011 तक 42,249 बस्तियों को बारहमासी सड़क संपर्क प्रदान किया जा चुका है तथा 10,126 बस्तियों को जोड़ने के लिए सड़क परियोजनाएं कार्यान्वयन के विभिन्न स्तरों पर हैं। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत, 2011-12 (दिसम्बर, 2011 तक) के दौरान उन्नयन सहित 19,443 किसी से अधिक बारहमासी सड़कों का निर्माण पूरा कर लिया गया है। कुल 7514 करोड़ रुपए के व्यय से 3710 बस्तियों के लिए नए सड़क संपर्क प्रदान किए गए हैं।

इंदिरा आवास योजना (आई ए वाई): आई ए वाई भारत निर्माण कार्यक्रम के छः घटकों में से एक है। 2010-11 के दौरान, 29.09 लाख मकानों के लक्ष्य की तुलना में 27.15 लाख मकान निर्मित किए गए थे। (सारणी 13.10 में राज्यवार निष्पादन देखें)। वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 27.26 लाख मकानों के वास्तविक लक्ष्य के मुकाबले 21.18 लाख मकान संस्वीकृत किए गए थे तथा 31 अक्टूबर 2011 तक 7.26 लाख मकान निर्मित किए गए थे। योजना के प्रारंभ से, सितम्बर, 2011 तक 271 लाख मकान पूरे किए गए थे। आई ए वाई के अंतर्गत निवास इकाई के निर्माण के लिए ग्रामीण बी पी एल परिवारों को उपलब्ध करायी गयी इकाई सहायता 1 अप्रैल, 2010 से मैदानी क्षेत्रों के लिए 35,000 से 45,000 रुपए तक तथा पर्वतीय/दुर्गम क्षेत्रों के लिए 38,500 रुपए से 48,500 रुपए तक संशोधित कर दी गई है। इसके अतिरिक्त, 4 प्रतिशत ब्याज दर पर प्रति आवासीय इकाई 20,000 रुपए प्रदान करने के लिए विभेदक ब्याज दर (डी आर आई) योजना में आई ए वाई मकानों का निर्माण शामिल किया गया है। साठ वाम मार्गी उग्रवाद (एल डब्ल्यू ई) प्रभावित जिले 48,500 रुपए की उच्च दर की इकाई सहायता के लिए पात्र बनाए गए हैं। इस योजना के अंतर्गत, 100-250 वर्ग मीटर की आवास योग्य भूमि उन ग्रामीण बी पी एल परिवारों को उपलब्ध कराई जाएगी जिनके पास न तो भूमि है और न मकान है। इस योजना के लिए, प्रति लाभार्थी 10,000 रुपए जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों (डी आर डी ए) को प्रदान किए जाएंगे जिन्हें 50 : 50 के अनुपात में केन्द्र और राज्यों द्वारा बांटा जाएगा।

ग्रामीण पेयजल: पेयजल की आपूर्ति भारत निर्माण का एक घटक है। ग्रामीण क्षेत्रों में सुरक्षित जलापूर्ति के प्रावधान की वर्तमान स्थिति, जैसाकि उन बस्तियों द्वारा आंकी गई है जहां जनसंख्या पूरी तरह से पेयजल प्राप्त कर रही है, राज्यों द्वारा भेजी गई सूचना के अनुसार, यह है कि ग्रामीण बस्तियों के 72 प्रतिशत को पूरी तरह से पेयजल प्राप्त हो रहा है। शेष को आंशिक रूप से पेयजल मिल रहा है अथवा रसायनयुक्त संदूषित पेयजल स्रोतों का इस्तेमाल कर रहे हैं। आठवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान: 6,53,798 बस्तियों के लक्ष्य के मुकाबले, 31 मार्च, 2011 तक कवरेज 526,667 (80.56 प्रतिशत) था। झारखंड, छत्तीसगढ़, नागालैंड, मध्य प्रदेश, ओडीशा, हिमाचल प्रदेश, तमिलनाडु, केरल तथा उत्तराखंड ने अपने लक्ष्यों से ज्यादा हासिल कर लिया है जबकि सिक्किम, पंजाब, असम, राजस्थान, अरुणाचल प्रदेश और जम्मू व कश्मीर ने लक्ष्यों के

सारणी 13.11 : ग्रामीण पेय जल - संचयी उपलब्धियां

घटक	लक्ष्य (भारत निर्माण के शुरुआत में)	संचयी उपलब्धियां (दिनांक 14.2.2012 तक)
कवर न की गई आबादियों को पेयजल उपलब्ध कराना	55,067	55,067
पीछे छूट गई/अंशतः कवर न की गई आबादियों को पेयजल उपलब्ध कराना	331,604	634,413*
गुणवत्तापूर्ण प्रभावित आबादियों के पेयजल का समाधान करना	216,968	121,754
योग	603,639	811,234

* उच्च उपलब्धियां सूचित की गई हैं क्योंकि कुछ राज्यों ने भारत निर्माण कार्यक्रम के अंतर्गत लक्षित से इतर आबादियों को कवर करने की सूचना दी है।

मुकाबले कम (50 प्रतिशत से कम) हासिल किया है। भारत निर्माण अवधि के दौरान पेयजल आपूर्ति के लिए व्यय 2005-06 में 4098 करोड़ रुपए से 2011-12 में 8500 करोड़ रुपए तक पर्याप्त मात्रा में बढ़ा है। कवर न की गई सभी बस्तियां 1 अप्रैल, 2011 की स्थिति के अनुसार कवर कर ली गई हैं (सारणी 13.11)।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना दस्तावेज में उल्लिखित नीति संबंधी पहलों को प्रभावी बनाने के लिए, ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के लिए मार्गनिर्देश 2009 में संशोधित किए गए थे तथा उन्हें राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एन आर डी डब्ल्यू पी) का नाम दिया गया था। ग्रामीण क्षेत्रों में स्कूलों में अलग से जल परिष्करण प्रणाली स्थापित करने के लिए राज्यों को 100 प्रतिशत सहायता प्रदान करने के लिए, जलमणि कार्यक्रम 2008-09 में प्रारंभ किया गया था। उसके अनुसरण में, 1 लाख स्कूलों को कवर करने के लिए 2008-09 तथा 2009-10 में राज्यों को 200 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। अभी तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 65,503 स्कूल कवर किए गए हैं।

ग्रामीण स्वच्छता-पूर्ण स्वच्छता अभियान (टी एस सी): पूर्ण स्वच्छता अभियान सरकार का एक फ्लैगशिप कार्यक्रम है। 28 दिसम्बर, 2011 की स्थिति के अनुसार 22,022 करोड़ रुपए के कुल परिव्यय से देश के 607 ग्रामीण जिलों में पूर्ण सफाई अभियान संबंधी परियोजनाएं संस्वीकृत की गई हैं। जिसमें केन्द्र का हिस्सा 14,425 करोड़ रुपए है। ग्यारहवीं योजना में अनुमोदित पूर्ण स्वच्छता अभियान के लिए अनुमोदित केन्द्रीय परिव्यय 7,816 करोड़ रुपए है। वार्षिक बजटीय सहायता 2003-04 में 202 करोड़ रुपए से धीरे-धीरे बढ़कर 2011-12 में 1500 करोड़ रुपए हो गयी थी। पूर्ण स्वच्छता अभियान समुदाय निर्देशित और जन-केन्द्रित दृष्टिकोण है जो सफाई सुविधाओं की मांग उत्पन्न करने के लिए

सूचना, शिक्षा और संचार को महत्व देता है। संपोषणीय स्वच्छता सुविधाओं के सृजन और उनके उपयोग हेतु समाज को अभिप्रेरित करने के लिए, बी पी एल परिवारों के लिए व्यक्तिगत परिवार शौचालय हेतु प्रोत्साहन 1 जून, 2011 से 2200 रुपए (पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 2700 रुपए) से बढ़ाकर 3200 रुपए (पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों के लिए 3700 रुपए) कर दिया गया है। पूर्ण स्वच्छता अभियान बढ़ाने के साथ, उच्चतर संसाधन आवंटन के साथ सम्मिलित, कार्यक्रम कार्यान्वयन में पर्याप्त रूप से सुधार हुआ है। जनगणना 2001 के आंकड़ों के अनुसार केवल 21.9 प्रतिशत ग्रामीण परिवारों के पास शौचालय हैं। 1999 से, पूर्ण स्वच्छता अभियान के अंतर्गत ग्रामीण परिवारों के लिए 8.30 करोड़ शौचालय प्रदान किए गए हैं। 11.64 लाख स्कूल शौचालयों तथा 3.94 लाख आंगनवाड़ी शौचालयों का निर्माण एक महत्वपूर्ण उपलब्धि रही है। ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा अनुरक्षित ऑनलाइन मानीटरिंग प्रणाली के जरिए राज्यों द्वारा भेजी गई प्रगति रिपोर्टों के अनुसार ग्रामीण स्वच्छता कवरेज में 2001 में 21.9 प्रतिशत से जनवरी, 2012 तक लगभग 85.95 प्रतिशत तक पर्याप्त रूप से वृद्धि हुई है। बढ़ते हुए बजटीय आवंटन तथा ग्रामीण क्षेत्रों में ध्यान देने के साथ वर्ष में शौचालय प्रदान किए जाने वाले परिवारों की संख्या 2002-03 में 6.21 लाख से 2010-11 में 122 लाख तक बढ़ी है। वर्ष 2011-12 में (जनवरी 2012 तक) ग्रामीण परिवारों को 63 लाख से अधिक शौचालय प्रदान किए गए हैं। समाज के सभी वर्गों की भागीदारी के साथ पूर्ण स्वच्छता अभियान अब एक समावेशी कार्यक्रम बन गया है। समाज के सभी वर्गों के समावेशी विकास के लिए अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए धनराशि चिन्हित करने का प्रावधान रखा गया है। स्वच्छता कार्यक्रम में महिलाओं तथा किशोर लड़कियों की सक्रिय सहभागिता उनके लिए विशेष घटकों के साथ प्रोत्साहित की गई है। सफाई को बढ़ावा देने के लिए पंचायती राज संस्थाओं को प्रोत्साहित करने हेतु निर्मल ग्राम पुरस्कार प्रोत्साहन स्कीम प्रारंभ की गई है। उन पंचायती राज संस्थाओं को पुरस्कार दिया जाता है जो शत-प्रतिशत खुले स्थान पर मलत्याग मुक्त वातावरण प्राप्त कर लेते हैं। पिछले वर्षों में कुल 25145 ग्राम पंचायतों, 166 माध्यमिक पंचायतों और 10 जिला पंचायतों को पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। सिक्किम पुरस्कार प्राप्त करने वाला देश का पहला राज्य बन गया है। पूर्ण स्वच्छता अभियान और निर्मल ग्राम पुरस्कार के लिए व्यापक वेब आधारित पृथक ऑनलाइन मानीटरिंग प्रणालियां इन उद्देश्यों और उपलब्धियों के संबंध में ग्राम पंचायत स्तरीय आंकड़ों के साथ स्थित है। प्रणाली को अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लाभार्थियों तथा संस्थागत स्वच्छता के फोटो सहित लाभार्थियों के विवरण को अपलोड करने के लिए सुविधा सहित उन्नत बनाया गया है और वह साक्ष्य आधारित मानीटरिंग प्रणाली की ओर अग्रसर है।

शहरी अवसंरचना, आवास और स्वच्छता

13.26 देश में बेहतर शहरी अवसंरचना, आवास और स्वच्छता प्रदान करने के लिए, केन्द्र सरकार विभिन्न केन्द्र प्रायोजित

योजनाओं के जरिए राज्य सरकारों को संसाधन आवंटित कर रही है तथा देश में राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों के माध्यम से धन मुहैया करा रही है। इस क्षेत्र में की गई कुछ पहलें निम्नलिखित हैं:-

जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन (जेएनएनयूआरएम): जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के चार घटकों में से दो घटक गरीबों के लिए आश्रय और मूलभूत सेवा जरूरतों के लिए हैं। ये हैं:- 65 चुने हुए शहरों के लिए शहरी गरीबों हेतु मूलभूत सेवाएं और अन्य शहरों और कस्बों के लिए एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम। जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के अंतर्गत, 15 फरवरी, 2012 तक 1.57 मिलियन से अधिक आवास स्वीकृत किए गए हैं तथा 40047.80 करोड़ रुपए से अधिक के परिव्यय वाली 1521 परियोजनाएं अनुमोदित की गई हैं। 21,768.97 करोड़ रुपए के केन्द्रीय हिस्से की प्रतिबद्धता की गई है। (2005-12 के लिए सात वर्षीय आवंटन का 93.89 प्रतिशत)। स्वीकृत आवासों में से 5.69 लाख से अधिक पूरे किए जा चुके हैं और 3.80 लाख पर कब्जा लिया जा चुका है। 12,556.15 करोड़ रुपए की अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता भी जारी की गई है। शहरी गरीबों हेतु मूलभूत सेवाओं के अंतर्गत सभी राज्य कवर किए गए हैं और एकीकृत आवास एवं स्लम विकास कार्यक्रम के अंतर्गत सभी राज्य तथा लक्षद्वीप को छोड़ कर सभी संघशासित क्षेत्र कवर किए गए हैं।

राजीव आवास योजना (आएवाई): राजीव आवास योजना उन राज्यों को आश्रय और पुनर्विकास के लिए तथा वहनीय आवास समूह के सृजन के लिए सहायता प्रदान करती हैं जो स्लमवासियों को संपत्ति का अधिकार प्रदान करने के इच्छुक हैं। राजीव आवास योजना दो चरणों में कार्यान्वित की जाती है:- चरण I, जो योजना में अनुमोदन की तारीख से दो वर्षों का होगा (2011-13) तथा चरण II, जो बारहवीं पंचवर्षीय योजना (2013-17) की शेष अवधि के लिए होगा। राजीव आवास योजना का तैयारी संबंधी चरण, जो स्लम मुक्त शहर आयोजना स्कीम कहलाता है, कार्यान्वित किया गया है तथा वर्ष 2011-12 के लिए 1270 करोड़ रुपए का बजटीय आवंटन किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग (ईडब्ल्यूएसएस तथा निम्न आय वर्ग (एल आई जी) के परिवारों की ऋण सक्षमता के निदान के लिए, सरकार राजीव आवास योजना के अंतर्गत ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास स्थापित करने पर सहमत हो गयी है। सरकार ने निम्न आय आवास हेतु ऋण जोखिम गारंटी निधि न्यास (सीजीएफटी) की स्थापना को भी अनुमोदित कर दिया है ताकि स्कीम के प्रचालन को नियंत्रित किया जा सके और परखा जा सके। निधि में केन्द्र सरकार की ओर से 1000 करोड़ रुपए तथा राज्य सरकारों की ओर से 200 करोड़ रुपए की प्रारंभिक आधारभूत राशि होगी, जो इसमें से आहरित करते हैं।

भागीदारी में वहन करने योग्य आवास (एचआईपी): सरकार ने आर्थिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए कम से कम 25 प्रतिशत आरक्षण के साथ आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग/निम्न आय वर्ग/मध्यम आय वर्ग के लिए एक मिलियन मकानों के निर्माण के लिए 5000 करोड़ रुपए के परिव्यय से भागीदारी में वहन

करने योग्य आवास स्कीम प्रारंभ की है। यह स्कीम सभी के लिए वहन करने योग्य आवास के उद्देश्य को पूरा करने के लिए विभिन्न एजेंसियों/सरकार/परास्टेटल्स/यूएलबी/डेवलपर्स के बीच भागीदारी के लिए है।

शहरी गरीबों को आवास देने के लिए ब्याज सब्सिडी योजना (आईएसएचयूपी): आईएसएचयूपी आवासीय कमी को पूरी तरह से समाप्त करने के लिए जवाहरलाल नेहरू राष्ट्रीय शहरी नवीकरण मिशन के जरिए सरकार के प्रयासों को पूरा करना चाहती है। संचयी रूप से दिसम्बर, 2011 तक इस योजना के अंतर्गत आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, तमिलनाडु और केरल में 8734 लाभार्थी कवर किए गए हैं और 7.57 करोड़ रुपए के कुल निवल वर्तमान मूल्य की ब्याज सब्सिडी जारी की गई है।

समेकित निम्न लागत स्वच्छता योजना (आईएलसीएस): समेकित निम्न लागत स्वच्छता योजना का उद्देश्य व्यक्तिगत ड्राइलैट्रीन को पुर फ्लश लैट्रीन में बदलकर वृद्ध मैनुअल सफाई कर्मियों को मुक्त करना तथा मनुष्यों द्वारा मल ढोने की घृणित प्रथा को समाप्त करना है। 17 जनवरी, 2008 से मार्ग निर्देश संशोधित किए गए थे। यह योजना जनसंख्या के मानदंड को ध्यान में रखे बिना आलटाउन कवरेज आधार पर है और आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों तक सीमित है। योजना हिस्सेदारी के आधार पर वित्तपोषित की जाती है अर्थात् केन्द्रीय सब्सिडी 75 प्रतिशत, राज्य सब्सिडी 15 प्रतिशत तथा लाभप्रद शेयर 10 प्रतिशत। वर्ष 2011-12 के लिए योजना हेतु बजटीय आवंटन 55 करोड़ रुपए (संशोधित अनुमान) है जिसमें अभी तक 23 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

कौशल विकास

13.27 कौशल विकास के संबंध में संबंधित कार्रवाई के लिए तीन स्तरीय संरचना जिसमें (i) कौशल विकास के संबंध में प्रधानमंत्री की राष्ट्रीय परिषद, (ii) राष्ट्रीय कौशल विकास समन्वय बोर्ड (iii) राष्ट्रीय कौशल विकास निगम शामिल हैं, गठित करने के अलावा, कौशल विकास के संबंध में राष्ट्रीय परिषद ने जनवरी 2011 में प्रधानमंत्री के सलाहकार की नियुक्ति की है। 31 अक्टूबर, 2011 को कौशल विकास के संबंध में राष्ट्रीय परिषद ने 34 प्रशिक्षण परियोजनाओं को अनुमोदित किया है जो 20 क्षेत्रों में 177 जिलों में फैली हुई हैं। कौशल विकास के संबंध में राष्ट्रीय परिषद ने आठ क्षेत्र कौशल परिषदें भी अनुमोदित की हैं। छोटी आयु में स्कूल छोड़ने वाले विद्यार्थियों तथा विद्यमान श्रमिकों के लिए मई 2007 में कौशल विकास हेतु उद्योग, राज्य सरकारों, और विशेषज्ञों के घनिष्ठ परामर्श से एक नई कार्यनीति रूपरेखा विकसित की गई है। फिलहाल नियोजनीय कौशल के लिए 60 क्षेत्रों को कवर करने वाले 1386 मॉड्युल्स विकसित किए गए हैं, आकलन संचालित करने के लिए 36 आकलन निकायों का पैलन तैयार किया गया है, 6753 व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदाता पंजीकृत किए गए हैं तथा 12.19 लाख से अधिक व्यक्ति प्रशिक्षित/परीक्षित किए गए हैं (प्रारंभ करने से)।

भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण (यूआईडीएआई)

13.28 विशेष पहचान परियोजना के कार्यान्वयन में प्रगति हुई है तथा लगभग 13 करोड़ आधार संख्याएं पहले से ही सृजित की गई हैं। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने नामांकनों को बढ़ाया है तथा प्रतिदिन 10 लाख आधार संख्याएं सृजित करने के लिए अवसंरचना संबंधी सामर्थ्य भी स्थापित किया है। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण योजना का चरण III प्रारंभ होने के समीप है, जो निवासियों को नामांकित करने और आधार संख्याएं जारी करने के अलावा, अद्यतन सेवाएं, विभिन्न सामाजिक योजनाओं की सेवा सुपुर्दगी बढ़ाने के साधन के रूप में मजबूत अधिप्रमाणन प्रक्रिया, वित्तीय समावेश को सुविधाजनक बनाने तथा आधार को उत्प्लावित करने के लिए आधार योग्य आवेदनों के विकास को भी संपन्न करेगा। भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण ने आधार संख्याएं बढ़ाने के लिए आवेदनों को विकसित करने, आधार योग्य लेन देनों, तथा विभिन्न सामाजिक क्षेत्र की योजनाओं की सेवा सुपुर्दगी को सुधारने के लिए अवसंरचना हेतु मंत्रालयों/विभागों से विचार-विमर्श प्रारंभ कर दिया है। संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय ने अधिसूचित किया है कि आधार को आधार अधिप्रमाणन पद्धति के जरिए पहचान और पते की पुष्टि के बाद पहचान का वैध प्रमाण और पते का प्रमाण माना जाएगा। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग ने उन बीपीएल रोगियों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए पहचान के वैध प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में विशिष्ट पहचान संख्या (आधार) को मान्यता देने का निर्णय लिया है जो प्रमुख जान लेवा बीमारियों से ग्रस्त हैं और बहुविशेषता वाले अस्पतालों/संस्थानों अथवा अन्य सरकारी अस्पतालों में राष्ट्रीय आरोग्य निधि के अंतर्गत चिकित्सा उपचार प्राप्त कर रहे हैं। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने ड्राइविंग लाइसेंस जारी करने के लिए तथा वाहनों के पंजीकरण के लिए आयु और पते के साक्ष्य हेतु पहचान के वैध प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में आधार को मान्यता प्रदान करने के लिए आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं। व्यय विभाग ने व्यय वित्त समिति के अनुमोदन के लिए प्रस्तावों को प्रस्तुत करने हेतु प्ररूप के संशोधन के लिए निर्देश जारी कर दिए हैं जिसमें आधार संख्या के साथ लाभार्थी पहचान कार्यप्रणाली कर संपर्क दर्शाना होगा। नए एल पी जी कनेक्शनों को लेने के लिए पहचान के वैध प्रमाण और पते के प्रमाण के रूप में आधार संख्या को मान्यता प्रदान की गई है। सिक्किम, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश की राज्य सरकारों ने अपनी विभिन्न योजनाओं के लिए आधार संख्या को पहचान का वैध प्रमाण तथा पते का प्रमाण भी घोषित किया है। कर्नाटक ने भी आधार परियोजना के कार्यान्वयन के लिए तथा विभिन्न सेवाओं के साथ आधार संख्या के एकीकरण हेतु कर्नाटक रजिस्ट्रार डेटा हब के लिए भी योजना तैयार की है। एक आधार भुगतान पुल भी निरूपित किया गया है तथा झारखंड में मनरेगा भुगतानों के लिए प्रायोगिक आधार पर उसकी जांच की

जा रही है। आधार भुगतान पुल आधार संख्या के आधार पर लाभार्थियों के बैंक खातों में धनराशि सीधे अंतरित करने को सुगम बनाएगा। यह सरकारी विभागों द्वारा कल्याण निधियों के सवितरण की प्रक्रिया को पर्याप्त रूप से सरलीकृत करेगा।

शिक्षा

13.29 भारत जिसमें निम्न स्तर पर बड़ी जनसंख्या थी। अब वह बड़ी जनसंख्या वाली मध्यम अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ रहा है। इस जनसांख्यिकी विभाजन का पूर्ण लाभ लेने के लिए, भारत को अपनी जनसंख्या को शिक्षित करना होगा और वो भी गुणवत्ता वाली शिक्षा के साथ। बारहवीं योजना के दृष्टिकोण पत्र में अध्यापक प्रशिक्षण और मूल्यांकन और जवाबदेही लागू करने के लिए उपायों पर ध्यान दिया गया है। यह व्यापक प्राथमिक नामांकनों से पास होकर आए विद्यार्थियों के प्रवेश के लिए माध्यमिक स्कूलों में क्षमता निर्माण की जरूरत पर भी बल देता है। फिलहाल 18 प्रतिशत से 2016-17 तक 25 प्रतिशत तक बढ़ाने के लिए उच्च शिक्षा में जी ई आर पर अवश्य लक्ष्य रखना चाहिए।

प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा

13.30 प्रारंभिक और माध्यमिक शिक्षा के लिए सरकार ने बहुत सी योजनाएं प्रारंभ की हैं। कुछ योजनाएं निम्नलिखित हैं:-

सर्व शिक्षा अभियान (एसएसए) शिक्षा का अधिकार: शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों के लिए निशुल्क शिक्षा मौलिक अधिकार बनाया गया है। जबकि सामान्य सूचना के लिए सूचना का अधिकार अधिनियम 27 अगस्त, 2009 को अधिसूचित किया गया था, इस अधिनियम के प्रावधानों को 1 अप्रैल, 2010 से लागू करने के लिए अधिसूचना 16 फरवरी, 2010 को जारी की गई थी। यह अधिदेश देता है कि औपचारिक स्कूल में जो कुछ आवश्यक मानदंडों और स्तरों को संतुष्ट करता है वह संतोषजनक और उचित शिक्षा लेना प्रत्येक बच्चे का अधिकार है। 2010-11 में प्रारंभ की गई सुधार प्रक्रिया वर्ष 2011-12 में भी चलती रही। इस संदर्भ में हाल ही में हुए कुछ घटनाक्रमों में शामिल हैं:- (क) 8 अप्रैल, 2010 को शिक्षा का अधिकार संबंधी केन्द्रीय नियमावली की अधिसूचना, जिसके बाद राज्यों द्वारा शिक्षा का अधिकार संबंधी राज्य नियमावली की अधिसूचना; (ख) शिक्षा का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुरूप सर्व शिक्षा अभियान के मानदंडों का संशोधन, जिसमें अतिरिक्त अध्यापकों के पद, कक्षाओं, आठ वर्षीय प्रारंभिक शिक्षा चक्र तक पहुंचने के लिए राज्यों को सक्षम बनाने हेतु अध्यापन-सीखने के उपस्करों की संस्वीकृति के मानदंड, बेहतर स्कूल पर्यवेक्षण के लिए शैक्षणिक सहायता को बढ़ाना और कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का विस्तार शामिल है; (ग) शिक्षा का अधिकार अधिनियम-सर्व शिक्षा अभियान कार्यक्रम के कार्यान्वयन के लिए केन्द्र और राज्यों के बीच

अधोगामी मापदंड में पहले के पैटर्न को पांच वर्ष की अवधि 2010-11 से 2014-15 के लिए केन्द्र व राज्यों के बीच 65:35 के अनुपात तक करने के लिए केन्द्र व राज्य सरकारों के बीच धनराशि की हिस्सेदारी का संशोधन; (घ) अध्यापक की योग्यताओं को निर्धारित करने के लिए शैक्षणिक प्राधिकरण के रूप में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद की अधिसूचना; (ङ) शिक्षा के अधिकार के प्रति जनजागरूकता बढ़ाने के लिए देशव्यापी अभियान प्रारंभ करना तथा यह सुनिश्चित करने के लिए समुदायों को गतिशील बनाना कि सभी स्कूल शिक्षा के अधिकार के अनुपालक हो गए हैं; (च) संचयी रूप से 334,149 नए प्राथमिक तथा उच्च प्राथमिक विद्यालय खोले गए हैं, 267,209 स्कूल भवनों, 1,410,937 अतिरिक्त पाठ्य कक्षों का निर्माण किया गया, 212,233 पेयजल सुविधाओं तथा 477,263 शौचालय उपलब्ध कराए गए, 8.77 करोड़ बच्चों को पाठ्य पुस्तकों की वार्षिक आधार पर निशुल्क आपूर्ति, तथा 19.23 अध्यापकों को सेवाकालीन प्रशिक्षण एस आर आई-आई एम आर बी द्वारा संचालित स्वतंत्र अध्ययन के अनुसार स्कूल से बाहर के बच्चों की संख्या 2005 में 134.6 लाख से घटकर 2009 में 81.5 लाख हो गयी है।) 26 राज्यों में 3367 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय हैं जो उच्च प्राथमिक स्तर पर मुख्यतः अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग तथा अल्पसंख्यक समुदायों की लड़कियों के लिए आवासीय विद्यालयी सुविधाएं प्रदान कर रहे हैं। जिसमें पर्याप्त मुस्लिम जनसंख्या वाले ब्लाक में 458 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, अनुसूचित जनजाति की ज्यादा जनसंख्या वाले ब्लाकों में 663 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय तथा 1035 कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय अनुसूचित जाति बहुलता वाले ब्लाकों में हैं। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में कुल 2.83 लाख लड़कियां नामांकित की गई थी जिनमें से 30.32 प्रतिशत अनुसूचित जाति, 25.43 प्रतिशत अनुसूचित जनजाति, 26.36 प्रतिशत अन्य पिछड़ा वर्ग; 9.51 प्रतिशत मुस्लिम तथा 10 प्रतिशत बीपीएल श्रेणी की थी।

प्रारंभिक स्तर पर राष्ट्रीय बालिका शिक्षा कार्यक्रम (एनपीईजीईएल): यह कार्यक्रम ऐसी बालिकाओं तक पहुंचने की केन्द्रित दखल कार्रवाई है जिन तक पहुंचना सर्वाधिक कठिन है। यह सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत बालिकाओं की शिक्षा के लिए किए निवेशों के अलावा बालिका-शिक्षा को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त सहायता प्रदान करता है और इसमें शिक्षकों को महिलाओं के प्रति संवेदीकरण, महिलोन्मुखी सामग्री तैयार करने और आवश्यकता-आधारित प्रोत्साहनों की व्यवस्था की शामिल है। यह योजना शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े ब्लाकों (ई बी बी) में लागू की जा रही है जहां ग्रामीण महिला साक्षरता कम है। एनपीईजीईएल शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े सभी ब्लाकों में चलाई जा रही है जिनमें 40,623 बस्तियां कवर की गई है।

विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम: विद्यालयों में राष्ट्रीय मध्याह्न भोजन कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी, स्थानीय निकायों, सरकारी सहायता प्राप्त और राष्ट्रीय बाल श्रम परियोजना विद्यालयों में कक्षा 1 से 8 तक पढ़ने वाले सभी बच्चों को पका

हुआ दोपहर का भोजन प्रदान किया जाता है। पूरे देश में सर्व शिक्षा अभियान के तहत सहायता प्राप्त मदरसों/मकतबों सहित इजीसी/वैकल्पिक एवं आधुनिक शिक्षा केन्द्र भी इस कार्यक्रम में शामिल हैं। फिलहाल पका हुआ दोपहर का भोजन प्राथमिक स्तर पर 450 कैलोरी ऊर्जा घटक और 12 ग्राम प्रोटीन अंश तथा उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 700 कैलोरी ऊर्जा घटक और 20 ग्राम प्रोटीन अंश प्रदान करता है। एनआरएचएम के अनुरूप लौह, फॉलिक एसिड और विटामिन ए जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों की पर्याप्त मात्रा की भी सिफारिश की जाती है। वर्ष 2010-11 के दौरान, इस कार्यक्रम के अंतर्गत बजट आवंटन 9440 करोड़ रुपए था जिसमें से कुल 9128.44 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वर्ष 2010-11 के दौरान इस कार्यक्रम के अंतर्गत लगभग 10.46 करोड़ बच्चे (प्राथमिक स्तर पर 7.33 करोड़ और उच्चतर प्राथमिक स्तर पर 3.13 करोड़) लाभान्वित हुए हैं।

राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान (आरएमएसए): माध्यमिक शिक्षा में पहुंच बढ़ाने और गुणता में सुधार के उद्देश्य से मार्च, 2009 में आरएमएसए की शुरुआत की गई थी। शिक्षा की पहुंच सुनिश्चित करने के अतिरिक्त, गुणवत्ता संबंधी दखल कार्रवाईयों में यह सुनिश्चित करना कि सभी माध्यमिक विद्यालय विहित मानकों का पालन करते हुए लिंग, सामाजिक-आर्थिक और अक्षमता अवरोधों को दूर करके सन् 2017 तक अर्थात् 12वीं पंचवर्षीय योजना के अंत तक सभी को माध्यमिक स्तर की शिक्षा प्रदान करें और सन् 2020 तक सभी बच्चों को स्कूल में रोकने का लक्ष्य प्राप्त करके माध्यमिक स्तर पर बेहतर शिक्षा प्रदान करना शामिल है। केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान परियोजना व्यय का क्रमशः 75 प्रतिशत और 25 प्रतिशत वहन करती हैं। पूर्वोत्तर राज्यों के लिए वित्तपोषण की पद्धति 90:10 के अनुपात में है। सभी 35 राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आरएमएसए वार्षिक योजना 2011-12 के प्रस्तावों पर योजना के परियोजना अनुमोदन बोर्ड (पीएबी) द्वारा विचार किया गया था और मुख्य दखल-कार्रवाईयें जैसेकि 4032 नए स्कूल खोलने, 15,567 मौजूदा स्कूलों का सुदृढ़ीकरण, शिक्षकों के लिए 832 आवासीय क्वार्टर और 52,352 अतिरिक्त शिक्षकों हेतु मंजूरी दे दी गई है। 2011-12 के दौरान, इस कार्यक्रम के लिए बजट आवंटन 2423.90 करोड़ रुपए है जिसमें से 1996.40 करोड़ रुपए (15 फरवरी, 2012 तक) राज्य सरकारों को जारी किए जा चुके हैं।

मॉडल स्कूल स्कीम: ब्लाक स्तर पर उत्कृष्टता के बेंचमार्क के तौर पर प्रति ब्लाक एक स्कूल के साथ 6000 मॉडल स्कूल स्थापित करने की स्कीम नवंबर 2008 में शुरू की गई थी ताकि प्रतिभाशाली ग्रामीण बच्चों को उच्च कोटि की शिक्षा मुहैया कराई जा सके। इस स्कीम के कार्यान्वयन के दो रूप हैं (i) शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े अधिकाधिक ब्लाकों (ईबीबी) में राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों के जरिए 3500 स्कूल स्थापित किए जाने हैं और (ii) शेष 2500 स्कूल पीपीपी मोड के जरिए ऐसे ब्लाकों में स्थापित किए जाने हैं जो शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े नहीं हैं। इस समय केवल पहला घटक कार्यान्वित किया जा रहा है। पीपीपी घटक का

कार्यान्वयन बारहवीं पंचवर्षीय योजना से शुरू किया जाएगा। इस स्कीम की शुरुआत से 22 राज्यों में 1942 मॉडल स्कूल स्थापित करने के लिए मंजूरी दी जा चुकी है। 20 राज्यों में 1538 स्कूल स्थापित करने के लिए वित्तीय संस्वीकृतियां दी जा चुकी हैं और इन राज्यों को केन्द्रीय हिस्से के रूप में 1697.95 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान 140 स्कूलों ने कार्य करना शुरू कर दिया है जिनमें पंजाब (21 स्कूल), कर्नाटक (74 स्कूल), छत्तीसगढ़ (15 स्कूल), तमिलनाडु (18 स्कूल) और गुजरात (12 स्कूल) शामिल हैं तथा इन राज्यों को आवर्ती अनुदानों के रूप में 9.55 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके थे। 2011-12 में सात राज्यों में कार्य कर रहे स्कूलों की संख्या बढ़कर 438 हो गई है।

अपंग बच्चों के लिए माध्यमिक स्तर पर समावेशी शिक्षा (आईईडीएसएस): आईईडीएसएस स्कीम वर्ष 2009-10 में शुरू की गई थी और इसने पूर्ववर्ती “अपंग बच्चों हेतु समेकित शिक्षा” (आईईडीसी) स्कीम का स्थान ले लिया। जहां अपंग बच्चों के लिए प्रारंभिक स्तर पर समावेशी शिक्षा सर्व शिक्षा अभियान के अंतर्गत मुहैया कराई जाती है, इस स्कीम में मुख्यधारा के सरकारी, स्थानीय निकायों और सरकारी-सहायता प्राप्त स्कूलों में कक्षा IX-XII में पढ़ रहे अपंग बच्चों की समावेशी शिक्षा के लिए 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता मुहैया कराई जाती है। इस स्कीम का उद्देश्य विशेष जरूरतों वाले बच्चों की उच्चतर माध्यमिक स्तर तक शिक्षा जारी रखना सुसाध्य बनाना है। इस स्कीम में सहायक उपकरणों, सहायक, परिवहन, छात्रावास, पठन-सामग्री की सुविधाएं और बालिकाओं के लिए प्रति अपंग बालक 3000 रुपए प्रति वर्ष की छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। इसके अतिरिक्त, विशेष शिक्षकों के वेतन, शिक्षकों के क्षमता-निर्माण, स्कूलों को अवरोध-रहित बनाने, संसाधन कक्षों की स्थापना और जागरूकता एवं अभिमुखीकरण के लिए भी सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान 100 करोड़ रुपए का बजट-आवंटन किया गया था और इस वर्ष 1.30 लाख से अधिक अपंग बच्चों को इसमें कवर किए जाने का प्रस्ताव है।

व्यावसायिक शिक्षा: माध्यमिक शिक्षा के व्यवसायिकरण की संशोधित केन्द्रीय प्रायोजित स्कीम का उद्देश्य कक्षा XI-XII में व्यावसायिक शिक्षा के सुदृढीकरण की पूर्ववर्ती स्कीम के दोषों को दूर करना है। ग्यारहवीं योजना की शेष अवधि अर्थात् 2011-12 में कार्यान्वयन हेतु अनुमोदित घटकों में ये शामिल हैं (क) 1000 मौजूदा व्यावसायिक स्कूलों का सुदृढीकरण और राज्य सरकारों के माध्यम से 100 नए स्कूलों की स्थापना, (ख) पीपीपी मोड के तहत मौजूदा 500 स्कूलों की सहायता, (ग) मौजूदा 2000 व्यावसायिक शिक्षकों के लिए सात दिन का संस्थांतर्गत प्रशिक्षण और 1000 नए शिक्षकों के लिए 30 दिन का आरंभिक प्रशिक्षण, (घ) प्रत्येक व्यावसायिक पाठ्यक्रम के लिए 250 क्षमता आधारित मॉड्यूलों का निर्माण, (ङ) केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड

(सीबीएसई) के भीतर ही व्यावसायिक शिक्षा प्रकोष्ठ की स्थापना, (च) 150 प्रतिष्ठित गैर सरकारी संगठनों को अल्पकालिक नवीन व्यावसायिक शिक्षा कार्यक्रम चलाने के लिए सहायता और (छ) हरियाणा और पश्चिम बंगाल में कक्षा IX में राष्ट्रीय व्यावसायिक शिक्षा अर्हता संरचना (एनवीईक्यूएफ) के अंतर्गत प्रयोगिक कार्यक्रम।

साक्षर भारत (एसबी)/प्रौढ़ शिक्षा : राष्ट्रीय साक्षरता मिशन जो साक्षर भारत (एसबी) के नए अवतार में 8 सितंबर 2009 को प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया, महिला साक्षरता पर अधिक बल दे रहा है। 2001 की जनगणना के अनुसार साक्षरता दर 64.83 प्रतिशत थी, जो बेहतर होकर 2011 में 74.04 प्रतिशत हो गई है। दिलचस्प बात तो यह है कि पुरुषों के मुकाबले महिलाओं की साक्षरता दर में तेजी से सुधार हुआ है। जहां पुरुषों की साक्षरता दर में 6.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 75.26 प्रतिशत से बढ़कर 82.14 प्रतिशत हो गई, वहीं महिलाओं की साक्षरता दर में 11.8 प्रतिशत की वृद्धि हुई और यह 53.67 प्रतिशत से बढ़कर 65.46 प्रतिशत हो गया। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य 80 प्रतिशत साक्षरता हासिल करना है। बारहवीं पंचवर्षीय योजना का सिर्फ एक वर्ष बाकी है और 74 प्रतिशत साक्षरता-स्तर हासिल किया जा चुका है। साक्षरता के स्तर विभिन्न राज्यों, जिलों, सामाजिक समूहों और अल्पसंख्यकों में असमान हैं। सरकार ने पिछड़े क्षेत्रों और लक्षित समूहों पर ध्यान देते हुए इन असमानताओं को कम करने के लिए सकारात्मक उपाय किए हैं। मार्च, 2010 तक यह कार्यक्रम 81,000 से अधिक ग्राम पंचायतों को कवर करते हुए 19 राज्यों के 167 जिलों में पहुंच गया था। वर्ष 2011-12 के दौरान 102 जिलों में 29,000 अतिरिक्त ग्राम पंचायतों को कवर करने का कार्यक्रम स्वीकृत किया गया था। इस प्रकार यह कार्यक्रम 2010-11 के अंत तक 24 राज्यों और एक संघ राज्य क्षेत्र में पहुंच गया था। मार्चान्त 2011 तक, लगभग 20 लाख नौसिखियों का नामांकन करने वाली लगभग 2 लाख साक्षरता कक्षाएं आंध्र प्रदेश (135,634), कर्नाटक (35,647), छत्तीसगढ़ (13,048), तमिलनाडु (2875), गुजरात (3875), राजस्थान (2354), उत्तराखंड (2176), झारखंड (516), पश्चिमी बंगाल (962) और सिक्किम (450) में कार्यरत हैं। वर्ष 2010-11 के दौरान स्वीकृत 102 जिलों में कार्यक्रम के कार्यान्वयन की प्रक्रिया शुरू हो गई है और तैयारी संबंधी कार्यकलाप शुरू किए जा रहे हैं। सितंबर 2011 के अंत तक 4441 खंड और 161,993 ग्राम पंचायतों को मिलाकर 410 पात्र जिलों में से 372 जिलों को इस कार्यक्रम के अंतर्गत कवर किया जा चुका था। चूंकि यह मिशन लोगों के कार्यक्रम के रूप में परिकल्पित है इसलिए विशेषतया तृणमूल स्तर के हितधारक अपनी उचित बात कह सकते हैं और इसकी योजना बनाने व कार्यान्वयन में भूमिका निभा सकते हैं। इस मिशन का विकेन्द्रीकृत माडल पंचायती राज संस्थाओं को जिला स्तर पर कार्यक्रम के कार्यान्वयन में निर्णायक भूमिका निभाने की व्यवस्था करता है।

13.31 प्राथमिक और बुनियादी शिक्षा मुहैया कराने में सरकार के प्रयासों के बावजूद अभी काफी कुछ किया जाना है। एक गैर

बाक्स 13.4 : एएसईआर, 2011 के मुख्य निष्कर्ष**कुछ सकारात्मक अथवा यथास्थिति रखी गई**

नामांकन: वर्ष 2011 में ग्रामीण भारत में 6-14 वर्ष के सभी बच्चों में से 96.7 प्रतिशत का विद्यालयों में नामांकन हुआ है। यह संख्या 2010 से स्थिर बनी हुई है। जिन राज्यों का 2006 में विद्यालय से बाहर रहने वाली 11-14 वर्ष की लड़कियों का उच्च अनुपात (10 प्रतिशत से अधिक) था, उन राज्यों ने महत्वपूर्ण प्रगति की है। उदाहरण के लिए बिहार में विद्यालय से बाहर रहने वाले बच्चों की संख्या 2006 में 17.6 प्रतिशत से गिरकर 2011 में 4.3 प्रतिशत रह गई है। राजस्थान में गिरावट दर्शायी गई है जो 2006 में 18.9 प्रतिशत से 2011 में 8.9 प्रतिशत रह गई है। उत्तर प्रदेश ने 2006 में 11.1 प्रतिशत और 2011 में 9.7 प्रतिशत के चलते न्यूनतम प्रगति दर्शायी है। विद्यालयों में प्रचुर संख्या में पांच वर्ष के बच्चों का नामांकन किया जाता है। वर्ष 2011 में अखिल भारतीय आंकड़ा 57.8 प्रतिशत है। यह अनुपात सभी राज्यों में अलग-अलग है जो नागालैंड में 87.1 प्रतिशत से कर्नाटक में 18.8 प्रतिशत है।

अधिकतर राज्यों में निजी विद्यालयों में नामांकन बढ़ रहा है: राष्ट्रीय रूप से 6 से 14 वर्ष के आयु समूह में वर्ष-दर-वर्ष निजी विद्यालयों में नामांकन बढ़ा है जो 2006 में 18.7 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 25.6 प्रतिशत हो गया है। ये बढ़ोतरीयां, बिहार को छोड़कर सभी राज्यों में दृष्टिगोचर हुई हैं। उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, केरल, मणिपुर और मेघालय जैसे राज्यों में पिछले पांच साल में निजी विद्यालयों में नामांकन में 10 प्रतिशतांक की वृद्धि हुई है। एएसईआर, 2011 के आंकड़ों के अनुसार हरियाणा, उत्तर प्रदेश, नागालैंड, मेघालय, पंजाब, जम्मू और काश्मीर, राजस्थान, उत्तराखंड, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों में 30 से 50 प्रतिशत के बीच बच्चों का नामांकन होता है।

लड़कियों के लिए शौचालयों की बेहतर व्यवस्था:

जिन विद्यालयों में लड़कियों के लिए अलग से शौचालय नहीं थे उनका अनुपात 2010 में 31.2 प्रतिशत से गिरकर 2011 में 22.6 प्रतिशत हो गया है। यह भी कि उन विद्यालयों के अनुपात में प्रचुर सुधार हुआ है जिनमें लड़कियों के लिए प्रयोग योग्य अलग शौचालय हैं। राष्ट्रीय रूप से यह आंकड़ा 2010 में 32.9 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 43.8 प्रतिशत हो गया है।

विद्यालयों में अधिक पुस्तकालय और ज्यादा बच्चे उनका प्रयोग कर रहे हैं: बिना पुस्तकालय वाले विद्यालयों का अनुपात 2010 में 37.5 प्रतिशत से गिरकर 2011 में 28.6 प्रतिशत रह गया है। ज्यादा विद्यालयों में बच्चों को पुस्तकालय का प्रयोग करते हुए देखा गया है और यह 2010 में 37.9 प्रतिशत से बढ़कर 2011 में 42.3 प्रतिशत हो गया है।

विद्यालयों को अनुदान तो मिलता है परन्तु समय पर नहीं: वित्तीय वर्ष 2008-09 और वित्तीय वर्ष 2010-11 के बीच विद्यालयों को सर्व शिक्षा अभियान के प्रवाहों में महत्वपूर्ण रूप से सुधार हुआ है। हालांकि, यह सुधार मुख्यतया वित्तीय वर्ष 2008-09 और वर्ष 2009-10 के बीच हुआ है। असल में वित्तीय वर्ष 2009-10 और 2010-11 के बीच अनुदान प्राप्त करने वाले विद्यालयों के अनुपात में मामूली कमी पायी गई है। आंकड़े दर्शाते हैं कि विद्यालयों की प्रवृत्ति वित्त वर्ष के उत्तरार्ध में अनुदान प्राप्त करने की रहती है।

शिष्य-अध्यापक अनुपात और कक्षा-अध्यापक अनुपात संबंधी अनुपालन में ज्यादा परिवर्तन नहीं: अखिल भारतीय स्तर पर शिष्य-अध्यापक अनुपात संबंधी शिक्षा के अधिकार के मापदंडों का अनुपालन करने वाले विद्यालयों के अनुपात में मामूली सुधार हुआ है जो 2010 में 38.9 प्रतिशत से 2011 में 40.7 प्रतिशत हो गया। वर्ष 2011 में केरल अनुपालन करने वाले विद्यालयों में 94.1 प्रतिशत के चलते श्रेष्ठ बना हुआ था और जम्मू व काश्मीर नागालैंड और मणिपुर में 80 प्रतिशत से अधिक विद्यालय इन मापदंडों का अनुपालन कर रहे थे। अखिल भारतीय स्तर पर कम से कम एक कक्षा प्रति अध्यापक वाले विद्यालयों के अनुपात में मामूली से गिरावट आई है जो 2010 में 76.2 प्रतिशत से 2011 में 74.3 प्रतिशत हो गया। मिजोरम में 94.8 प्रतिशत विद्यालय अध्यापक-कक्षा के इन मानदंडों का अनुपालन करते हैं और पंजाब, उत्तराखंड, राजस्थान, उत्तर प्रदेश, गुजरात और महाराष्ट्र में 80 प्रतिशत से ज्यादा विद्यालय अनुपालन करते हैं।

भवनों, खेल के मैदानों, चारदीवारियों अथवा पेयजल में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं: वर्ष 2011 के अखिल भारतीय आंकड़े कार्यालय-सह-भंडार वाले विद्यालयों के अनुपात में कोई महत्वपूर्ण सुधार नहीं दर्शाते हैं। यह आंकड़ा 74 प्रतिशत पर डटा हुआ है। इसी तरह समूचे देश में 2010 और 2011 में निरीक्षण किए गए विद्यालयों में लगभग 62 प्रतिशत के पास खेल के मैदान थे। हालांकि चारदीवारी वाले सभी विद्यालयों के अनुपात में वृद्धि हुई है और यह 2010 में 50.9 प्रतिशत से 2011 में 54.1 प्रतिशत हो गई। राष्ट्रीय रूप से कोई पेयजल की व्यवस्था नहीं वाले विद्यालयों का अनुपात 2010 में 17.0 प्रतिशत और 2011 में लगभग 16.6 प्रतिशत पर बना हुआ है। प्रयोज्य पेयजल सुविधा वाले विद्यालयों का अनुपात लगभग 73 प्रतिशत पर स्थिर बना हुआ है। केरल का 93.8 प्रतिशत प्रयोज्य पेयजल सुविधा वाले विद्यालयों के साथ सर्वोत्तम रिकार्ड है।

कुछ नकारात्मक बातें

कई राज्यों ने बुनियादी पठन स्तरों में गिरावट दर्शायी है: राष्ट्रीय रूप से समूचे उत्तर भारत के कई राज्यों में पठन स्तरों में गिरावट के अनुमान हैं। स्टैंडर्ड V के बच्चों द्वारा स्टैंडर्ड II के स्तर का पाठ पढ़ने की सामर्थ्य के अनुपात का अखिल भारतीय आंकड़ा 2010 में 53.7 प्रतिशत से गिरकर 2011 में 48.2 प्रतिशत रह गया। ऐसी गिरावटें दक्षिणी राज्यों में दृष्टिगोचर नहीं हुई हैं। कुछ राज्यों के बड़े अच्छे समाचार हैं। गुजरात, पंजाब और तमिलनाडु में 2011 की संख्या 2010 से बेहतर है। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में अनेक राज्यों ने भी सकारात्मक परिवर्तन दर्शाए हैं। कर्नाटक और आंध्र प्रदेश के आंकड़े पिछले वर्ष जैसे अपरिवर्तित बने रहे हैं।

अधिकतर राज्यों में सभी ने अंकगणित के स्तरों में भी गिरावट दर्शायी है: एएसईआर, 2011 में अनुमानित बुनियादी अंकगणित के स्तरों में गिरावट दर्शायी गई है। उदाहरणार्थ, राष्ट्रीय रूप से, स्टैंडर्ड III के बच्चों द्वारा उधार की 2 अंक वाली घटा की समस्या को हल करने की योग्यता का अनुपात 2010 में 36.3 प्रतिशत से गिरकर 2011 में 29.9 प्रतिशत रह गया है। स्टैंडर्ड V के बच्चों में इसी तरह की घटा की समस्याएं हल करने की योग्यता 2010 में 70.9 प्रतिशत से गिरकर 2011 में 61.0 प्रतिशत रह गई है। यह गिरावट लगभग हर राज्य में दृष्टिगोचर हुई है, केवल आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु ने 2010 की तुलना में 2011 में सुधार दर्शाए हैं। भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र में कई राज्यों ने भी सकारात्मक परिवर्तन दर्शाया है। गुजरात में अंक गणित के स्तरों में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

बच्चों की उपस्थिति कम हुई है: अखिल भारतीय स्तर पर ग्रामीण प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों की उपस्थिति में वर्ष 2007 के 73.4 प्रतिशत आंकड़े से वर्ष 2011 में गिरावट 70.9 प्रतिशत की दिखी है। कुछ राज्यों में इस समय के दौरान बच्चों की उपस्थिति में तीव्र गिरावट हुई है: उदाहरणार्थ बिहार के प्राथमिक विद्यालयों में 2007 के दौरान बच्चों की औसत उपस्थिति 59.0 प्रतिशत थी तथा 2011 में 50.0 प्रतिशत थी। मध्य प्रदेश में यह 2007 में 67.0 प्रतिशत से गिरकर 2011 में 54.5 प्रतिशत तथा उत्तर प्रदेश में 64.4 प्रतिशत (2007) से 57.3 प्रतिशत (2011) हो गयी है।

सभी कक्षा 2 तथा कक्षा 4 के आधे से अधिक विद्यार्थी अन्य कक्षा के साथ बैठते हैं: राष्ट्रीय स्तर पर, ग्रामीण प्राथमिक सरकारी विद्यालयों के संदर्भ में, उन सभी कक्षाओं जिनका दौरा किया गया था, आधे से अधिक कक्षाएं मल्टीग्रेड थीं। उदाहरणार्थ, अखिल भारतीय स्तर पर प्राथमिक विद्यालयों में कक्षा 2 के विद्यार्थियों में 58.3 प्रतिशत विद्यार्थी एक अथवा अनेक अन्य कक्षाओं के विद्यार्थियों के साथ बैठ रहे थे। कक्षा 4 हेतु यह आंकड़ा 53 प्रतिशत था।

स्रोत: एएसईआर 2011, दिनांक 16 जनवरी 2011 की प्रेस विज्ञप्ति।

website http://images2.asercentre.org/asereports/ASER_2011_PRESS_RELEASE.pdf

सरकारी संगठन, प्रथम द्वारा शिक्षा की वार्षिक प्रास्थिति रिपोर्ट (एएसईआर) में 2005 से 558 जिलों, 16,017 गांवों, 327,372 परिवारों और 633,465 बच्चों पर किए गए ग्रामीण बच्चों के अपने सातवें वार्षिक सर्वेक्षण में अनेक सकारात्मक के साथ-साथ नकारात्मक विशेषताएं हैं (बाक्स 13.4)। यह विशेष रूप से इंगित करती है कि शिक्षा की गुणवत्ता के संदर्भ में और कार्य किए जाने की जरूरत है।

उच्च तथा तकनीकी शिक्षा

13.32 ज्ञान-आधारित 21वीं शताब्दी के समाज के निर्माण हेतु एक शक्तिशाली साधन के रूप में उच्च शिक्षा देश के लिए काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय उच्च शिक्षा प्रणाली विश्व में सबसे बड़ी प्रणालियों में से एक है। स्वतंत्रता के समय केवल 20 विश्वविद्यालय तथा 500 कालेज थे जिनमें 0.1 मिलियन विद्यार्थी थे; अगस्त 2011 तक की स्थिति के अनुसार यह बढ़कर 611 विश्वविद्यालय तथा विश्वविद्यालय-स्तर के संस्थान एवं 31,324 महाविद्यालय हो गए हैं। इक्कीसवीं शताब्दी की चुनौतियों हेतु तैयार होने के लिए सरकार ने ग्यारहवीं योजना अवधि के दौरान कई कदम उठाए हैं जो कि उच्चतर शिक्षा के अभिशासन में सुधारों सहित बराबरी और उत्कृष्टता के साथ पहुंच में सुधार, राज्य-विनिर्दिष्ट रणनीति अपनाना, पाठ्यक्रम सुधारों द्वारा उच्चतर शिक्षा की तर्कसंगतता की बढ़ोतरी, उसे रोजगारन्मुखी बनाना, नेटवर्किंग तथा सूचना प्रौद्योगिकी एवं दूरवर्ती शिक्षा पर केन्द्रित हैं। 30 केन्द्रीय विश्वविद्यालय, 8 नए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी), 8 नए भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम), 10 नए राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान (एनआईटी), 20 नए भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईआईटी), 3 नए भारतीय विज्ञान शिक्षा तथा अनुसंधान संस्थान, 2 नए योजना तथा वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), 374 मॉडल महाविद्यालय तथा 1000 बहुकला-केन्द्रों की स्थापना करते हुए सरकार ने ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान नए शैक्षिक संस्थानों की स्थापना करते हुए विश्वविद्यालय शिक्षा का बड़े पैमाने पर विस्तार करने का कदम उठाया है। अन्य महत्वपूर्ण कदमों में राज्य अभियांत्रिकी संस्थानों का उन्नयन, अनुसंधान फ़ैलोशिप का विस्तार तथा लड़कियों के लिए छात्रावासों का प्रावधान, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों हेतु आरक्षण, पिछड़ों पर ध्यान केन्द्रित करना, पूर्वोत्तर सहित पहाड़ी तथा दूर-दराज के इलाकों के लिए आरक्षण, अल्पसंख्यकों से संबंधित विद्यार्थियों, लड़कियों तथा विकलांग व्यक्तियों की भागिता में बढ़ोतरी को सुविधाजनक बनाना, छात्रवृत्ति, ब्याज मुक्त आर्थिक सहायता वाले शिक्षा ऋणों का प्रावधान, उन स्थानों पर बहुकला केन्द्रों की स्थापना करना जहां वे मौजूद नहीं हैं तथा कम जीईआर जिलों में डिग्री कालेजों की स्थापना करना शामिल हैं। आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन, जिसका उद्देश्य विश्वविद्यालयों तथा महाविद्यालय को हाई-स्पीड ब्रॉडबैंड तथा कनेक्टिविटी उपलब्ध कराना, विभिन्न विधाओं में ई-सामग्री का विकास करना

है, कार्यान्वित किया जा रहा है। किसी भी समय, किसी स्थान पर गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराने तथा उस तक पहुंच को व्यापक बनाने के लिए मुक्त तथा दूरवर्ती शिक्षा को प्रोत्साहित किया जाता है। अन्तर्राष्ट्रीयकरण तथा सहयोगी व्यवस्थाएं करना तथा यूनेस्को श्रेणी I के संस्थान की स्थापना करना, शिक्षा की वैश्विक पहुंच का विस्तार करने के अन्य उपाय हैं। 2009-10 से आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के विद्यार्थियों के लिए शैक्षिक ऋणों के ब्याज पर आर्थिक सहायता की एक नई योजना प्रारम्भ की गयी है। योजना के अंतर्गत भारत में मान्यताप्राप्त संस्थानों से तकनीकी तथा व्यावसायिक पाठ्यक्रमों हेतु भारतीय बैंक एसोसिएशन के किसी अनुसूचित बैंक की शिक्षा ऋण योजना के अंतर्गत आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के छात्रों द्वारा लिए गए ऋणों की चुकौती अवधि के दौरान ब्याज पर पूरी आर्थिक सहायता का भुगतान केन्द्र सरकार द्वारा किया जाता है। शिक्षा के आर्थिक विकास और आर्थिक संवृद्धि के लिए चालक शक्ति होने के महत्वपूर्ण घटक बनने के चलते भारत और पूरे विश्व में सरकारें उच्च शिक्षा को सब्सिडी प्रदान कर रही हैं। हालांकि विगत वर्षों से प्रति व्यक्ति लागतें और वृद्धिकारी तृतीय स्तर की भागीदारी में तीव्र बढ़ोतरी के कारण लागतों और राजस्व के अनुमानों में अंतर ने राजकोष पर भारी दबाव डाल दिया है। इससे भी बढ़कर सब्सिडियां इस अर्थ में असमान रहती हैं कि किसी के माता-पिता के पास धन के बावजूद राज्य की सब्सिडी वाली संस्थाओं में सभी व्यक्ति एक की स्तर की सब्सिडी प्राप्त करते हैं। इसलिए ऐसे विचार हैं जो यह तर्क प्रस्तुत करते हैं कि उच्च शिक्षा के लिए सरकारी सहायता घटायी जाए और इसे बेहतर वाणिज्यिक विद्यार्थी ऋण स्कीमों द्वारा प्रतिस्थापित किया जाए (बाक्स 13.5 देखें)।

13.33 उच्चतर तथा तकनीकी शिक्षा के संवर्धन हेतु 2011-12 के दौरान उठाए गए महत्वपूर्ण कदमों में से कुछ इस प्रकार हैं:

- आईसीटी के माध्यम से राष्ट्रीय शिक्षा मिशन: मिशन के मुख्य अवयव संस्थानों तथा प्रशिक्षुओं को पहुंच उपकरण प्रदान करने के साथ सामग्री तैयार करना तथा कनेक्टिविटी है। अब तक लगभग 400 विश्वविद्यालयों को 1 जीबीपीएस कनेक्टिविटी उपलब्ध करा दी गयी है अथवा उन्हें योजना के अंतर्गत चिन्हित किया गया है तथा 14,000 से अधिक कालेजों को वीपीएन कनेक्टिविटी भी उपलब्ध करा दी गयी है। आईसीटी के नए अनूठे उपयोग के लिए भी कई परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं। दूसरे (II) चरण में अभियांत्रिकी, विज्ञान, तकनीक, मानविकी तथा प्रबंधन के 996 पाठ्यक्रमों की ई-सामग्री तैयार करने का कार्य आईआईटी, मद्रास द्वारा प्रारम्भ किया गया है। शैक्षिक संचार हेतु सहायता संघ (सीईसी) को 87 स्नातकपूर्व विषयों की ई-सामग्री तैयार करने का कार्य सौंपा गया है। 77 स्नातकोत्तर विषयों की ई-सामग्री तैयार करने के लिए एक प्रस्ताव विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) द्वारा अनुमोदित किया गया है। इस

बॉक्स 13.5 : शैक्षिक गरीबी के जाल से बचना: आय आकस्मिकता ऋण और उच्च शिक्षा का वित्तपोषण

विद्यार्थियों के लिए ऋणों हेतु विद्यमान ऋण बाजार अत्यंत अपूर्ण हैं (उच्च व्याज दर और संपार्श्विक अपेक्षाओं के चलते)। इसका विकल्प है आय आकस्मिकता ऋण (इसके बाद आईसीएल)। फ्रिडमैन और कुजनेट्स वे पहले व्यक्ति थे जिन्होंने सुझाव दिया कि लोग भावी आय योजनाओं में अपने 'शेयर' बेच सकते हैं और ऋण ले सकते हैं। नरलोव ने औपचारिक तौर पर इस विचार पर विचार-विमर्श किया और एक आईसीएल स्कीम का प्रस्ताव किया। आईसीएल अनिवार्य रूप से एक ऋण है जो उसे दिया जाता है जो उच्च शिक्षा में निवेश करना चाहता है और इसकी वापसी अदायगी, जो एक बार व्यक्ति की नौकरी लगने पर शुरू होगी, एक निर्धारित समयवधि के लिए अदा की जाने वाली आय की कतिपय प्रतिशतता के संदर्भ में मूल्यवर्गित होगी। ऐसे ऋण सामान्यतया सीधे शैक्षिक संस्थाओं को दिए जाते हैं और फिर विद्यार्थी का रोजगार लगने पर वसूल किए जाते हैं। आईसीएल की अलग होने की विशेषता परिणामों के अनुकूल न होने के विरुद्ध बीमा है क्योंकि अदायगी की राशि सीधे आय से जुड़ी है और कतिपय सीमान्त आय स्तर से नीचे शून्य भी हो सकती है।

आस्ट्रेलिया पहला देश था जिसने 1973 में उच्च शिक्षा अंशदान योजना नामक उच्च शिक्षा हेतु व्यापकता आधारित आय-आकस्मिकता प्रभार्य प्रणाली की स्थापना की थी। न्यूजीलैंड और दक्षिण अफ्रीका ने 1991 में अपनी राष्ट्रीय विद्यार्थी वित्तीय सहायता योजना शुरू की। यूके, इजराइल और अमरीका ने भी ऐसी ही योजनाएं शुरू की हैं। इन सभी योजनाओं में आईसीएल का बुनियादी महक आती है परन्तु अन्य अवयव भिन्न हैं। यह साक्ष्य है कि आस्ट्रेलिया में विश्वविद्यालय भागीदारों की सामाजिक संरचना पहले की तुलना में उच्च शिक्षा अंशदान योजना के बाद ज्यादा समान थी। इससे भी बढ़कर उच्च शिक्षा अंशदान योजना के बाद मध्यम आय समूह और महिलाओं की भागीदारी में सापेक्ष वृद्धि ज्यादा थी।

भारतीय सांख्यिकीय संस्थान द्वारा ही में तैयार किए गए सैद्धांतिक दस्तावेज में किसी विकासशील देश के ढांचे में मानक बंधक ऋणों के विकल्प की स्कीम को आईसीएल के प्रभाव का उल्लेख किया गया है। सक्रिय सरकारी हस्तक्षेप के बिना गरीब अर्थव्यवस्थाओं को शिक्षा के निम्न स्तर और विद्यालय छोड़कर चले गए बच्चों की भारी संख्या के रूप में जाना जाता है। गरीबी के चलते उच्च शिक्षा में वित्तपोषण की रुकावटें परिवारों को अपने बच्चों को काम पर भेजने के लिए विवश करती हैं जो उनकी शिक्षा और कौशल विकास में बाधा बनती हैं जिससे उनकी भविष्य में कमाने की सामर्थ्य सीमित हो जाती है इस पारंपरिक गरीबी (अथवा गरीबी का 'जाल') का मुकाबला करने के लिए नीतियां बनाने हेतु ऐसी किसी भी योजना के गतिशील परिणामों को हिसाब में जरूर लेना चाहिए। कोई सरकारी प्रायोजित आईसीएल योजना प्रभावी गरीबी-रोधी उपाय के रूप में प्रयोग की जा सकती है क्योंकि यह शिक्षा में निवेश करने के लिए गरीब परिवारों हेतु गतिशील प्रोत्साहन सृजित करती है जो उन्हें दीर्घावधि गरीबी के जाल से बचाती है। आईसीएल के इस शैली वाले रूप में केवल सफलता की स्थिति में ही एजेंट सरकार को अतिरिक्त कर के रूप में ऋण अदा करते हैं। उस स्थिति में यदि एजेंट असफल रहते हैं तो एक निम्नतम सीमा है जिससे नीचे उनकी आय कम नहीं होगी। इस प्रकार उनके लिए, जो कौशल संरचना के लिए जाते हैं, सहारे की व्यवस्था करके आईसीएल योजना यह सुनिश्चित करती है कि कौशल निर्माण के लिए गतिशील प्रोत्साहन उनके लिए भी बने रहने चाहिए जो अपने शुरूआती प्रयासों में असफल रहते हैं। इसके साथ ही गरीब परिवारों के जीवन भर की बजटीय रुकावटों में छूट देते हुए यह अधिक लोगों को कौशल निर्माण के लिए प्रोत्साहित करती है। सब्सिडियों और मानक बंधक ऋणों के अतिरिक्त आईसीएल के लाभों में राजकोषीय लाभ क्योंकि वे स्व-वित्तपोषित हैं; आईसीएल के रूप में इक्विटी को गरीबों के लाभार्थ लक्षित किया जा सकता है; सब्सिडियां परिव्यय उन्मुखी होने की बजाय परिणाम उन्मुखी हों; और परिवारों के लिए जोखिम कम करने वाले, शामिल हैं। सरकार द्वारा उठाया गया जोखिम सकल मानव पूंजी संचयन से सकारात्मक फैलाव द्वारा संतुलित, बेहतर सामाजिक-आर्थिक परिणामों और परिणामस्वरूप होने वाले कराधार विस्तार और राजस्व वृद्धियों से बड़ा है।

स्रोत: भारतीय सांख्यिकीय संस्थान, नई दिल्ली द्वारा अध्ययन पर आधारित।

कार्यक्रम के अंतर्गत 2000 से अधिक ई-पत्र तथा 297 प्रकाशकों की 55,000 ई-पुस्तकें ऑनलाइन उपलब्ध करायी गयी हैं। इस वर्ष के दौरान प्रमुख विकास आकाश, एक कम कीमत वाला एक्सेस-कम-कम्प्यूटिंग डिवाइस, का विमोचन है जो 5 अक्टूबर, 2011 को विमोचित किया गया था। आईआईटी, राजस्थान को राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के अंतर्गत सूचना तथा संचार तकनीक योजना के माध्यम से आकाश उपकरणों के अधिग्रहण एवं जांच हेतु 47.72 करोड़ रुपयों का अनुदान दिया गया है।

- भारतीय आईटी उद्योग की बढ़ती हुई हुनर/कौशल चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार ने पी पी पी आधार पर बीस नए आईआईआईटी की स्थापना को अनुमोदित किया है। आईआईआईटी की स्थापना में भागीदार मानव संसाधन विकास (एच आर डी) मंत्रालय, संबंधित राज्य जहां पर प्रत्येक आईआईआईटी स्थापित किया जाएगा, तथा उद्योग होंगे। 2011-12

से 2019-20 के नौ वर्षों के दौरान परियोजना को पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। इस संबंध में, सरकार ने 20 आईआईआईटी की स्थापना हेतु राज्यों से प्रस्ताव मंगाए हैं।

- जम्मू और कश्मीर में रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए तथा सार्वजनिक व निजी क्षेत्रों में काम योजना तैयार करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा विशेषज्ञ समूह गठित किया गया था। विशेषज्ञ समूह की एक महत्वपूर्ण सिफारिश अगले पांच वर्षों के दौरान जम्मू और कश्मीर के नौजवानों को जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर उच्चतर अध्ययन हेतु प्रोत्साहित करने के लिए प्रति वर्ष 5000 छात्रवृत्तियां देना थी। इस योजना के अंतर्गत जम्मू और कश्मीर के वे छात्र जो कक्षा XII अथवा उसके समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण करने के उपरान्त जम्मू और कश्मीर राज्य के बाहर सरकारी कालेजों तथा अन्य चुनिन्दा संस्थानों में प्रवेश पा लेते हैं, उन्हें शिक्षण शुल्क, छात्रावास शुल्क, पुस्तकों की

लागत तथा अन्य फुटकर प्रभार उपलब्ध कराए जाते हैं। यह योजना 2011-12 से कार्यान्वित की जा रही है।

- कुछ संस्थानों जैसे आईआईटी ने अनूठापन संबंधित करने के लिए अपने परिसरों में तकनीकी व्यवसाय परिपक्वता सुविधाओं का सृजन किया है। यह विद्यार्थियों तथा शिक्षकों में अपने अनुप्रयुक्त अनुसंधान में से कुछ भाग को व्यावसायिक मॉडल के सृजन द्वारा बाजार तक ले जाने के लिए ध्यानाकर्षण बिन्दु साबित हो रहे हैं। इन प्रयासों का व्यापक रूप से विस्तार करने की आवश्यकता है (क) ऐसी नवीनताओं के पूर्ववर्ती सफल केन्द्रों को बढ़ावा देकर, तथा (ख) देश के सभी उच्चतर तकनीकी संस्थानों में ऐसे कई नए केन्द्रों का सृजन करके।

स्वास्थ्य

13.34 वर्ष 2002 की राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति तथा उसके बाद की पंचवर्षीय योजनाओं में तय की गयी प्राथमिकताओं में स्वास्थ्य देखभाल हेतु नीतियों तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन हेतु ढांचा उपलब्ध कराती है। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति रोग निरोधी तथा उपचारी स्वास्थ्य-देखभाल सेवाएं उपलब्ध कराती है तथा उसका उद्देश्य विकेन्द्रीकृत जन स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुंच बढ़ाते हुए आम जनता में स्वास्थ्य के स्वीकार्य मानक प्राप्त करना है। कमी वाले क्षेत्र में नई अवसंरचना की स्थापना करके तथा विद्यमान अवसंरचना में उन्नयन करते हुए विकेन्द्रीकृत स्वास्थ्य प्रणाली तक पहुंच बढ़ाने का प्रस्ताव है। चेचक, कुष्ठ रोग, पोलियो तथा टीबी जैसी बीमारियों के उन्मूलन अथवा नियंत्रण में सफलता, स्वास्थ्य के कुछ

क्षेत्रों में हुई प्रगति की सूचक है। देश में समग्र लिंग अनुपात 2011 (अनंतिम) की जनगणना के अनुसार 2001 में 933 से बढ़कर 940 हो गया है। पिछले वर्षों के दौरान भारत द्वारा की गयी प्रगति सारणी 13.12 में दिए गए स्वास्थ्य सूचकांकों से प्रदर्शित होती है।

13.35 कई आयामों में हुई प्रगति के बावजूद कुछ ऐसे विचारणीय क्षेत्र हैं जहां क्षेत्रों में हुई प्रगति काफी असमान है तथा बड़े पैमाने पर अंतर्राज्यीय अन्तर हैं तथा ग्रामीण व दूरदराज के इलाकों में अभी भी स्वास्थ्य सुविधाओं एवं स्वास्थ्य कर्मियों की कमी बरकरार है। यह हाल की कुछ रिपोर्टों में भी इंगित होता है (बाक्स 13.6)।

13.36 वर्ष 2011-12 में स्वास्थ्य हेतु योजना परिव्यय 26,760 करोड़ रुपए है। इस परिव्यय में अन्य के साथ राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत 17,840 करोड़ रुपए तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र व सिक्किम हेतु योजनाओं/परियोजनाओं हेतु 2356 करोड़ रुपए है। तृतीय क्षेत्र को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई) के लिए 1616.57 करोड़ रुपए का प्रावधान चिन्हित किया गया है। कैंसर, मधुमेह, हृदय रोग तथा स्ट्रोक की रोकथाम व नियंत्रण राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीडीसीएस) के लिए 2011-12 में 125 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। 2011-12 के दौरान राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण कार्यक्रम, जिसका उद्देश्य बचाव, ध्यान, समर्थन तथा उपचार हेतु एकीकृत कार्यक्रमों द्वारा देश में एचआईवी महामारी को रोकना तथा उलटना है के लिए 1700 करोड़ रुपए चिन्हित किए गए हैं। सरकार राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुविधाओं की डिलीवरी में संगठित तथा वैज्ञानिक तरीके द्वारा आयुष (आयुर्वेद, योग, यूनानी, सिद्ध तथा होम्योपैथी) प्रणाली को शामिल/एकीकृत करने के लिए भारतीय चिकित्सा पद्धति को विकसित तथा संबंधित भी करना

सारणी 13.12 : भारत : चुनिंदा स्वास्थ्य संसूचक

क्र.सं.	प्राचल	1981	1991	मौजूदा स्तर
1.	अशोधित जन्म दर (सीबीआर) (प्रति 1000 जनसंख्या)	33.9	29.5	22.1 (2010*)
2.	अशोधित मृत्यु दर (सीडीआर) (प्रति 1000 जनसंख्या)	12.5	9.8	7.2 (2010*)
3.	कुल प्रजनन दर (टीएफआर)(प्रति महिला)	4.5	3.6	2.6 (2009*)
4.	मातृत्व मृत्यु दर (एमएमआर) (प्रति 1,00,000 जीवित जन्म)	उन	उन	212 (2007-9*)
5.	शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) (प्रति 1000 जीवित जन्म)	110	80	47(2010*)
	ग्रामीण			51
	शहरी			31
6.	बाल (0-4 वर्ष) मृत्यु दर (प्रति 1000 बच्चे)	41.2	26.5	14.1 (2009*)
7.	जन्म पर जीवन प्रत्याशा	(1981-85)	(1989-93)	(2002-06)**
	कुल	55.4	59.4	63.5
	पुरुष	55.4	59.0	62.6
	महिला	55.7	59.7	64.2

स्रोत: स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय।

*प्रतिदर्श पंजीकरण सर्वेक्षण (एसआरएस), आरजीआई

**संक्षिप्त जीवन तालिका 2002-06, आरजीआई।

उन: उपलब्ध नहीं

बॉक्स 13.6 : भूख तथा कुपोषण पर केन्द्रित 100 जिलों के सर्वेक्षण हंगामा (एचयूएनजीएमए) के निष्कर्ष

बाल कुपोषण की व्यापकता में कमी का पता लगना: बच्चों के सामान्य से कम वजन की व्यापकता 53 प्रतिशत से घट कर 42 प्रतिशत हो गयी है; इससे 7 वर्षों की अवधि के दौरान 20.3 प्रतिशत घटोत्तरी प्रदर्शित होती है तथा औसत वार्षिक दर में 2.9 प्रतिशत की घटोत्तरी हुई है।

बाल कुपोषण सभी राज्यों तथा जिलों में काफी व्यापक है तथा जीवन के प्रारम्भ में शुरू हो जाता है; पांच वर्ष से कम आयु के 42 प्रतिशत बच्चे सामान्य से कम वजन के हैं तथा 59 प्रतिशत अविकसित हैं। अवरोध से पीड़ित बच्चों में लगभग आधे काफी अविकसित हैं; सभी बच्चों में से लगभग आधे 24 महीनों की आयु तक सामान्य से कम वजन के हैं अथवा अविकसित हैं।

बच्चों के कुपोषण हेतु जन्म के समय वजन एक महत्वपूर्ण जोखिमकारक है: जन्म के समय 2.5 कि॰ ग्रा॰ से कम वजन के बच्चों में से 50 प्रतिशत में सामान्य से कम वजन व्याप्त है जबकि जन्म के समय 2.5 कि॰ग्रा॰ से अधिक वजन वाले बच्चों में यह 34 प्रतिशत है।

बच्चों की पोषण स्थिति पर घरेलू सामाजिक-आर्थिक स्थिति का महत्वपूर्ण प्रभाव होता है: कम आय वाले परिवारों में बच्चों में कुपोषण की व्यापकता पर्याप्त रूप से अधिक होती है। मुस्लिम अथवा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के परिवारों के बच्चों में सामान्यता कम पोषण सूचकांक प्रदर्शित होते हैं।

लड़कों पर लड़कियों के पोषण का लाभ वक्त के साथ फीका पड़ जाता है: अपने जीवन के पहले कुछ महीनों में लड़कों के मुकाबले लड़कियों को प्राप्त पोषण लाभ आयु वृद्धि होने पर समय के साथ उल्टा होता प्रतीत होता है, जो कि लड़कियों में बचपन की शुरुआत के मुकाबले बाद में नजरअन्दाजी दर्शाता है।

माताओं का शैक्षिक स्तर बच्चों के पोषण को निर्धारित करता है: जो माताएं कुछ पढ़ी-लिखी नहीं होतीं उनमें बाल कुपोषण की व्यापकता 45 प्रतिशत है तथा 10 वर्ष अथवा उससे अधिक वर्षों की शिक्षा प्राप्त माताओं में 27 प्रतिशत है, 92 प्रतिशत माताओं ने "कुपोषण" शब्द कभी नहीं सुना था।

नवजात को नवदुग्ध तथा बच्चे के जीवन के पहले 6 महीनों के दौरान केवल स्तनपान सामान्यतया अपनाया नहीं जाता: 51 प्रतिशत माताओं ने अपने नवजात को जन्म के तुरन्त बाद नवदुग्ध नहीं दिया तथा 58 प्रतिशत माताओं ने अपने शिशुओं को 6 महीनों से पहले पानी पिला दिया।

साबुन से हाथ धोना एक सामान्य प्रथा नहीं है: 11 प्रतिशत माताओं ने कहा कि खाना खाने से पहले वह साबुन से हाथ धोती हैं तथा 19 प्रतिशत शोच से आने के बाद ऐसा करती हैं।

आंगनवाड़ी केन्द्र बड़े पैमाने पर हैं परन्तु हमेशा दक्ष नहीं हैं; 96 प्रतिशत गांवों में आंगनवाड़ी केन्द्र हैं, उनमें से 61 प्रतिशत पक्की इमारतों में हैं; आंगनवाड़ी में आने वाली माताओं द्वारा ली जाने वाली सेवाओं में सर्वाधिक अनुपात (86 प्रतिशत) टीकाकरण है; 61 प्रतिशत आंगनवाड़ी केन्द्रों में सूखा राशन उपलब्ध था तथा सर्वेक्षण के दिन 50 प्रतिशत भोजन मुहैया करा रहे थे; केवल 19 प्रतिशत माताओं ने कहा कि आंगनवाड़ी केन्द्र माता-पिता को पोषण संबंधी परामर्श उपलब्ध कराता है।

स्रोत: छह राज्यों:- बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश, ओडिशा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के 100 केन्द्रित जिलों में सबसे कम बाल विकास सूचकांकों पर सर्वेक्षण रिपोर्ट एचयूएनजीएमए

<http://hungamaforchange.org>

चाहती है तथा उसने 2011-12 के योगदान परिव्यय में इसके लिए 900 करोड़ रुपए आवंटित किए हैं।

13.37 देश में जन स्वास्थ्य निवेश में बढ़ोत्तरी हुई है। चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य, जलापूर्ति तथा स्वच्छता तथा परिवार कल्याण पर केन्द्र तथा राज्यों का सम्मिलित राजस्व तथा पूंजीगत व्यय 2006-07 के 53,057.80 करोड़ रुपए से बढ़कर 2010-11 (ब.अ.) में 96,672.79 करोड़ रुपये हो गया है। स्वास्थ्य क्षेत्र में संसाधन आवंटन में बढ़ोत्तरी के अतिरिक्त सरकार गरीबों तथा हाशिए पर रह रहे श्रमिकों को आरएसबीवाई जैसी आर्थिक मदद वाली स्वास्थ्य बीमा योजनाओं के माध्यम से, सार्वजनिक तथा निजी स्वास्थ्य सुविधा डिलीवरी चैनलों से मूलभूत स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लिए भी महत्वपूर्ण भूमिका निबाह रही है। आरएसबीवाई का मनरेगा लाभार्थियों तथा बीडी श्रमिकों को कवर करने के लिए विस्तार किया जा रहा है। सरकार द्वारा विकेन्द्रीकृत लोक स्वास्थ्य प्रणाली हेतु वाजिब पहुंच बनाने के लिए किए जा रहे प्रयासों के बावजूद, जन-स्वास्थ्य पर सरकार का व्यय सकल घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कम है।

13.38 सरकार ने प्रमुख परेशानियों को दूर करने तथा विद्यमान स्वास्थ्य अवसंरचना की खाई को पाटने तथा सरल पहुंच वाली उचित कीमत पर एवं समान स्वास्थ्य देखभाल उपलब्ध कराने के लिए कई कार्यक्रम तथा योजनाएं प्रारम्भ की हैं। इनमें एनआरएचएम, वृद्धों की स्वास्थ्य देखभाल हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई), राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम, एनपीसीडीसीएस; प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना (पीएमएसएसवाई), राज्य सरकारों के चिकित्सा कालेजों का उन्नयन/सुदृढीकरण पशु चिकित्सा सेवाओं और आयुष के कार्यक्रम शामिल हैं। प्रमुख कार्यक्रमों का ब्यौरा इस प्रकार है:

एनआरएचएम: वर्ष 2005 में प्रारम्भ हुई एनआरएचएम का उद्देश्य ग्रामीण आबादी के लिए गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराना, स्वास्थ्य क्षेत्र में अन्तर दूर करना, स्वास्थ्य क्षेत्र में विकेन्द्रीकृत योजना को सुविधाजनक बनाना तथा अन्त-क्षेत्रीय अभिसरण लाना है। एनआरएचएम ने प्रजनन तथा बाल विकास (आरसीएच-II) सहित विद्यमान स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण कार्यक्रमों तथा क्षयरोग, कुष्ठ रोग, वेक्टर जनित रोगों तथा दृष्टिहीनता सहित रोगों के नियंत्रण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों पर एक

छत्र उपलब्ध कराया है। प्रयास सभी ऊर्ध्वाधर कार्यक्रमों को एकीकृत करना है। अब सभी कार्यक्रमों को जिला स्तर पर जिला स्वास्थ्य सोसायटी तथा राज्य स्तर पर राज्य स्वास्थ्य सोसायटी के अंतर्गत लाया गया है। एनआरएचएम के अंतर्गत देश भर में स्वास्थ्य प्रणाली में (सितम्बर, 2011 तक) 1.4 लाख से अधिक स्वास्थ्य मानव संसाधन जोड़े गए हैं जिनमें 11,712 डॉक्टर/विशेषज्ञ, 10,851 आयुष डॉक्टर, 66,784 (आक्सिलरी नर्स मिडवाइफ (ए एन एम)), 32,860 स्टाफ नर्स तथा आयुष पैरामेडिक्स सहित 14,434 पैरामेडिक्स शामिल हैं। प्रत्यायित सामाजिक स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं (आशा) को प्रत्येक गांव/बड़ी आबादी में प्रत्येक 1000 आबादी पर एक के अनुपात में लगाया जाता है। सितम्बर, 2011 तक पूरे देश में 8.55 लाख आशा चयनित किए गए हैं जिनमें 8.07 लाख को अभिमुखीकरण प्रशिक्षण दिया गया है तथा काम पर रखा गया है। इसके अतिरिक्त 7.41 लाख आशा को दवा किट उपलब्ध करायी गयी है। अब तक 8330 से ज्यादा प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (पीएचसी), जो कि कुल पीएचसी के लगभग 35 प्रतिशत हैं, को प्रचालन में लाया गया है जो देशभर में 24X7 सेवाएं प्रदान करते हैं। इसके अतिरिक्त, एनआरएचएम के अंतर्गत देश में 442 जिलों को मोबाइल मेडिकल यूनिटों से लैस किया गया है। एनआरएचएम के अंतर्गत, रोकथाम तथा स्वास्थ्य देखभाल के संवर्धन पहलुओं पर बल दिया गया है। गांव के स्तर पर रोग रोकथाम तथा रोकथाम के उपायों संबंधी जागरूकता लाने के लिए गांव स्वास्थ्य स्वच्छता तथा पोषण समितियां (वीएचएसएनसी) गठित की गयी हैं। प्रत्येक वीएचएसएनसी को प्रत्येक वर्ष 10,000/- रुपए उपलब्ध कराए जाते हैं। अब तक 496,338 वीएचएसएनसी गठित की जा चुकी हैं। वीएचएसएनसी सदस्यों के क्षमता निर्माण तथा प्रशिक्षण के लिए राज्यों को निधि भी उपलब्ध करायी जाती है। योजना अवधि के दौरान स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना में लगातार वृद्धि हुई है। मार्च, 2010 तक देश में 147,069 उप-केन्द्र, 23,673 पीएचसी तथा 4535 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (सीएचसी) कार्यरत थे (सारणी 13.13)। सार्वजनिक क्षेत्र में स्वास्थ्य डिलीवरी प्रणाली में शिनाख्त की गयी कुछ कमजोरियों में ग्रामीण क्षेत्र में अधिक अनुपस्थिति तथा घटिया रख-रखाव है। एनआरएचएम सार्वजनिक स्वास्थ्य डिलीवरी प्रणाली का सभी स्तरों पर सुदृढ़ीकरण करना चाहती है।

प्रजनन तथा बाल स्वास्थ्य (आरसीएच): परिवार कल्याण कार्यक्रम के एक भाग के रूप में 1997-8 से आरसीएच कार्यक्रम एक अलग निकाय के रूप में शुरू किया गया जो कि 2004-5 तक था। ग्यारहवीं योजना के दौरान इसे एनआरएचएम की परिधि के अंतर्गत लाया गया। पल्स पोलियो टीकाकरण तथा बच्चों को जीवन घातक परिस्थितियों से सुरक्षा देने के लिए, जिनकी रोकथाम सम्भव है जैसे क्षयरोग, डिपथीरिया (गलघोंटू), परट्यूसिस, टेटनस, पोलियो तथा मिसल्स आदि के लिए सामान्य टीकाकरण इसके अवयव हैं।

सारणी 13.13 : स्वास्थ्य देखभाल अवसंरचना

सुविधाएं	सं.
उप-केन्द्र/पीएचसी/सीएचसी*(2010)	175,277
सरकारी अस्पताल (ग्रामीण और शहरी)**	12,760
आयुष अस्पताल और डिस्पेंसरी	24,943
नर्सिंग कार्मिक (31-12-09)**	1,702,555
डॉक्टर (आधुनिक प्रणाली) (2010)**	816,629

स्रोत : *आर एच एस: भारत में ग्रामीण स्वास्थ्य सांख्यिकी, 2010
**राष्ट्रीय स्वास्थ्य रूपरेखा, 2010

जननी सुरक्षा योजना (जेएसवाई): जननी सुरक्षा योजना का शुभारंभ ऐसे राज्यों और क्षेत्रों में संस्थागत सुविधाओं की डिलीवरी के लिए मांग संवर्धन हेतु किया गया जहां इनका अभाव है और इसमें डिलीवरी तथा डिलीवरी-पश्चात् सुविधाओं के साथ नकद सहायता को जोड़ा जाता है। इसका लक्ष्य, इस बात को सुनिश्चित करते हुए कि प्रसव प्रक्रिया कुशल परिचारिकाओं की देखभाल में सम्पन्न हो, एमएमआर दर को कम करना है। जननी सुरक्षा योजना स्कीम में पिछले तीन वर्षों के दौरान तेजी से प्रगति हुई है जिसके अंतर्गत 2008-09 में 90.37 लाख लाभार्थी तथा 2010-11 में 106.96 लाख लाभार्थी थे। जननी सुरक्षा योजना के अब प्रमुख बल दिए जाने वाले क्षेत्रों में संचालन, पारदर्शिता और शिकायत निपटान तंत्र के मुद्दे शामिल हैं।

जननी शिशु सुरक्षा कार्यक्रम (जेएसएसके): जेएसएसके एक नया प्रयास है जो कि 1 जून 2011 से प्रारम्भ हुआ है। इसमें गर्भवती महिलाओं तथा बीमार नवजात बच्चों को कैशलेस डिलीवरी, सी-सेक्शन, दवाइयां तथा उपभोज्य, जांच, स्वास्थ्य संस्थानों में ठहरने के दौरान खुराक, रक्त उपलब्ध कराना, उपयोगकर्ता प्रभागों से छूट, घर से स्वास्थ्य संस्थान हेतु परिवहन, रेफर करने के मामले में सुविधाओं में परिवहन तथा संस्थानों से घर वापिस छोड़ने का प्रावधान है। 2011-12 के दौरान जेएसएसके के अंतर्गत राज्यों को 1437 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की गयी है। केन्द्रित ध्यान के लिए 21 राज्यों में 264 उच्च ध्यान केंद्रित जिलों की अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति आबादी की सघनता तथा लेफ्ट विंग आतंकवादियों की उपस्थिति के आधार पर कठिन, अगम्य, पिछड़े तथा कम स्वास्थ्य सूचकांक के आधार पर सेवाहीन क्षेत्रों की शिनाख्त की गयी है। माताओं की प्रसव-पूर्व व प्रसव-उपरान्त जांच एवं टीकाकरण सेवाओं की प्रभावी निगरानी हेतु एक मातृ व शिशु ट्रेकिंग प्रणाली शुरू की गयी है जिसमें माताओं के पते तथा टेलीफोन संख्या इत्यादि का पूरा आंकड़ा उपलब्ध होता है।

राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम: यह कार्यक्रम वेक्टर जनित रोगों जैसे मलेरिया, फिलारिएसिस, काला-अजर, जापानी इन्सिफैलिटिस, डेन्गू तथा चिकनगुनिया की रोकथाम तथा

नियंत्रण हेतु कार्यान्वित किया जा रहा है। सरकार ने राज्यों द्वारा डेन्गू तथा चिकनगुनिया सहित वेक्टर जनित रोगों से निपटने के लिए कई कदम उठाए हैं। देश के 20 राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों में 250 फिलेरिया -स्थानिक जिले हैं। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति (2002) का उद्देश्य 2015 तक देश से लिम्फैटिक फिलेरिएसिस उन्मूलन है। काला-अजर चार राज्यों नामतः बिहार, पश्चिम बंगाल, झारखंड तथा उत्तर प्रदेश में स्थानिक है। 2011 के दौरान 31,322 मामलों तथा 78 मौतों की रिपोर्ट प्राप्त हुई। भारत, नेपाल तथा बंगलादेश के बीच हुए त्रिपक्षीय समझौते के अनुसार रोग के उन्मूलन का लक्ष्य 2015 तक रखा गया है। उन्मूलन कार्यक्रमों के अंतर्गत केन्द्र राज्यों को काला-अजर रोधी दवाइयाँ, औषधियाँ तथा कीटनाशकों के साथ-साथ 100 प्रतिशत प्रचालन लागत उपलब्ध कराता है।

संशोधित राष्ट्रीय क्षयरोग नियंत्रण कार्यक्रम (आरएनटीसीपी):

आरएनटीसीपी एक केन्द्र द्वारा प्रायोजित चालू योजना है जो कि डब्ल्यू एच ओ अनुशासित तथा सीधी निगरानी वाले उपचार के छोटे कोर्स, जो कि डॉट्स के नाम से विख्यात है, भारत में चल रही है। कार्यक्रम के अंतर्गत सभी टीबी रोगियों को मुफ्त टीबी रोधी दवाइयों की आपूर्ति सहित उपचार तथा गुणवत्तापूर्ण निदान सुविधाएं दी जाती हैं। देश में 13,000 से अधिक माइक्रोस्कोपी केन्द्र स्थापित किए गए हैं। 2010-11 के दौरान इस कार्यक्रम ने नए थूक सकारात्मक 71 मामलों के पता लगाने और 87 प्रतिशत के सफल उपचार की उपलब्धि प्राप्त की जो टीबी नियंत्रण हेतु वैश्विक लक्ष्य का अनुरूप है।

राष्ट्रीय कुष्ठरोग उन्मूलन कार्यक्रम (एनएलईपी): रोग उन्मूलन के उद्देश्य से एनएलईपी 1983 में प्रारम्भ किया गया था। 22 वर्षों के बाद, 2005 में घातक बीमारी ने राष्ट्रीय स्तर पर प्रत्येक 10,000 की आबादी में 1 से कम केस लोड रिकार्ड किया। मार्च, 2011 में रिकार्ड की गयी व्यापकता प्रत्येक 10,000 पर 0.69 और कम हो गयी।

दृष्टिहीनता के नियंत्रण हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीसीबी):

वर्ष 2020 तक दृष्टिहीनता की व्यापकता को 0.3 प्रतिशत तक घटाने के लक्ष्य से 100 प्रतिशत केन्द्रीय प्रायोजित योजना के रूप में एनपीसीबी 1976 में प्रारम्भ की गयी थी जिसने दृष्टिहीनता की व्यापकता की दर में 1.1 प्रतिशत (2001-02) से 1 प्रतिशत (2006-07) तक घटोतरी प्रदर्शित की।

वृद्धों की स्वास्थ्य रक्षा हेतु राष्ट्रीय कार्यक्रम (एनपीएचसीई):

एनपीएचसीई का उद्देश्य आऊटरीच सेवाओं सहित सरकारी स्वास्थ्य देखभाल डिलिवरी प्रणाली द्वारा विभिन्न स्तरों पर वरिष्ठ नागरिकों को एक अलग तथा विशेषज्ञों की सम्पूर्ण स्वास्थ्य देखभाल सेवा उपलब्ध कराना है। कुछ कार्ययोजनाओं में बचाव तथा संवर्धनकारी देखभाल, बीमारी का प्रबंधन, वृद्धावस्था सेवाओं के लिए स्वास्थ्य मानव शक्ति विकास, चिकित्सा पुनर्वास तथा उपचारी उपाय व सूचना शिक्षा तथा सम्प्रेषण (आईईसी) गतिविधियाँ शामिल हैं।

एनपीएचसीई के मुख्य अवयवों में देश के 21 राज्यों में चयनित 100 जिलों में चिन्हित/चयनित 8 प्रादेशिक चिकित्सा संस्थानों में 30 बिस्तर वाले वृद्धावस्था विभागों की स्थापना तथा जिला, सीएचसी, पीएचसी तथा उप-केन्द्र स्तरों पर समर्पित स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं का प्रावधान करना है।

एनपीसीडीसीएस: एनपीसीडीसीएस ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान प्रारम्भ की गयी थी। इस का उद्देश्य स्वास्थ्य संवर्धन तथा स्वास्थ्य शिक्षा का समर्थन, जोखिम कारकों के उच्च स्तरों वाले व्यक्तियों की अवसरपूर्ण जांच के माध्यम से शीघ्र पता लगाना तथा सभी स्तरों पर स्वास्थ्य प्रणालियों को सुदृढ़ करके असक्रामक बीमारियों (एनसीडी) से निपटने तथा देखभाल की गुणवत्ता में सुधार करना है। वर्तमान में यह योजना 21 राज्यों के 100 जिलों में कार्यान्वित की जा रही है।

तीसरी स्वास्थ्य रक्षा में मानव संसाधन तथा अवसंरचना

विकास: ग्यारहवीं योजना में स्वास्थ्य क्षेत्र में मानव संसाधनों की उपलब्धता में सुधार हेतु कई उपाय भी देखने को मिले। सरकारी चिकित्सा कालेजों को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से नए चिकित्सा कालेज खोलने के लिए भूमि की आवश्यकता के मानदंड तथा अवसंरचना अपेक्षाओं को संशोधित किया गया है। प्राध्यापक वर्ग की जरूरतों को भी संशोधित किया गया है। इसके साथ एमबीबीएस स्तर पर प्रवेश संख्या विशेष रूप से कम सेवा वाले राज्यों में बढ़ायी गयी है।

पीएमएसएसवाई:

पीएमएसएसवाई को आरम्भ करने का उद्देश्य देश में सस्ती/विश्वसनीय सहायक स्वास्थ्य सेवाओं की उपलब्धता में क्षेत्रीय असंतुलनों को दूर करना और गुणवत्ता वाली चिकित्सा शिक्षा हेतु सुविधाओं में वृद्धि करना है। एम्स जैसे संस्थानों की स्थापना करके तथा विद्यमान चिकित्सा कालेजों का उन्नयन करके इसे हासिल करने का प्रस्ताव है। पीएमएसएसवाई का उद्देश्य (i) पहले चरण में भोपाल, भुवनेश्वर, जोधपुर, पटना, रायपुर तथा ऋषिकेश में 6 एम्स जैसे संस्थानों का निर्माण तथा दूसरे चरण में पश्चिम बंगाल तथा उत्तर प्रदेश में; ii) पहले चरण में 13 चिकित्सा कालेजों का उन्नयन तथा दूसरे चरण में 6 का। उन्नयन कार्यक्रम में मुख्यतः सुपर स्पैशियलिटी ब्लाकों/ट्रामा सेन्टर्स इत्यादि का निर्माण, विद्यमान तथा नयी सुविधाओं के लिए चिकित्सा उपकरणों की खरीद के माध्यम से स्वास्थ्य अवसंरचना में सुधार का प्रस्ताव है। तीसरे चरण में केरल, कर्नाटक तथा मध्य प्रदेश प्रत्येक में एक-एक तथा बिहार व उत्तर प्रदेश में दो-दो चिकित्सा कालेजों सहित सात और चिकित्सा कालेजों का उन्नयन प्रस्तावित है।

राज्य सरकार चिकित्सा कालेजों का उन्नयन/सुदृढ़ीकरण:

राज्य सरकार चिकित्सा कालेजों के सुदृढ़ीकरण/उन्नयन के लिए यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना है। योजना में 1350 करोड़ रुपए

का एकमुश्त अनुदान है जो कि केन्द्र तथा राज्य सरकारों द्वारा 75:25 के अनुपात में वित्तपोषित होगा। 2009-10 से 2011-12 के दौरान 70 चिकित्सा कालेजों को वित्तपोषित किया गया है।

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी सिद्ध तथा होम्योपैथी (आयुष): एनआरएचएम के अंतर्गत राष्ट्रीय स्वास्थ्य रक्षा डिलीवरी में आयुष को मुख्य धारा में लाना एक प्रमुख लक्ष्य है जिसके लिए सरकार ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 31 दिसम्बर तक 42.19 करोड़ रुपए स्वीकृत किए हैं। जुलाई, 2010 में आयुष अस्पतालों और औषधालयों के विकास की केन्द्र-प्रायोजित योजना में आयुष औषधालयों के उन्नयन का एक नया घटक शामिल किया गया है। इसके साथ, पूर्वोत्तर तथा अन्य पहाड़ी राज्यों में 50/10 बिस्तर वाले एकीकृत आयुष अस्पतालों की स्थापना वाला अवयव 2011 में शुरू किया गया है। 31 दिसम्बर, 2011 तक 50 बिस्तर वाले अस्पतालों की स्थापना हेतु, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा को तथा जबकि असम व सिक्किम को 10 बिस्तर वाले अस्पतालों की स्थापना हेतु वित्तीय सहायता दी गयी है।

महिला तथा बाल विकास

13.39 महिला तथा बच्चों के विकास एवं कल्याण के लिए सरकार ने कई योजनाएं शुरू की हैं तथा कई नई नीतिगत पहलें की हैं जिनमें महिलाओं के आर्थिक तथा सामाजिक सशक्तिकरण तथा सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक जीवन के कई पहलुओं में लिंग बराबरी हासिल करने के लिए कदम भी शामिल हैं (बॉक्स 13.7)। विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत महिला तथा बाल विकास की स्कीमों का दायरा व कवरेज बढ़ता जा रहा है। मुख्य स्कीमों निम्नानुसार हैं:

एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस): योजना 6 वर्ष से कम आयु वाले बच्चों के सम्पूर्ण विकास तथा गर्भवती व स्तनपान कराने वाली माताओं के समुचित पोषण व स्वास्थ्य शिक्षा की 33 परियोजनाओं तथा 4891 आंगनवाड़ी केन्द्रों (एडब्ल्यूसी) के साथ 1975 में शुरू की गई थी। सरकार द्वारा संचयी रूप से 7076 परियोजनाओं तथा 20,000 'आन डिमान्ड' आंगनवाड़ियों सहित 14 लाख एडब्ल्यूसी के अनुमोदन से अब यह सर्वव्यापी हो गयी है। आईसीडीएस योजना को सर्वव्यापक करने के साथ सरकार ने अन्य कई कदम उठाए हैं जैसे विद्यमान हस्तक्षेपों के वित्तीय मानकों में संशोधन जिनमें पूरक पोषाहार कार्यक्रम (एसएनपी), पूरक पोषाहार के पौष्टिक तथा खाद्य मानकों का संशोधन तथा नए डब्ल्यूएचओ विकास मानकों को शुरू करना शामिल है। इसके अतिरिक्त, सरकार ने केन्द्र और राज्यों के बीच लागत सहभागिता को 2009-10 में पूर्वोत्तर हेतु एसएनपी सहित सभी संघटकों के लिए 50:50 से 90:10 तथा

बाकी सभी राज्यों के लिए एसएनपी हेतु 50:50 तथा अन्य संघटकों हेतु 90:10 के रूप में बदल दिया है। आईसीडीएस हेतु 2011-12 का वार्षिक योजना परिव्यय 14,048 करोड़ रुपए (सं०अं०) था जिसमें से दिसम्बर, 2011 तक राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों को 10,750 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। दिसम्बर, 2011 तक 6,779 आईसीडीएस परियोजनाएं तथा 12.96 लाख एडब्ल्यूसी कार्यरत थे।

किशोर लड़कियों की अधिकारिता हेतु राजीव गांधी योजना (आरजीएसईएजी): यह योजना 19 नवम्बर 2010 को प्रारम्भ की गयी थी जिसका उद्देश्य 11-18 वर्ष की आयु वर्ग की किशोरियों को उनकी पोषाहार तथा स्वास्थ्य स्थिति में सुधार लाकर तथा उनके विभिन्न कौशलों जैसे गृह कौशल, जीवन कौशल तथा व्यावसायिक कौशल उन्नत करके उन्हें अधिकारिता दिलाना था। प्रारम्भ में इसे प्रायोगिक तौर पर देश भर के चुनिन्दा 200 जिलों में कार्यान्वित किया जा रहा है। आरजीएसईएजी को राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों के माध्यम से कार्यान्वित किया जा रहा है, जिसमें पोषण प्रावधान, जिसके लिए 50 प्रतिशत सहायता प्रदान की जा रही है, के अतिरिक्त सभी निविष्टियों के लिए केन्द्र सरकार द्वारा 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी जा रही है। सेवाओं की डिलीवरी हेतु एडब्ल्यूसी केन्द्र बिन्दु हैं। योजना के अंतर्गत 200 जिलों में लगभग 100 लाख किशोर लड़कियों के प्रति वर्ष लाभान्वित होने की सम्भावना है। इन 200 जिलों में, आरजीएसईएजी के अंतर्गत किशोरी शक्ति योजना (केएसवाई) तथा किशोर लड़कियों हेतु पोषण कार्यक्रम (एनपीएजी) को मिला दिया गया है। वर्ष हेतु योजना के अंतर्गत आवंटित 750 करोड़ रुपए के विरुद्ध राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 512.35 करोड़ रुपए जारी कर दिए गए हैं।

कामकाजी माताओं के बच्चों के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय क्रैच योजना: यह योजना कामकाजी माताओं के 0-6 वर्ष की आयु के बच्चों को शिशु गृह तथा विकास सेवाएं यथा अनुपूरक पोषण, स्वास्थ्य देखभाल इन्सुट जैसे टीकाकरण, पोलियो ड्राप्स, मूल स्वास्थ्य मॉनिटरिंग तथा मनोरंजन कराके दैनिक-देखभाल की सुविधाएं उपलब्ध कराती हैं। ये सुविधाएं प्राप्त करने के लिए माता-पिता दोनों की सम्मिलित आय 12,000 रुपए प्रतिमाह से अधिक नहीं होनी चाहिए। वर्तमान में कार्यरत शिशु गृहों की संख्या 23,785 तथा लाभान्वित होने वाले बच्चों की संख्या 594,625 है। 2011-12 हेतु योजना के लिए अनुमोदित परिव्यय 85 करोड़ रुपए था।

एकीकृत बाल सुरक्षा योजना (आईसीपीएस): केन्द्र द्वारा प्रायोजित तथा राज्यों के माध्यम से कार्यान्वित यह योजना 2009-10 के दौरान शुरू की गयी थी जिसका उद्देश्य देश में उन बच्चों के सर्वांगीण विकास हेतु एक सुरक्षित तथा निरापद माहौल उपलब्ध कराना है जिन्हें देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता

है और साथ ही वे बच्चे भी हैं, जो कानून के साथ तकरार में हैं। आईसीपीएस किसी असुरक्षित बच्चे को रोकथामी तथा सांविधिक देखभाल तथा पुनर्वास सेवाएं उपलब्ध कराती हैं, लेकिन जो कि सम्भाव्य असुरक्षित परिवारों के बच्चों तथा जोखिम वाले परिवारों तक सीमित नहीं होगी बल्कि सामाजिक रूप से छूटे हुए समूह जैसे प्रवासी परिवार, अत्यधिक गरीबी में रह रहे परिवार, भेद-भाव के शिकार अथवा उससे प्रभावित परिवार तथा अल्प-संख्यक परिवार, एचआईवी/एड्स द्वारा संक्रमित तथा/अथवा प्रभावित बच्चों, अनाथों, नशे की लत वाले बच्चे, स्वस्टांस एब्यूसर्स के बच्चे, बाल भिखारी, तस्करी किए गए अथवा यौन शोषित बच्चे, बंदियों के बच्चों तथा गली के तथा कामकाजी बच्चों पर भी लागू होगी। जम्मू और कश्मीर के अतिरिक्त सभी राज्यों/संघ शासित क्षेत्रों ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर कर दिए हैं तथा राज्य कार्यान्वयन योजनाएं तथा वित्तीय प्रस्तावों को तैयार करने के विभिन्न चरणों में हैं। राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को अनुदान जारी करना, उनके द्वारा सांविधिक निकायों तथा डिलीवरी ढांचों की स्थापना के साथ परस्पर सम्बद्ध है। 2011-12 के संशोधित अनुमान चरण में इस योजना हेतु निधियों का आवंटन 213.40 करोड़ रुपए है जिसके एवज में 148.60 करोड़ रुपए जारी किए जा चुके हैं।

महिलाओं हेतु प्रशिक्षण तथा रोजगार कार्यक्रम हेतु सहायता (एसटीईपी) योजना: यह योजना गरीब महिलाओं को कृषि, पशुपालन, डेयरी, मत्स्य पालन, हथकरघा, दस्तकारिता, खादी तथा ग्रामीण उद्योगों, रेशम उत्पादन, सामाजिक वानिकी तथा बंजर भूमि विकास जैसे 10 पारम्परिक क्षेत्रों और खाद्य प्रसंस्करण और सेवाओं के दो नए क्षेत्रों का अद्यतन हुनर उपलब्ध कराती है ताकि उनकी उत्पादकता तथा आय सृजन में बढ़ोत्तरी हो सके। इस कार्यक्रम की पहुंच को व्यापक बनाने और उसे अधिक सुदृढ़ करने के लिए योजना के कार्यान्वयन को नवम्बर, 2009 में आशोधित किया गया था। योजना का उद्देश्य स्थानीय रूप से उपयुक्त क्षेत्रों को प्रवेश कराना है। प्रत्येक योजना में लाभार्थियों की संख्या अब 200 से 10,000 के बीच हो सकती है तथा पांच वर्षों की अवधि तक प्रत्येक लाभार्थी को वित्तपोषण की उच्चतम सीमा 16,000/- रुपए होगी। आरंभ होने से अब तक इस योजना के अंतर्गत लगभग 250 योजनाओं को वित्तीय सहायता उपलब्ध करायी गयी है। जनवरी, 2011 से जनवरी, 2012 तक 12 नई परियोजनाएं स्वीकृत की गयी हैं जिनमें 14,225 लाभार्थी कवर हुए हैं तथा एसटीईपी योजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2011-12 के दौरान 11.50 करोड़ रुपए की राशि आवंटित की जा चुकी है।

राष्ट्रीय महिला कोष (आरएमके): आरएमके (महिलाओं हेतु राष्ट्रीय ऋण निधि) 31 करोड़ रुपए की आधारभूत निधि से

1993 में सृजित किया गया था। आरंभिक आधारभूत निधि अब 180 करोड़ रुपए से अधिक बढ़ गयी है जिसमें ऋण के कारण आरक्षित और अधिशेष, निवेश तथा वसूली प्रबंधन तथा 69 करोड़ रुपए का अतिरिक्त बजटीय आवंटन शामिल है। अपने सृजन से ही आरएमके गरीब महिलाओं के लिए असंगठित क्षेत्र में सूक्ष्म ऋण के प्रवाह की बढ़ोत्तरी हेतु राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय स्तरों पर सूक्ष्म वित्त क्षेत्र की प्रमुखता से पैरवी करने वाला संगठन बन कर उभरा है। आजीविका संबंधी गतिविधियों हेतु ऋण उपलब्ध कराकर यह गरीब महिलाओं और उनकी अधिकारिता पर ध्यान केन्द्रित करता है। आरएमके अर्द्ध-अनौपचारिक पद्धति से सूक्ष्म ऋण उपलब्ध कराता है, राज्यों में मध्यवर्ती सूक्ष्म-ऋण संगठनों (आईएमओ) को उधार देता है। आरएमके ने सूक्ष्म-वित्तपोषण, बचत तथा ऋण, एसएचजी के स्थिरीकरण तथा गरीब महिलाओं के लिए उपक्रम विकास करते हुए भी कई उन्नतिकारक उपाय किए हैं। अपनी स्थापना से 15 दिसंबर, 2011 तक आरएमके ने 315.32 करोड़ रुपए मूल्य के ऋण स्वीकृत किए हैं तथा 6.94 लाख महिला लाभार्थियों को कवर करते हुए 260.23 करोड़ रुपए जारी किए हैं।


अन्य योजनाएं: महिला और बाल विकास से संबंधित कुछ अन्य योजनाएं इस प्रकार हैं: (i) अवैध व्यापार की रोकथाम के लिए पांच विनिर्दिष्ट अवयवों—रोकथाम, बचाव, पुनर्वास, पुनःएकीकरण तथा शिकारों का प्रत्यार्पण वाली उज्ज्वला योजना 4 दिसंबर 2007 को प्रारंभ की गयी थी। 2011-12 के दौरान जनवरी, 2012 तक गैर सरकारी संगठनों को 27 नई योजनाओं हेतु वित्तीय सहायता प्रदान की गयी थी जिससे अनुमोदित परियोजनाओं की कुल संख्या 173 हो गयी है। 2010-11 में इन योजनाओं के अंतर्गत पुनर्वास केन्द्रों की संख्या 75 के मुकाबले बढ़कर 86 हो गयी। जिससे अवैध व्यापार के 4000 पीड़ितों की देखभाल और पुनर्वास हेतु क्षमता का सृजन हो गया। (ii) सिविल अशांति वाले क्षेत्रों में बच्चों के संरक्षण के लिए बाल बंधु योजना का कार्यान्वयन राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के माध्यम से किया जा रहा है जिसके लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय राहत कोष से अनुदान स्वीकृत किया गया है। (iii) स्वाधार गृह योजना: दो विद्यमान योजनाओं यथा स्वाधार तथा लघु अवधि आवास गृह जो कि समान उद्देश्यों तथा समान लक्ष्य समूह हेतु चलायी जा रही है, को स्वाधार गृह योजना में मिला दिया गया है ताकि दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों की मारी उन महिलाओं तक पहुंचा जा सके जिन्हें संस्थागत सहायता की आवश्यकता है ताकि वह इज्जत से अपना जीवन यापन कर सकें। नई योजना के अंतर्गत महिलाओं को आत्म-निर्भर बनाकर तथा सामाजिक और शिक्षा, कौशल उन्नयन तथा व्यक्तित्व विकास द्वारा आर्थिक रूप से पुनर्वासित होने में सक्षम बनाने हेतु उन्हें भावनात्मक समर्थन तथा परामर्श दिया जाता है। प्रस्तावित योजना में देश के सभी 641 जिलों को कवर करना निहित है।

बॉक्स 13.7 : महिलाओं का सशक्तिकरण

महिलाओं का सशक्तिकरण उन्हें शिक्षा, स्वास्थ्य तथा आर्थिक व राजनीतिक भागीदारी में मिले अवसरों से नजदीकी से जुड़ा है। सरकार इस दृष्टिकोण का प्रचालन विधायी तथा कार्यक्रम हस्तक्षेपों के साथ-साथ विकास योजना प्रक्रिया में महिलाओं को मुख्यधारा में लाकर कर रही है। पिछले वर्षों के दौरान बड़ी प्रगति निम्नानुसार है:

महिला तथा शिक्षा: बालिका शिक्षा हेतु एसएसए से उत्साहजनक परिणाम आए, जिससे लिंग भेद सूचकांक (जीपीआई) की प्राथमिक (0.94) तथा उच्चतर प्राथमिक (0.92) शिक्षा में वृद्धि हुई। प्राथमिक स्तर पर तथा उच्च प्राथमिक स्तर पर लड़कियों का नामांकन पिछले वर्षों से बढ़ा है। आंकड़े यह भी दर्शाते हैं कि 5-14 वर्ष के आयु समूह में विद्यालयों में लड़कियों की संख्या 2004-05 में 79.6 प्रतिशत से 2009-10 में 87.7 प्रतिशत हो गयी। इसी प्रकार, 15-19 वर्ष के आयु समूह में शिक्षा प्रणाली में लड़कियों की संख्या 40.3 प्रतिशत से बढ़कर 54.6 प्रतिशत हो गयी तथा 20-4 वर्ष के आयु समूह में उसी अवधि के दौरान 7.6 प्रतिशत से बढ़कर 12.8 प्रतिशत हो गयी। भारतीय मानव विकास रिपोर्ट 2011 के अनुसार उच्च नामांकन दरें प्राप्त कर लेने के बावजूद निवल उपस्थिति दरें (एनएआर) कम रहीं। इसके अतिरिक्त, प्राथमिक स्तर के मुकाबले उच्च प्राथमिक स्तर पर उपस्थिति कम थी (चित्र 13.2)। इसलिए चुनौती उच्च नामांकन को उच्च उपस्थिति दरों में परिवर्तित करने की है।

ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में निवल उपस्थिति दरें



राष्ट्रीय साक्षरता मिशन अथवा साक्षर भारत ने स्त्री साक्षरता के लक्ष्य को महिला सशक्तिकरण हेतु एक महत्वपूर्ण साधन माना है। इससे महिलाओं में साक्षरता 53.67 प्रतिशत (2001 जनगणना) से बढ़कर 65.46 प्रतिशत (2011 जनगणना) हो गई। पहली बार इस दशक के दौरान जुड़े 217.70 मिलियन साक्षरों में महिलाओं (110.07 मिलियन) की संख्या पुरुषों से अधिक थी।

महिला तथा स्वास्थ्य: एनआरएचएम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप महिलाओं के कई विकास सूचकों में सुधार आया है। भारतीय मानव संसाधन रिपोर्ट के अनुसार, प्रजनन दरें कम हो गयी हैं तथा कई राज्यों में पुनः स्थापन के स्तरों तक पहुंच गयी हैं; 2003 में प्रत्येक 1,00,000 जिन्दा जन्म दर 301 की एमएमआर 2009 में घटकर 212 हो गयी है। आईएमआर, हालांकि अभी भी अधिक है, 2009 में घटकर 50 प्रति 1000 है। संस्थागत डिलीवरियां 2006 की 39 प्रतिशत से बढ़कर 2009 में 78 प्रतिशत हो गयी हैं।

महिला तथा अर्थव्यवस्था: कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी, उनको आवंटित कार्य की गुणवत्ता तथा सकल घरेलू उत्पाद में उनका योगदान अर्थव्यवस्था में उनकी मौजूदगी की हद के सूचक हैं। राष्ट्रीय कौशल विकास कार्यक्रम (एनएसडीपी) ने महिलाओं के लिए 231 मोड्यूलर पाठ्यक्रमों की पहचान की है। यह महत्वपूर्ण है कि प्रशिक्षण बदलते हुए श्रम बाजारों के लिए तर्कसंगत/प्रासंगिक हो। कौशल विकास कार्यक्रमों की प्रासंगिकता सुनिश्चित करने तथा रोजगार बढ़ाने के लिए उन्हें एनएसडीपी के साथ जोड़ने की आवश्यकता है। महिलाओं को वित्तीय रूप से शामिल करने के लिए, जो कि अर्थव्यवस्था के लिए महत्वपूर्ण है, एक प्रमुख कार्ययोजना सूक्ष्म-वित्त रही है। यह मॉडल बचत तथा ऋण सेवाएं, दोनों ही प्रदान करने के लिए एसएचजी की बैंकों तक पहुंच को प्रोत्साहित करता है। मार्च, 2010 तक एसजीएसवाई के अंतर्गत बने एसएचजी सहित 69.53 लाख एसएचजी राष्ट्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास बैंक (नाबाई) के एसएचजी बैंक लिंकेज कार्यक्रम के अंतर्गत कवर हो गए हैं। इनमें से 76 प्रतिशत केवल महिलाओं वाले एसएचजी हैं जो कि बचत का 72.5 प्रतिशत तथा बकाया ऋणों का 82 प्रतिशत हैं।

महिलोन्मुखी बजट (जीबी) द्वारा महिलाओं को मुख्यधारा में लाने को प्रोत्साहित करना: इस बात को मान्यता देते हुए कि महिलाएं, भारत की आबादी का 48 प्रतिशत स्वास्थ्य, शिक्षा तथा आर्थिक अवसरों जैसे कई सामाजिक सूचकों पर पुरुषों से पीछे हैं तथा उनकी असुरक्षा एवं संसाधनों तक पहुंच न होने के कारण उन्हें विशेष ध्यान की आवश्यकता है, सरकार द्वारा महिलाओं को मुख्यधारा में लाने के लिए 2005 में एक साधन के रूप में महिलोन्मुखी बजट अपनाया गया। जीबी मात्र लेखा कार्य नहीं है अपितु महिलाओं को पुरुषों के बराबर विकास का लाभ पहुंचाना सुनिश्चित करने के लिए एक अनवरत प्रक्रिया है। इसमें बजट प्रक्रिया के सभी स्तरों तथा चरणों पर लिंग परिप्रेक्ष्य शामिल करना अति महत्वपूर्ण होता है। केन्द्र के स्तर पर 56 मंत्रालयों/विभागों में महिलोन्मुखी बजटीय प्रकोष्ठों की स्थापना इस दिशा में पहला कदम था। एक महत्वपूर्ण पहल 2005-06 में जीबी विवरणी प्रारम्भ करना था जो कि प्रत्येक वर्ष संघ के बजटीय दस्तावेजों के साथ संसद में प्रस्तुत की जाती है। यह एक रिपोर्टिंग प्रणाली का कार्य करती है तथा महिलाओं को प्रदान किए जाने वाली निधियों को इंगित करती है। इन वर्षों के दौरान जीबी विवरणी में सूचना देने वाले मंत्रालयों/विभागों की संख्या 9(2005-06) से बढ़कर 29(2011-12) हो गयी है। कुल बजट के प्रतिशत के रूप में जीबी आवंटन की मात्रा 2005-06 में 2.79 प्रतिशत से बढ़कर 2011-12 में 6.22 प्रतिशत हो गयी है।

महिला अधिकारिता हेतु राष्ट्रीय मिशन (एनएमईडब्ल्यू): महिलाओं की आर्थिक और सामाजिक अधिकारिता को सुनिश्चित करने के लिए 8 मार्च 2010 को एनएमईडब्ल्यू नामक एक अन्तर्देशीय मिशन शुरू किया गया था जिसका उद्देश्य अंतरक्षेत्रीय समाभिरूपता को मजबूत बनाना तथा मंत्रालयों व विभागों में महिलाओं के कल्याण तथा सामाजिक आर्थिक विकास के सभी कार्यक्रमों के समन्वयन की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाना है। एनएमईडब्ल्यू देश भर के चुनिन्दा 32 जिलों में 'कन्वर्जेंस मॉडल' की योजना बना रहा है जिसका उद्देश्य महिला-संबंधित सेवाओं की मांग और आपूर्ति के बीच की कमी को दूर करना है जो कि मांग का वास्तविक अनुमान लगाने, महिलाओं तथा सरकार के कार्यक्रमों पर आधारित योजनाओं के बारे में अधिक जागरूकता फैलाने, महिलाओं हेतु विभिन्न सेवाओं/योजनाओं की मांग में वृद्धि करने तथा उन्हें सेवा प्रदाताओं से जोड़ने के द्वारा किया जाएगा। माडल में महिलाओं हेतु जिला, तहसील/ब्लाक तथा ग्रामीण स्तरों पर कन्वर्जेंस-कम-फेसिलिटेशन सेंटर शुरू करना शामिल है। 16 सितंबर, 2011 को 150 ग्रामीण-स्तरीय केन्द्रों को खोले हुए राजस्थान के पाली जिले में ऐसी पहली प्रमुख कन्वर्जेंस परियोजना शुरू की गयी थी।

अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य कमजोर वर्गों का कल्याण और विकास

13.40 समेकित विकास को प्राप्त करने की कार्यनीति के भाग के रूप में सरकार सामाजिक रूप से पिछड़े समूहों और समाज के उपेक्षित वर्गों के आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण तथा शैक्षिक उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है। तदनुसार, केन्द्र सरकार द्वारा अनेक स्कीमों और कार्यक्रम राज्य सरकार, संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों और गैर-सरकारी संगठनों के माध्यम से कार्यान्वित किए जाते हैं। अधिकाधिक जवाबदेही और पारदर्शिता के साथ सेवाओं की कारगर डिलीवरी के लिए सार्वजनिक निजी भागीदारी पद्धति की भी खोज की जा रही है।

अनुसूचित जातियां

13.41 अनुसूचित जाति के छात्रों को विद्यालय से उच्चतर शिक्षा स्तर तक अपना अध्ययन जारी रखने के साथ-साथ जरूरतमंद अनुसूचित जाति के परिवारों की आर्थिक तरक्की को प्रोत्साहित करने हेतु अनेक स्कीमों लागू की जा रही हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान ऐसे छात्रों के लिए जिनके माता-पिता मलिन कार्य पेशे में लगे हैं, मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना के तहत वास्तविक लक्ष्य 8 लाख था। वर्ष 2011-12 के दौरान 80 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले 31 दिसम्बर, 2011 तक अनुमानित 6 लाख लाभार्थियों को छात्रवृत्ति प्रदान करने हेतु 37.58 करोड़ रुपए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को पहले ही जारी कर दिए गए हैं। मैट्रिक पश्च स्कीम 01 जुलाई, 2010 से संशोधित कर दी गयी है ताकि (i) पात्रता के लिए वार्षिक पैतृक आय की सीमा 1 लाख रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए की जा सके, (ii) पाठ्यक्रमों के समूह को युक्तिसंगत बनाया जा सके, और (iii) रख-रखाव और अन्य भत्तों में 60 प्रतिशत तक की वृद्धि की जा सके। मैट्रिक उपरांत छात्रवृत्ति योजना के अंतर्गत 2218 करोड़ के बजट अनुमान में से राज्यों/संघ शासित प्रदेशों को 2146.77 करोड़ रुपए पहले ही जारी किए जा चुके हैं। 2011-12 के दौरान लाभार्थियों की संख्या 51 लाख होने की संभावना है। एमफिल और पीएचडी पाठ्यक्रम में पढ़ने वाले अनुसूचित जाति के छात्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रारंभ की गयी राजीव गांधी राष्ट्रीय फ़ैलोशिप स्कीम के तहत छात्रवृत्तियों की संख्या 01 अप्रैल, 2010 से 1,333 से बढ़ाकर 2,000 कर दी गयी है तथा 2011-12 के दौरान (दिसम्बर 2011 तक) 2,000 नई छात्रवृत्तियों तथा 5,999 के नवीकरण के लिए 103.69 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। चयन वर्ष 2010-11 के लिए राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्तियों के तहत विनिर्दिष्ट विषयों को संशोधित किया गया है तथा नए विषयों अर्थात् मेडिसिन, विशुद्ध विज्ञान, इंजीनियरिंग, कृषि विज्ञान तथा प्रबंधन को विदेशों में स्नातकोत्तर स्तरीय पाठ्यक्रमों और पीएचडी/इसके पश्चात् डॉक्ट्रल पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु वित्तीय सहायता प्राप्त करने के लिए

विनिर्दिष्ट किए गए हैं। प्रति वर्ष तीस पुरस्कार दिए जाते हैं। 2011-12 के दौरान 6 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले दिसम्बर, 2011 तक 2.22 करोड़ रुपए जारी किए गए थे।

13.42 अनुसूचित जाति के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा स्कीम, डिग्री/पोस्ट डिग्री स्तर तक अनुसूचित जाति के छात्रों को अच्छी शिक्षा के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करती है। अनुसूचित जाति के ऐसे छात्र जो अधिसूचित संस्थाओं में प्रवेश पाते हैं, उन्हें छात्रवृत्तियां दी जाती हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान आईआईटी और आईआईएम जैसी संस्थाओं में अध्ययनरत अनुसूचित जाति के 652 छात्रों की सहायता के लिए (दिसम्बर, 2011 तक) 9.08 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। चालू वित्त वर्ष से इस स्कीम के अंतर्गत प्रतिष्ठित संस्थाओं की अधिसूचित सूची में 24 नए संस्थान जोड़े गए हैं। इस प्रकार विनिर्दिष्ट संस्थानों की संख्या बढ़कर 205 हो गयी है। संशोधित बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना, जो कि अनुसूचित जाति के लड़कों और लड़कियों के लिए छात्रावास हेतु केन्द्र द्वारा प्रायोजित एक स्कीम है, के तहत लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु सहायता को 50 प्रतिशत से बढ़ाकर 100 प्रतिशत कर दिया गया है। 2011-12 के दौरान वास्तविक लक्ष्य लड़कियों के लिए 4,750 सीटें तथा लड़को हेतु 5,000 सीटें हैं उसके लिए 31 दिसम्बर, 2011 तक लड़कियों हेतु 200 सीटों तथा लड़कों हेतु 200 सीटों के लिए क्रमशः 8.27 करोड़ रुपए तथा 3.90 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

13.43 अनुसूचित जाति उप योजना, अनुसूचित जाति की आर्थिक उन्नति के लिए एक प्रमुख स्कीम को विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की जाती है। मुख्य जोर अनुसूचित जाति आबादी के आर्थिक विकास पर है ताकि उन्हें स्व-रोजगार अथवा प्रशिक्षण के माध्यम से गरीबी रेखा से ऊपर उठाया जा सके। योजना के तहत देय सब्सिडी की राशि परियोजना लागत का 50 प्रतिशत होगा और प्रत्येक लाभार्थी के लिए अधिकतम 10,000 रुपए होगी। 2011-12 के दौरान वास्तविक लक्ष्य 7 लाख लाभार्थियों को कवर करना है। 675 करोड़ रुपए के संशोधित आबंटन के मुकाबले दिसम्बर, 2011 तक राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को 513.42 करोड़ रुपये की राशि जारी की गयी थी।

अनुसूचित जनजाति

13.44 अनुसूचित जनजाति के कल्याण और विकास के लिए वार्षिक योजना 2011-12 में 3723.01 करोड़ रुपए का परिव्यय जनजातीय उप योजना (टीएसपी) के लिए और विशेष केन्द्रीय सहायता (एससीए) के तौर पर 1096.01 करोड़ रुपए प्रदान किए गए हैं जिसमें वन ग्रामों के विकास के लिए 42.01 करोड़ रुपए भी शामिल हैं। जनजातीय उप योजना के लिए विशेष केन्द्रीय सहायता शत-प्रतिशत अनुदान है जो परिवारोन्मुख आय अर्जन स्कीम, आकस्मिक अवसंरचना के निर्माण, एसएचजी को वित्तीय सहायता प्रदान करने, समुदाय आधारित क्रियाकलापों और वन ग्रामों के विकास के लिए अपनी आदिवासी उप योजना के

अतिरिक्त वित्तपोषण के तौर पर राज्यों को प्रदान की जाती है। वर्ष 2011-12 के दौरान अनुच्छेद 275(1) के तहत सहायता अनुदान के अंतर्गत परिव्यय 1197.00 करोड़ रुपए है। यह धनराशि अनुसूचित जनजाति के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए तथा अन्य स्कीमों/कार्यक्रमों के साथ मिलकर अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन में सुधार के लिए दी जाती है। पश्च-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के अंतर्गत अनुसूचित जनजाति के छात्रों, जिनकी पारिवारिक आय प्रतिवर्ष 2 लाख रुपए से कम अथवा इसके बराबर है, को मान्यताप्राप्त संस्थाओं में व्यावसायिक और स्नातक एवं स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों सहित मैट्रिक स्तर से ऊंची शिक्षा के लिए 100 प्रतिशत वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। अनुसूचित जनजाति के लिए उच्च श्रेणी की शिक्षा स्कीम, 183 अभिनिर्धारित संस्थाओं में से किसी एक संस्था में डिग्री और पोस्ट डिग्री स्तर पर अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के 625 छात्रों को अच्छी शिक्षा के लिए प्रतिवर्ष वित्तीय सहायता प्रदान करती है, राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति के अंतर्गत मास्टर और पीएचडी स्तर पर विशिष्ट क्षेत्रों में विदेशों में उच्चतर अध्ययन के लिए अनुसूचित जनजाति के 15 पात्र छात्रों को वित्तीय सहायता भी प्रदान की जाती है तथा कम साक्षरता वाले जिलों में अनुसूचित जनजाति की लड़कियों में शिक्षा को सुदृढ़ करने की योजना अनुसूचित जनजातियों के विकास हेतु कुछ अन्य योजनाएं हैं। अनुसूचित जनजातियों के आर्थिक सशक्तिकरण के कुछ उपायों में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसटीएफडीसी) के माध्यम से आय-सृजन गतिविधियों हेतु ब्याज की रियायती दर पर ऋण और लघु-उधारी के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करना तथा भारतीय आदिवासी सहकारी विपणन विकास संघ लिमिटेड (टीआरआईएफईडी) के बिक्री केन्द्रों के माध्यम से आदिवासी उत्पादों के विपणन विकास तथा उनके फुटकर विपणन के कार्य में लगा है। जनवरी, 2012 तक अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पारंपरिक वनवासियों (वन अधिकार स्वीकृति) अधिनियम के तहत 31.68 लाख से अधिक दावे दायर किए गए हैं तथा 12-51 से अधिक स्वामित्व प्रदान किए गए हैं।

अल्पसंख्यक

13.45 सरकार द्वारा 5 समुदायों—मुसलमान, ईसाई, सिक्ख, बौद्ध एवं पारसी—को अल्पसंख्यक समुदायों के रूप में अधिसूचित किया गया था। वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार अल्पसंख्यक समुदाय कुल आबादी के 18.42 प्रतिशत हैं। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान 7,000 करोड़ रुपए के परिव्यय से एक तीन भुजाओं वाली कार्ययोजना अपनायी गयी थी जिसमें (क) शैक्षिक सशक्तिकरण, (ख) क्षेत्र विकास, तथा (ग) अल्पसंख्यक समुदायों का आर्थिक सशक्तिकरण शामिल था। 3 छात्रवृत्ति स्कीम अर्थात् प्री-मैट्रिक, पोस्ट मैट्रिक और मैरिट-सह-साधन आधारित स्कीम के माध्यम से 2,129.29 करोड़ रुपए की लागत से 1 करोड़ से ज्यादा छात्रवृत्तियां प्रदान करके शैक्षिक सशक्तिकरण प्राप्त करना था। यह स्कीमें मौलाना आजाद शिक्षा फाउंडेशन (एमएईएफ), की गतिविधियों

से अनुपूरित हुई थी, जिसका आधारभूत कोष 2005-06 में 100 करोड़ रुपए से बढ़ाकर अब तक 700 करोड़ रुपए कर दिया गया है। क्षेत्र विकास के तहत देश के 90 अल्पसंख्यक बहुल जिलों (एमसीडी) के सामाजिक-आर्थिक सर्वेक्षण के दौरान सामने आए 'विकास अभावों' का ग्यारहवीं योजना के दौरान 3780 करोड़ रुपए के परिव्यय वाला बहु-क्षेत्रीय विकास कार्यक्रम (एमएसडीपी) समाधान करता है। एमएसडीपी के अतिरिक्त, अल्पसंख्यकों के कल्याण के लिए प्रधानमंत्री का नया 15 सूत्रीय कार्यक्रम सरकार के सर्वाधिक प्रमुख कार्यक्रमों हेतु परिव्ययों और लक्ष्यों का 15 प्रतिशत अल्पसंख्यकों की घनी आबादी वाले क्षेत्रों हेतु चिन्हित करता है। स्कीमों के तहत शिक्षा, रोजगार तथा आधारभूत अवसंरचना सहित प्रमुख क्षेत्र कवर होते हैं। हाल ही में राज्य विधान सभाओं और संसद में चुने हुए प्रतिनिधियों को शामिल करके निगरानी तंत्र पर अधिक ध्यान देते हुए तथा और योजनाओं को शामिल करके कार्यक्रम का दायरा बढ़ाया गया है। बैंकों द्वारा प्राथमिकता-क्षेत्र (पीएसएल) के अंतर्गत ऋण देने तथा राष्ट्रीय अल्पसंख्यक विकास तथा वित्त निगम (एनएमडीएफसी) द्वारा ऋण उपलब्ध कराकर आर्थिक सशक्तिकरण प्राप्त करने का प्रयास है। अल्पसंख्यकों को पीएसएल 2007-08 में कुल पीएसएल के 10.6 प्रतिशत से लगातार वृद्धि करते हुए 30 सितम्बर, 2011 तक 14.50 प्रतिशत तक पहुंचा दिया गया है। अपनी ऋण तथा सूक्ष्म-वित्तीय गतिविधियों में विस्तार हेतु एनएमडीएफसी की प्रधिकृत शेयर पूंजी 2006-07 में 650 करोड़ रुपए से बढ़ाकर 2010-11 में 1,500 करोड़ रुपए कर दी गयी है। वक्फ संपत्तियों के प्रबंधन में सुधार के प्रयास किए जा रहे हैं तथा वक्फ बोर्डों के रिकार्डों का कम्प्यूटरीकरण इस दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। भारत में वक्फ बोर्डों की गतिविधियों को सुधारने तथा सुचारू करने के लिए वक्फ संशोधन विधेयक 2010 भी संसद में पेश किया गया है।

अन्य पिछड़े वर्ग

13.46 सरकार अन्य पिछड़े वर्गों के शैक्षिक विकास के लिए राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को केन्द्रीय सहायता प्रदान करती है। वर्ष 2011-12 के दौरान अन्य पिछड़े वर्गों के लिए प्री-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के 14 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है। वर्ष 2011-12 के दौरान 50 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले दिसम्बर, 2011 तक राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को 17.66 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। अन्य पिछड़े वर्गों के लिए संशोधित पोस्ट-मैट्रिक छात्रवृत्ति स्कीम के तहत अन्य पिछड़े वर्गों के 17 लाख छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने का प्रस्ताव है। वित्त वर्ष 2011-12 के दौरान 535 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को दिसम्बर, 2011 तक 424.33 करोड़ रुपए जारी किए गए थे। 2011-12 के दौरान अपनी उच्चतर शिक्षा को जारी रखने में अन्य पिछड़े वर्गों के मिडिल और माध्यमिक विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में अध्ययनरत छात्रों को होस्टल

सुविधा प्रदान करने के लिए 5000 अतिरिक्त होस्टल सीटों के लिए 45 करोड़ रुपए के आबंटन के मुकाबले में दिसम्बर, 2011 तक 8.82 करोड़ रुपए जारी किए थे। सरकार ने अप्रैल, 2011 से ओबीसी की विद्यमान केन्द्रीय सूची में 170 नई प्रविष्टियां जोड़ी हैं तथा अब यह 2343 तक पहुंच गयी है।

अपंगता-ग्रस्त व्यक्ति

13.47 अपंगता-ग्रस्त व्यक्तियों के सशक्तिकरण और पुनर्वास के लिए अनेक योजनाएं कार्यान्वित की जा रही हैं। इन स्कीमों का उद्देश्य अपंगता-ग्रस्त व्यक्तियों के शारीरिक मनोवैज्ञानिक, सामाजिक, शैक्षिक और आर्थिक पुनर्वास एवं विकास को बढ़ावा देना है ताकि उनके जीवन का स्तर ऊंचा हो सके और वे सम्मान से जीने में समर्थ हो सकें। अपंगता के विभिन्न क्षेत्रों में कार्य कर रहे सात स्वायत्त राष्ट्रीय संस्थान हैं। ये संस्थान अपंग व्यक्तियों को पुनर्वास सेवाएं मुहैया कराते हुए और विशेषज्ञता के संबंधित क्षेत्र में अनुसंधान एवं विकास कार्य करते हुए अपंगता के क्षेत्र में मानव संसाधन विकास के कार्य में लगे हैं; 31 जनवरी, 2011 की स्थिति के अनुसार इन राष्ट्रीय संस्थानों को वर्ष के लिए निर्धारित 60 करोड़ रुपये के बजटीय परिव्यय में से 34 करोड़ रुपये जारी कर दिए गए हैं। सहायक साधनों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग हेतु अपंग व्यक्तियों को सहायता की स्कीम (एडीआईपी) के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष लगभग 2 लाख अपंग व्यक्तियों को सहायक-उपकरण मुहैया कराए जाने हैं वर्ष 2011-12 के दौरान 100 करोड़ रुपये के आवंटन में से, कार्यान्वयनकारी एजेंसियों को 27.78 करोड़ रुपये जारी किए गए, जिनमें दिसंबर 2011 तक शिविर संबंधी कार्यकलापों के लिए 7.05 करोड़ रुपये भी शामिल हैं। लक्ष्य लगभग 2.8 लाख अपंग व्यक्तियों को कवर करने का है। दीनदयाल अपंग जन पुनर्वास स्कीम (डीडीआरएस) के अंतर्गत, वर्ष 2011-12 के दौरान 120 करोड़ रुपये के आवंटन में से स्वैच्छिक संगठन को श्रवण, दृष्टि और मानसिक अपंगता से ग्रस्त बच्चों के लिए विशेष स्कूल चलाने और अपंग व्यक्ति एवं मानसिक विक्षिप्तता एवं मस्तिष्क पक्षाघात के क्षेत्र में जनशक्ति विकास हेतु व्यावसायिक पुनर्वास केन्द्र चलाने के लिए दिसंबर 2011 तक 31.27 करोड़ रुपये की संस्वीकृति दी गई है। इस स्कीम के अंतर्गत वर्ष के दौरान 2.5 लाख लाभानुभोगियों को कवर किए जाने का लक्ष्य है। इसके अतिरिक्त, जागरूकता पैदा करने, पुनर्वास और पुनर्वास संबंधी पेशेवर व्यक्तियों के प्रशिक्षण एवं मार्गदर्शन के लिए जिला स्तर पर अवसंरचना-निर्माण और क्षमता-निर्माण को सुसाध्य बनाने हेतु केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के सक्रिय सहयोग से देश के सभी सुविधाहीन जिलों में जिला अपंगता पुनर्वास केन्द्रों (डीजीआरसी) की स्थापना करके अपंग व्यक्तियों को व्यापक सेवाएं मुहैया करा रही हैं। डीडीआरसी स्थापित करने की योजना नौवीं पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी और यह ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी जारी है। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के अंतिम दो वर्षों (2010-11 और 2011-12) के दौरान सौ नए डीडीआरसी स्थापित करने का लक्ष्य था। 2010-11 में इक्कीस डीडीआरसी स्थापित किए गए हैं और छह

नए डीडीआरसी स्थापित करने के लिए वित्त वर्ष 2011-12 में गुजरात, आंध्र प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और बिहार की राज्य सरकारों को 1.2 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं।

सामाजिक सुरक्षा

13.48 सामाजिक सुरक्षा क्षेत्र के अंतर्गत वरिष्ठ नागरिकों के लिए और मादक द्रव्य (नशा) के सेवन के शिकार लोगों के लिए स्कीम/कार्यक्रम कार्यान्वित किए जाते हैं। वरिष्ठ नागरिकों के लिए बनाए गए कार्यक्रमों का उद्देश्य विशेष रूप से निर्धन वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण और भरण-पोषण होता है। मादक द्रव्यों के सेवन के आदी लोगों के लिए जागरूकता अभियानों और नशाखोरों के इलाज तथा उनके शरीर से विषाक्तता समाप्त करके मादक द्रव्यों की मांग में कमी हासिल की जाती है ताकि वे मुख्यधारा में शामिल हो सकें। वयोवृद्ध लोगों के लिए समेकित कार्यक्रम (आईपीओपी) के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों को वृद्धाश्रम (ओएएच), डे केयर सेन्टर (डीसीसी) और मोबाइल मेडिकल यूनिटें (एमएमयू) चलाने के लिए सहायता अनुदान दिए जाते हैं। 2011-12 के दौरान, 40 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से, दिसंबर 2011 तक 7.31 करोड़ रुपये जारी किए गए थे। इस स्कीम का लक्ष्य 2011-12 के दौरान 64,000 लाभानुभोगी कवर करने का लक्ष्य है। माता-पिता के लिए आवश्यकता आधारित भरण-पोषण और वरिष्ठ नागरिकों के लिए कल्याण-उपाय सुनिश्चित करने के लिए माता-पिता और वरिष्ठ नागरिकों को भरण-पोषण एवं कल्याण अधिनियम 2007 अधिनियमित किया गया था। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से अपेक्षित है कि इस अधिनियम को सरकारी राजपत्र में अधिसूचित करके इसे कार्यान्वित करें। अब तक 23 राज्यों और सभी संघ राज्य क्षेत्रों ने इस अधिनियम को अधिसूचित कर दिया है। इसके अतिरिक्त, नशाखोरों के लिए समेकित पुनर्वास केन्द्र, क्षेत्रीय संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र तथा अन्य परियोजनाएं चलाने के लिए गैर-सरकारी संगठनों को सहायता अनुदान दिए जाते हैं। 2011-12 के दौरान, 41 करोड़ रुपये के बजटीय आवंटन में से दिसंबर 2011 तक 18.25 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं। इस स्कीम का उद्देश्य 1.2 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम के कारगर कार्यान्वयन के लिए, इस क्षेत्र में सेवाओं की सुपुर्दगी में लगे कार्मिकों को राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा संस्थान (एनआईएसडी) द्वारा आयोजित किए जा रहे विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत प्रशिक्षित किया जा रहा है। एनआईएसडी के लिए चालू वित्त वर्ष हेतु 10 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।

13.49 समाज के कमजोर वर्गों के उद्धार के कार्य में और मदद करने के लिए अनेक वित्तीय संस्थाएं भी हैं। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम (एनएससीएफडीसी), राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम (एनएसकेएफडीसी), राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त और विकास निगम (एनबीसीएफडीसी) और राष्ट्रीय अपंगता वित्त और विकास निगम (एनएचएफडीसी) विभिन्न आय-सृजन कार्यकलापों के लिए रियायती ब्याज-दरों पर

सारणी 13.14 : एनएससीएफडीसी, एनएसकेएफडीसी, एनबीसीएफडीसी तथा एनएचएफडीसी के अंतर्गत संवितरित ऋणों/कवर किए गए लाभार्थियों का ब्यौरा

क्रम संख्या	निगम	संवितरित ऋण की राशि (₹ करोड़)				लाभार्थियों की संख्या			
		आवधिक ऋण	सूक्ष्म वित्त	अन्य	कुल	आवधिक ऋण	सूक्ष्म वित्त	अन्य	कुल
1	एन.एस.एफ.डी.सी.	90.65	28.36	—	119.01	10,022	23,240	2490	35,752
2	एन.एस.के.एफ.डी.सी.	28.97	12.03	20.39	61.39	2991	5292	7604	15,887
3	एन.बी.सी.एफ.डी.सी.	67.60	20.52	43.83	131.95	19,983	19,444	43,833	83,260
4	एन.एच.एफ.डी.सी.	31.01	—	0.41	31.42	6597	—	10	6607*
कुल:		218.23	60.91	64.63	343.77	39,593	47,976	53,937	141,506

स्रोत सामाजिक न्याय और अधिकांशिता मंत्रालय *अनुमानित

अपने लक्ष्य समूहों को ऋण सुविधाएं मुहैया कराते हैं। वर्ष 2011-12 के दौरान 31 दिसंबर, 2011 की स्थिति के अनुसार 1.42 लाख लाभानुभोगियों को ऋण संवितरित किए गए थे जबकि 2010-11 की इसी अवधि में 1.34 लाख लाभानुभोगियों को ऋण दिए गए थे। ब्यौरा सारणी 13.14 में दिया गया है:

चुनौतियां और दृष्टिकोण

13.50 पश्चिमी दुनिया में किए गए बेलगाम सरकारी खर्च, जिसकी वजह से बड़े सरकारी कर्ज एवं राजकोषीय असन्तुलन पैदा हो गए, के कारण उत्पन्न हालिया आर्थिक संकट ने विश्व की अर्थव्यवस्था को एक बार फिर दोगाहे पर ला खड़ा किया है। यह दूसरा संकट एक ऐसे समय पर बड़ी तेजी से पुनः उभरा है। जब देशों के पास इस संकट और सामाजिक क्षेत्र पर इसके असर का मुकाबला करने के लिए राजकोषीय गुंजाइश कम है। अब ध्यान “बेलआउट पैकेज” देने से हटाकर मितव्ययिता के उपाय अपनाकर सरकारी व्यय पर काबू पाने पर दिया जा रहा है। भारत ने 2008 के वैश्विक संकट का मुकाबला सरकार द्वारा की गई कुशल व्यवस्था और रोजगार सृजन एवं गरीबी-उन्मूलन कार्यक्रमों पर अधिक खर्च करके समावेशी विकास के लिए उपलब्ध राजकोषीय गुंजाइश को इस्तेमाल करके बेहतरीन ढंग से किया।

13.51 रोजगार के मोर्चे पर, देश वैश्विक संकट के दुष्प्रभावों का सामना करने और जुलाई 2009 से रोजगार सृजित करने में सफल रहा है, जैसाकि श्रम ब्यूरो द्वारा किए गए त्रैमासिक सर्वेक्षणों में सूचित किया गया है। विकसित देशों के विपरीत, जहां नौकरियों के खत्म होने की स्थिति का सामना करने के उपाय अस्थायी थे और उनमें संरक्षणवाद का पुट था, भारत के मामले में, रोजगार सृजन के कार्यक्रमों की योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण से बनाई गई थी और इसमें संरक्षणवाद का कोई तत्व नहीं था। सरकार के रोजगार सृजन के कार्यक्रम जैसेकि मनरेगा रोजगार के अवसर पैदा करने में और समाज के गरीब एवं लाभवंचित वर्गों के हाथों में अतिरिक्त आमदनी देने में सहायक रहे हैं जिससे आपूर्ति पक्ष को सम्पोषित करने के लिए, जो भले ही उच्च खाद्य मुद्रास्फीति के स्तर पर थी,

उपभोक्ता टिकाऊ और गैर-टिकाऊ वस्तुओं की मांग भी पैदा हुई है। यह कई क्षेत्रों में गिरते भूमिगत जल-स्तर की समस्या का समाधान करने में सकारात्मक असर छोड़ने में भी सफल रहा है क्योंकि इस कार्यक्रम में जल-संरक्षण के कार्यों पर अधिक बल दिया जा रहा है। रोजगार-प्रधान क्षेत्रों के लिए ब्याज-सहायता जैसे उपायों ने इन क्षेत्रों में नौकरियों के खत्म होने की किसी संभावना को रोकने में भी मदद की है।

13.52 आगे देखें तो, भारत को एक कौशलपूर्ण संतुलन कायम करना होगा। हालांकि राजकोषीय विवेक जरूरी है, लेकिन ऐसी विकास-नीतियां भी उतनी ही जरूरी हैं जिनका उद्देश्य अर्थव्यवस्था को वापस उच्च विकास के पथ पर लाना हो और जो साथ ही सामाजिक क्षेत्र विशेषकर शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल और रोजगार सृजन पर पर्याप्त व्यय सुनिश्चित करें। चूंकि भारत मानव-विकास के संदर्भ में न सिर्फ चीन से बल्कि श्रीलंका और कई अन्य पड़ोसी देशों से भी पीछे है, इसलिए किसी भी उपलब्ध या सृजित राजकोषीय गुंजाइश को विकासोन्मुखी सामाजिक क्षेत्र के कार्यक्रमों के जरिए मानव-विकास के लिए इस्तेमाल किया जाना होगा। इससे विकास पथ पर बने रहने तथा और अधिक समावेशी विकास के दोहरे उद्देश्यों को हासिल करने में मदद मिलेगी।

13.53 अब वाकई समय भी आ गया है कि हम विगत में क्षेत्र-विशिष्ट सफलताओं और असफलताओं को ध्यान में रखते हुए शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार के क्षेत्रों के सामाजिक क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों की कार्यक्षमता विशेषकर उनकी सुपुर्दगी प्रणाली में सुधार लाने के लिए कड़े उपाय करें ताकि इन दखल-कारवाइयों के वांछित परिणाम प्राप्त हो सकें। सभी कार्यक्रमों और कानूनों में आधारभूत स्तर से ऊपर बढ़ने के तरीके (बॉटम-अप) से योजना एवं कार्यान्वयन नीति तैयार करने पर जोर दिया गया है जो तभी हासिल किया जा सकता है जब पंचायती राज संस्थाओं जैसी आधारभूत स्तर की संस्थाओं का विकास और सुदृढ़ीकरण किया जाए तथा उन्हें गतिशील बनाया जाए। मिसाल के तौर पर, सरकार के फ्लैगशिप कार्यक्रम ‘मनरेगा’ में पांच वर्ष के लिए “जिला परिप्रेक्ष्य योजना” बनाने का प्रावधान है जो मूलतः समग्र ग्राम

विकास योजना है जिसके आधार पर सामाजिक क्षेत्र में जनादेश प्राप्त सभी क्षेत्रक/संबंधित एजेंसियों की वार्षिक कार्य-योजनाएं बनाई जा सकती हैं। इस जिला परिप्रेक्ष्य योजना में कार्यकलापों की समाभिरूपता रहती है और यह संसाधनों के समूहन (ग्राम स्तर पर इस्तेमाल किए जाने हेतु विभिन्न विकास कार्यक्रमों के अंतर्गत) का बहुत कारगर साधन है जो पुनरावृत्ति से भी बचाता है। पंचायती राज संस्थाओं को इस “परिप्रेक्ष्य योजना” को तैयार करने में मुख्य भूमिका निभानी है। चूंकि पंचायती राज संस्थाएं और ग्राम सभाएं अधिनियम के प्रावधानों और संबंधित प्रक्रियाओं को भली प्रकार से नहीं जानती और उन्हें इनकी जानकारी अधिक नहीं होती इसलिए आमतौर पर ये योजनाएं बनाई ही नहीं जाती अथवा अधिकारी-तंत्र के भरोसे छोड़ दी जाती हैं और इसलिए योजना-प्रक्रिया संसाधनों के उपयोग हेतु मात्र एक कार्य-योजना बन कर रह जाती है तथा इसीलिए यह उम्मीदों पर खरी नहीं उतरती। सुविज्ञ और अधिकार-प्राप्त आधारभूत-स्तर की संस्थाएं (पंचायती राज संस्थाएं) तथा मनरेगा में और सुधार जैसे कि स्थायी परिसंपत्ति निर्माण और अवसंरचना विकास के कार्यों पर जोर देना, बेहतर मानीटरिंग, वर्धित रोजगार-क्षमता हेतु कौशल विकास एवं कानूनों को शहरी क्षेत्रों पर लागू करने से बेहतर परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। यह सुनिश्चित किए जाने की भी जरूरत है कि इस कार्यक्रम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप कृषि मौसम के व्यस्ततम समय के दौरान श्रम-शक्ति की कमी न हो और इसके लिए पंचायती राज संस्थाओं और ग्राम सभाओं को पर्याप्त रूप से सुग्राही बनना होगा। सामाजिक क्षेत्र के अन्य कार्यक्रमों में भी इसी प्रकार के बदलाव किए जाने की जरूरत है। हालांकि सरकार ने सोच-समझकर निर्धनतारोधी कार्यक्रमों और रोजगार सृजन की योजनाओं के लिए बजटीय आवंटनों में भारी वृद्धि की है, फिर भी नीतिगत संरचनाओं को भी मजबूत बनाए जाने की जरूरत है ताकि इन कार्यक्रमों का कारगर कार्यान्वयन किया जा सके एवं यह सुनिश्चित किया जा सके कि आवंटनों की परिणति उत्पादन में ओर उत्पादन की परिणति परिणामों में हो। वैसे तो परिणाम बजट और सरकार द्वारा यूआईडीएआई की स्थापना जैसे उपाय इसी दिशा में ही कुछ कदम हैं, फिर भी यूआईडी को सामाजिक क्षेत्र के सभी कार्यक्रमों से जल्द ही जोड़े जाने की जरूरत है ताकि बेहतर अनुवीक्षणीय परिणाम प्राप्त किए जा सकें।

13.54 भारत के जिस जनसांख्यिकीय लाभांश का बहुत जोर-शोर से जिक्र किया जाता है, उससे फायदा बटोरने के लिए बेहतर शिक्षित और स्वस्थ आबादी की अत्यधिक जरूरत है। इसके लिए, शिक्षा प्रणाली और स्वास्थ्य क्षेत्र में अधिक सुधार किए जाने होंगे। हालांकि, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन सही दिशा में एक कदम है, फिर भी उपलब्धियों और रफ्तार दोनों के संदर्भ में बहुत कुछ किया जाना बाकी है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम जनसांख्यिकीय लाभांश का दोहन कर सके, इसके लिए इस अधिनियम के सामने कार्यान्वयन संबंधी कोई बाधा नहीं आनी चाहिए। विश्वविद्यालयी और उच्च शिक्षा के क्षेत्र में भी इसी प्रकार के सुधारों की आवश्यकता है तथा नौकरियों के बाजार में मांग-आपूर्ति में व्याप्त असंतुलन को ठीक किया जाना चाहिए। उच्च शिक्षा के लिए निधियां जुटाना सरकार के लिए वाकई एक चुनौती है। उच्च शिक्षा के लिए एक व्यापक विनियामक निकाय के तौर पर राष्ट्रीय उच्च शिक्षा और अनुसंधान आयोग (एनसीएचई आर) की स्थापना और संस्थाओं व अध्ययन कार्यक्रमों का गुणवत्ता-आश्वासन और प्रमाणन सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य प्रमाणन व्यवस्था स्थापित करने हेतु एक राष्ट्रीय प्रमाणन विनियामक प्राधिकरण की स्थापना के प्रस्ताव सही दिशा में उठाए गए कदम हो सकते हैं। कम शब्दों में कहें तो, दूरदृष्टि और मिशन मोड में बनाई गई योजनाएं इस जनसांख्यिकीय लाभांश का सामयिक दोहन करने के लिए जरूरी हैं। उपलब्ध संसाधनों में व्याप्त अंतर को सरकार की विनियामक पर्यवेक्षी शक्तियां कम किए बिना विशेष रूप से तैयार की गई पीपीपी वित्तपोषण योजनाओं से पूरा किया जा सकता है।

13.55 अन्त में, कार्यक्रमों/योजनाओं की समाभिरूपता का मुद्दा भी है जिसका जिक्र तो हमेशा किया जाता है लेकिन उसे लेकर कुछ किया नहीं गया है। मिसाल के तौर पर, आम आदमी बीमा योजना, जनश्री बीमा योजना और आर एस बीमा योजना ऐसी योजनाएं हैं जिनमें अत्यधिक अतिव्याप्ति है तथा ये योजनाएं आबादी के साथ एक ही या समान श्रेणियों के लिए सेवा प्रदान करती हैं। पूर्वोक्त दो योजनाओं के अंतर्गत अतिरिक्त लाभ के तौर पर शिक्षा सहयोग योजना (एसएसवाई) भी है। अन्य क्षेत्रों में भी ऐसे उदाहरण मौजूद हैं। इन योजनाओं की वास्तविक समाभिरूपता के लिए ईमानदार प्रयास किए जाने की जरूरत है।